खण्ड-258, अंक-3
बुधवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1887
(4 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, जायसवाल
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैद्यनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुंतलानायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवधनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

हरपालपुर ब्लाक में तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र

*१--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में किन-किन लोगों ने कुयें, पम्पिंग सेट तथा ट्यूबवेल की तकावी के लिये ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई में प्रार्थना-पत्र दिया और क्या यह सत्य है कि १९६२-६३ में प्रार्थना-पत्र देने वालों को तकावी न देकर जबकि उनकी पूरी जांच हो चुकी थी, १९६४-६५ में प्रार्थना-पत्र देने वालों को तकावी दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई में १९६२-६३ में तकावी के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस वर्ष में प्रार्थना-पत्र देने वाले को १९६४-६५ में तकावी दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१९६३–६४ तथा १९६४–६५ में जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, पंम्पिग सेट तथा ट्यूबवेल की तकावी के लिये प्राप्त हुये उनकी †सूची संलग्न है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—

श्रीमन्, यह जो सूची सप्लाई की गई है इसमें प्राप्ति की तिथि, तहसील में भेजने की तिथि और वापसी की तिथि के कालम हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई रजिस्टर इसके लिये मेनटेन किया जाता है या बी० डी० ओ० अपनी मर्जी से जांच के लिये दरख्वास्त भेज देते हैं और आने पर तकावी दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

इससे आपका क्या मतलब है ?

श्री मोहनलाल वर्मा—

मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी रजिस्टर पर ब्लाक में दरख्वास्त चढ़ाई जाती हैं या बी० डी० ओ० की मर्जी पर है कि जब चाहे किसी दरख्वास्त को जांच के लिये भेजें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिस समय का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उस समय यह ब्लाक खुला ही नहीं था ।

श्री मोहनलाल वर्मा—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि जो दरख्वास्तें प्राप्त होती हैं उनको किसी रजिस्टर पर चढ़ाकर जांच होती है या वैसे ही जांच के लिये भेज दी जाती हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जब दरख्वास्तें आती हैं तो जरूर रजिस्टर होती होंगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

सूची से यह पता चलता है कि जो प्रार्थनापत्र १९६४ में दिये गये थे उनको तकावी मिल गई है । लेकिन १९६३ से पहले की दरख्वास्तें अभी पड़ी हुई हैं । इस तरह की अनियमितताओं के लिये क्या मंत्री जी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, ऐसा नहीं किया जाता है । प्राथमिकता उनको ही दी जाती है, लेकिन जिनके प्रार्थना-पत्र वर्ष के अनुसार आते हैं । लेकिन १०/११ लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ तहसीलदार तथा अफसरों की रिपोर्ट थी कि ये लोग नादिहन्दा हैं और इनको तकावी नहीं मिलनी चाहिये । इसके अन्तर्गत कुछ लोग छूट गये थे । वैसे जिस वर्ष में प्रार्थना-पत्र आते हैं उसी के अनुसार उनको तकावी दी जाती है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि उस समय ब्लाक खुला ही नहीं था । लकिन मेरा खयाल है कि इससे ही ब्लाकों को क्षेत्रों में बांट दिया गया था । इसलिये क्या वे बता सकेंगे कि यह ब्लाक क्यों नहीं खुला है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बशीधर पांडेय---

यह पहले भी एक्सटेंशन से ब्लाक १-१०-६३ में आया और १९६३-६४ से ही प्रार्थना-पत्र आये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, पहले ये पम्पिग सेट के लिये दिया करते थे, लेकिन अब कैश रुपया देते हैं । इससे जिनको वाकई पम्पिग सेट की जरूरत होती है उनको रुपया नहीं मिल पाता । इसलिये क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिनको पम्पिग सेट की जरूरत हो वह उनको मिल जाय ताकि रुपये का दुरुपयोग न हो ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, जैसे बिजली बढ़ेगी पम्पिग सेट ज्यादा लगेंगे । यह भी हो सकता है कि लोग रुपया ले लेते हैं और पम्पिग सेट खरीदते नहीं हैं और विभाग की तरफ से जो दिया उसके संबंध म भी शिकायतें हैं इसलिये विभाग इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह से इसको उपयोगी बनाया जाय ।

श्री मोहनलाल वर्मा---

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि १-१० ६३ से यह ब्लाक बना इस सूची के क्रमांक ६४ पर एक एप्लीकेशन दर्ज है कि २०-११-६३ को दरख्वास्त दी जो ७-४-६४ को जांच के लिये भेजी गई है । इसके बाद दूसरी दरख्वास्त २५-३-६५ की दर्ज है और तीसरी दरख्वास्त १०-३-६३ की चढ़ी है तो सीरियल में यह गड़बड़ी क्यों है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, वह तो तहसीलदार के पास जाती है । १९६२-६३ में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया । अक्तूबर, १९६३ में ब्लाक खुल गया और प्रार्थना-पत्र आने लगे । तो कुछ लोग जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था, उनके सम्बन्ध में तहसील में जांच के बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट लगी या रिपोर्ट भेजने में देरी हुई, जब आयी तब उसके बाद दिया गया ।

श्री मोहनलाल वर्मा---

जांच की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तो लाबहिन्दा का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, माननीय सदस्य का जोर नहीं है, लेकिन स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं । उनका क्वेश्चन है कि १९६२-६३ में जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये उनको १९६३-६४ में प्राथमिकता न देकर जो उस साल प्रार्थना-पत्र आये उनको दे दिया गया । मैंने कह दिया कि १९६२-६३ में न ब्लाक खुला था, न प्राविधान था । उनको दिया गया जिन्होंने १९६३-६४ में प्रार्थना-पत्र दिया था ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

सवाल सरकार का नहीं है । सवाल यह है कि हरपाल ब्लाक के बी० डी० दी० ने कुछ बंगिलग की है क्या माननीय मंत्री जी उन गड़बड़ियों की जांच करवाने के लिए तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जो शिकायत होगी अगर उसको लिखकर देंगे तो उसकी जांच करवायेंगे ।

पनियाली ग्राम के लिए सिंचाई गूल

*२--श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के प्रश्न संख्या ६ के क्रम पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, सदन में जो यह सूचना दी गई थी कि अब दूसरी योजना बनी है कि एक हौज बनाया जाय और उसके लिये सरकार ने २,२८६ रुपये अनुदान भी दे दिया है, तो उस हौज व गूल की कार्यवाही अभी तक पूर्ण न होने का क्या कारण है और यह योजना शीघ्र से शीघ्र कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

२२८३ रुपये का अनुदान केवल पुल के निर्माण के लिये स्वीकृत था, जिसका निर्माण वर्ष १९५९-६० में ही हो गया था। हौज के निर्माण हेतु अलग से २९५३६० का अनुदान प्राप्त था जो कि लगभग पूर्ण हो चुका है केवल लिन्टल डालना शेष है जो कि सीमेंट के अभाव से नहीं हो पाया था। अब सीमेंट का प्रबन्ध हो गया है तथा उपरोक्त कार्य के पूर्ण कराने के आदेश भेज दिये गये हैं।

*३—श्री खुशीराम--

क्या यह सही है कि उल्लिखित हौज ग्राम पंचायत लोहरियासाल मल्ला की बैठक दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ ई० के प्रस्ताव संख्या ३ के निश्चयानुसार है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां।

श्री खुशीराम--

क्या माननीय मंत्री जी शीघ्रता करने के लिये आदेश देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

उसके शीघ्र आदेश होंगे।

चेचक उन्मूलन योजना से हटाये गये कर्मचारी

*४--श्री मंगल प्रसाद आर्य (जिला बहराइच) (अनुपस्थित) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष अर्थात् १९६४ में कितने चेचक निरीक्षक, लिम्फ कैरियर, वैक्सीनेटर तथा सीनियर चेचक निरीक्षक नौकरी से हटाये गये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सन् १९६४ में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

(१) चेचक निरीक्षक	५५
(२) लिम्फ कैरियर	११७
(३) वैक्सीनेटर	६१६
(४) सीनियर चेचक निरीक्षक	.. ऐसा कोई पद इस योजना के अन्तर्गत नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ८८३ आदमी निकाले गये हैं उनको फिर से काम देने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी जगह काम दिये जाने पर अपने जिले से बाहर जाना पसन्द नहीं किया । कुछ जरूर ऐसे हैं जिन्हें निकाला गया और जगह नहीं दी जा सकी है, । यदि कोई कार्य इस तरह का होगा तो अवश्य दिया जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८८३ आदमी निकाले गये, उन्होंने कितने वर्ष सेवा की और यदि उनके कनफर्मेशन की व्यवस्था होती तो उनमें से कितने लोग कनफर्म किये जा सकते थे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमान्, इन सबकी सेवायें सन् १९६३ के बाद की हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अभी इस प्रदेश में चेचक की महामारी पहले की भांति भीषण रूप से वर्तमान है, चौथी योजना में भी उसे पूर्व की भांति चालू रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, यह अभी कार्य चालू है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनके पास कोई ऐसी स्कीम है जिसके अन्तर्गत चौथी फाइव ईयर प्लान में इस स्कीम को बिल्कुल वाइन्ड अप न किया जाये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

यह निश्चित तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी यह प्रयत्न करेंगे कि भीषण महामारी की व्यापकता को देखते हुए यह जो पूरी योजना है, उसको इसी तरह से चालू रखा जाये और जो आदमी निकाले गये हैं उन्हें बेकार न होना पड़े ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह समाप्त तो नहीं की गयी है चालू है ही और जबतक हमारा सब काम मुकम्मिल रूप से पूरा नहीं हो जाता तबतक चालू रहेगी ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

इस बात को देखते हुए कि अभी प्रदेश में चेचक का प्रकोप है और मंत्री जी भी मानते हैं कि काम चालू है और चलता भी रहेगा । तो फिर यह ८६३ विभाग के आदमी क्यों निकाले गये हैं ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जब आवश्यकता नहीं रह गयी तो उस जगह से निकाल दिये गये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि यह स्कीम प्रदेश में अभ: चल रही है, किन्तु किसी जगह पर से आदमी अधिक होने के कारण निकाल दिये गये हैं तो क्या अन्य स्थानों पर उनकी आवश्यकता होने पर उन्हीं को रखा जाएगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

हां, इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि आवश्यकता होने पर इन रिट्रेन्च हुए आदमियों को ही रखा जाये । और यदि वे जाना चाहें तो जा सकते हैं ।

सहसवार ब्लाक में हरिजन कूप

*५---श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)---

१३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ८८-८९ तथा ९० के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, ब्लाक दहगवा में जो खरंजा श्री उल्फत सिंह के माकन से श्री शाहजाद तेली के मकान तक मंजूर हुआ था और श्री श्यामलाल के मकान से होली तक मंजूर किया था उसके लिये श्री जमुना प्रसाद, पंचायत मंत्री द्वारा ६९३ रुपये १२ नये पैसे जनता से वसूल किये गये थे और उसकी रसीद जनता को नहीं दी गई ? इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मामले को पुलिस में देने हेतु सम्बन्धित कागजात सरकारी वकील (फौजदारी) की परामर्श देने के लिये भेज दिये गये हैं ।

श्री उल्फतसिंह यादव---

यह कागजात वकील साहब के पास भेजे गये मगर इन पंचायत मंत्री और प्रधान के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही हुई है ?

श्री वंशीधर पांडेय---

श्रीमान्, अभी यह मामला बहुत उलझा हुआ है, बड़ा पेचीदा मामला है, कोई बात साफ नहीं हो रही है । इसलिये सारे मामले को फौजदारी के वकील के पास भेज दिया गया है, उनको राय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

तुलसीपुर व बलरामपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिये कुएं

*६---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सघन विकास क्षेत्र, चीनी मिल, तुलसीपुर व बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत किन-किन किसानों को सिंचाई के कुयें बनाने हेतु सन् १९६२ से १९६४ तक सरकार द्वारा अनुदान या धन प्राप्त हुआ, उनमें किन-किन के कहां कहां कुयें पूर्णतया बन चुके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सूची बड़ी लम्बी है । सदस्य महोदय इसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

*७---श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह---

क्या यह सत्य है कि अधिकांश कुयें नहीं बने और बने हैं तो अधूरे रह गये हैं फिर भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों का हाथ होने के कारण नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों और जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उन कर्मचारियों को दण्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बात सत्य है कि अधिकांश कुएं नहीं बने । काफी अपूर्ण भी हैं । इस प्रकार से कुओं के ऊपर दिए गए धन की वसूली के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । अतः दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के उत्तर के अनुसार इसकी सूची देखने की कोशिश की और मंत्री जी के कार्यालय में भी देखने की कोशिश की । जो भी सूची मुझे दी गयी है वह बिल्कुल गलत है, उसकी जानकारी करने के लियें मैंने प्रश्न पुनः दिया था । इसका उत्तर ठीक नहीं है, अगले सप्ताह में इसका उत्तर पुनः दे दिया जाये, सूची भी फिर से दे दें ताकि मैं जान सकूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप पहले सूची देख लें और फिर यदि उससे सन्तुष्ट न हों, तो इस प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्नों के अन्तर्गत दे दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह कहां तक ठीक है कि यहां पर कह दिया जाये कि सूची देख ली जायें, तो दी क्यों नहीं गयी या पहले से सूची देखने की सूचना क्यों नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष---

हमारे सदन में यह परम्परा रही है कि अगर सूची बहुत लम्बी हो या किसी तरह से ऐसी हो जो न दी जा सके सुविधापूर्वक तो यह कहा जा सकता है कि मंत्री के कमरे में देख ली जाय ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की सूची है उसे देखकर वेरीफाई करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप उसे जाकर देखिये और यदि आप असंतुष्ट हों तो मुझे बताइये ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

उसकी संख्या तो बता दें कि कितनी है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

८८० कुये हैं । ३२ पेज की सूची है । अगर आपको मेरे कमरे में देखना नागवार हो तो मैं आपको यहीं लाबी में दिखा सकता हूं ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

कितने कुंये अभी तक अपूर्ण हैं या नहीं बने हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

२१९ कुएं बन चुके हैं । जो कुयें नहीं बने हैं नियमानुसार उनके लिये वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---

वह पूछते यह हैं कि कितने कुयें अभी तक अपूर्ण हैं, आधे बने हैं या बिल्कुल नहीं बने हैं ।

श्री वंशीधर पाण्डेय---

२१९ कुयें बन गये हैं। कुल ८८० कुओं के लिये तकावी बांटी गई थी। कितनी प्रगति लेटेस्ट है इसका पता नहीं है। जो नहीं बनेंगे उनके लिये वसूली की कार्यवाही हो रही है।

ठेकमा और मुहम्मदपुर ब्लाक में सीमेंट

*८---श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ठेकमा ब्लाक और मुहम्मदपुर ब्लाक में (क) १९६४ से १ साल तक कितना सीमेंट ठेकमा ब्लाक और मुहम्मदपुर ब्लाक (आजमगढ़) में आया? (ख) इसमें कितना जनहित कार्यों में लगा और कितना निजी कार्यों में लगा?

श्री राममूर्ति---

इन दोनों ब्लाकों में जनवरी, १९६४ से १ साल तक जितना सीमेंट प्राप्त हुआ तथा वितरित किया गया निम्न प्रकार है:

ब्लाक	प्राप्त मात्रा	जनहित कार्यों में किया गया (बोरी)	निजी कार्यों में किया गया (बोरी)
ठेकमा	३,४६५	९६२	२,४७३
मुहम्मदपुर	२,५४५	५१६	२,७२९

*९---श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सीमेंट कितना कोआपरेटिव स्टाकिस्ट ले आये और कितना प्राइवेट स्टाकिस्ट ले आये?

श्री राममूर्ति---

विकास खंडों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फैक्ट्री से स्टाकिस्टों द्वारा पूरे जनपद के लिए निर्धारित मात्रा में सीमेंट जाता है तथा जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा एलाटमेंट किये जाने पर सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी उसको उठाने की एवं वितरण की व्यवस्था करते हैं। शेष सूचना मेरे कार्यालय में है।

मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों के मकानों का किराया

*१०---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों के लिए मकान किराया कितना दिया जाता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

नये केन्द्र जो राज्य सरकार ने देहाती क्षेत्रों में खोले हैं उनका मासिक किराया २५ रुपये तक है और पुराने केन्द्र जो सरकार ने शहरी और देहाती क्षेत्रों में रेड क्रास से लिए हैं उनका किराया १० रुपये है।

*११--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्रों में मकान भाड़ा २५ रुपये और शहरी क्षेत्रों में ११ रुपया दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

देहाती क्षेत्र में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र जिनको सरकार ने रेडक्रास से १९४८ में लिया है उनका मकान भाड़ा १० रुपये प्रति मास है परन्तु जहां से मकान भाड़ा बढ़ाने की मांग आई है बढ़ा दिया गया है।

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बहुत से नये केन्द्र देहाती क्षेत्रों में खोले हैं उनका मकान भाड़ा २५ रुपये प्रति मास तक दिया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में सरकार ने नये केन्द्र किसी स्थान पर नहीं खोले हैं परन्तु रेडक्रास के कुछ केन्द्र १९४८ में लिये गये थे उनका किराया १० रुपये प्रति मास दिया जाता है।

*१२--श्री मंगलदेव--

क्या शहरों में मकान की कठिनाई को देखते हुए शहरी केन्द्रों का मकान भाड़ा कम से कम ३० रुपये मासिक करने की व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शहरी क्षेत्रों में जो केन्द्र सरकार ने खोले हैं उनका किराया बढ़ाया जा सकता है यदि मकान कम किराये पर उपलब्ध नहीं होंगे।

श्री मंगलदेव--

शहरों में रेडक्रास से जो सेन्टर्स उनको प्राप्त हैं उनका किराया क्या सरकार २५ रुपये प्रतिमास करने जा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जहां सरकार को १० रुपये तक किराये के मकान उपलब्ध नहीं होते हैं और उसकी मांग आती है तो वहां बढ़ाने पर विचार किया जाता है।

श्री मंगलदेव--

स्वयं सरकार ने देहातों में जो सेन्टर खोले हैं उनका किराया वह २५ रुपये प्रति मास देती है तो शहरों और देहातों में इतना अन्तर क्यों है? शहरों में मकानों की श्रीमन् वैसे ही किल्लत है तो शहरों में १० रुपये के मकानों में सेन्टर्स कैसे चलेंगे और क्या सरकार कृपा करके इस किराये को कम से कम २० रुपये तक शहरों के लिए देने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

२५ रुपये से कम तक में जब शहरों में मकान उपलब्ध नहीं होंगे तो उसे देने पर विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस बात को देखते हुए कि सरकार का अभी तक इन केन्द्रों में मकान किराये के सम्बन्ध में निश्चित दिमाग नहीं है तो क्या सरकार योजना के अन्दर मकानों को स्वयं बनवायेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसा विचार नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

रेडक्रास केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र हुआ करते हैं और १० रुपये में मकान जो हैं वह किसी अच्छी लोकैलिटी में प्राप्त नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि वह गन्दी बस्ती में प्राप्त हो। तो सरकार इस बात पर विचार करेगी कि स्वास्थ्य केन्द्र किसी अच्छी स्वस्थ और साफ लोकैलिटी में स्थापित करे जिससे जन साधारण को लाभ प्राप्त हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

रेडक्रास के दो तरह के केन्द्रों का प्रश्न है। एक तो १९४८ के बाद नई योजना के अन्दर खुले है और दूसरे वह हैं जो हमको सन् १९४८ में रेडक्रास से प्राप्त हुए हैं। जो रेडक्रास से प्राप्त हुए हैं वह जिस प्रकार से जिन जगहों में थे, अच्छे थे उनको स्वीकार किया गया और अब भी वहीं चल रहे हैं। जो उसके बाद बने वह अलग -अलग विकास योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं और जहां माननीय सदस्य तय करते हैं ब्लाक के और विभाग के वहां पर वह स्थापित किये जाते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर ये रेडक्रास केन्द्र हैं क्या उन मकान मालिकों ने किराया बढ़ाने के लिये दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिन जगहों के केन्द्रों से और हमारे विभाग के अधिकारियों ने सिफारिश करके भेजा है कि इनका किराया बढ़ाया जाय तो वहां पर हमने किराया बढ़ाया है।

शाहजहांपुर जिले में जच्चा-बच्चा केन्द्र

*१३—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह जिला शाहजहांपुर में आगामी वित्तीय वर्ष में किन-किन स्थानों पर, जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने जा रहे हैं ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में म्योर मिल तथा जे०के० काटन मिल पर ग्रेच्युटी का बकाया

*१४—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित म्योर मिल और जे०के० काटन मिल के ऊपर उनके मजदूरों की ग्रेच्युटी की काफी बड़ी रकम बकाया है जिसे उन मिलों को सम्पूर्णानन्द एवार्ड के बहुत पहले ही चुका देना चाहिये था ? यदि हां, तो वह रकम कितनी है और उसे दिलाने के लिये राज्य सरकार ने अभी तक क्या किया है और आगे क्या कदम उठाने जा रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

म्योर मिल के मजदूरों के २२९ ग्रेच्युटी प्रार्थना-पत्र ९० दिन से अधिक पुराने हैं जिनमें लगभग १,३९,२०० रुपये देय हैं। जे०के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल के श्रमिकों के ९७ प्रार्थना-पत्र ९० दिन से अधिक पुराने हैं जिनमें लगभग ७१,००० रुपये देय है।

श्रम विभाग द्वारा ग्रेच्युटी के बकाये के शीघ्र भुगतान के लिये बराबर प्रयास किया जा रहा है, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसमें देर हो रही है।

श्री संतसिंह यूसुफ---

मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन केसेज को ढाई-ढाई और तीन तीन साल हो गये हैं और ६० दिन के अन्दर उनको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिये तो अब कब मिलेगी और इसमें देर अगर हो रही है तो मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्री बनारसीदास---

इस संबंध में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। बल्कि कई दफा मिल मालिकों को बुलाया गया है और आज उनको इसी बात के लिए बुलाया गया है कि जितना ग्रेच्युटी का पैसा है [illegible] से जमा करें। लेकिन उनकी तरफ से अभी जो कठिनाई बतलायी गयी वह हमारे सामने है। कुछ समय पहले वह मुख्य मंत्री और वित्त सचिव से भी इस संबंध में मिले थे। उनका कहना है कि एक करोड़ के करीब के स्टाक्स पड़े हुए हैं जो कि निकल नहीं रहे हैं जिसकी वजह से वह मिल को बन्द करना चाहते थे। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिये कि जिस में ५,००० से ज्यादा मजदूर बाहर चले जांय। इसलिये प्रयास यह किया जा रहा है कि यह रुपया वसूल हो। इस में संदेह नहीं कि कई दफा उन्होंने फैसला किया, जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा कि २५ जनवरी को रुपया देना भी मंजूर किया और फिर कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण पैसा बन्द किर दिया। तो हमारा प्रयत्न इस के लिये जारी है और हम कोशिश करेंगे कि ग्रेच्युटी का पैसा जल्दी से जल्दी अदा हो जाय।

श्री उग्रसेन---

इस बात को देखते हुए कि सरकारी आदेशों के विरुद्ध माननीय मंत्री जी की इच्छा के विरुद्ध म्योर और जे०के० के मालिकों ने जो ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया उसके लिये क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे और उन पर मुकदमा चलायेंगे ?

श्री बनारसीदास---

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि इस मामले पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है कि कहीं कारखाना बन्द न हो जाय। हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि पैसा अदा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी इस बीच में जो उन्होंने पैसा नहीं अदा किया है उस के लिये कोई उन पर पैनल इंटरेस्ट की घोषणा करेंगे कि १२ या १५ परसेंट उनको अधिक दिया जाय ?

श्री बनारसीदास---

जो कुछ नियम के मातहत किया जा सकता है, वह किया जायगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय मंत्री जी ने उत्तरों में बतलाया कि मिलों को ग्रेच्युटी का पैसा अदा करने में आर्थिक कठिनाइयां हैं और उन का एक यह भी कारण है कि उन के पास स्टाक बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। तो क्या आर्थिक कठिनाइयों की बात और स्टाक के जमा होने की बात की जांच भी माननीय मंत्री जी ने करायी है अथवा केवल उनकी बात पर ही विश्वास करके सरकार ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी है ?

श्री बनारसीदास---

जांच करायी और यह बात सही है खास कर म्योर मिल के बारे में। वहां एक खास किस्म का कपड़ा बनता है और उनके पास स्टाक्स काफी तादाद में हैं। जे०के० वीविंग और स्पिनिंग मिल की हालत उस से कुछ बेहतर है और वहां ग्रेच्युटी के केसेज भी कुछ कम हैं। अभी उनको बुला कर और एक ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस में भी इस मामले पर हम विचार करना चाहते हैं और इस दृष्टि से विचार करना चाहते हैं कि कारखाने बन्द न हों और ग्रेच्युटी का पैसा भी मिल जाय।

श्री संतसिंह यूसुफ---

मैं यह बात मंत्री जी को जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जे०के० काटन मिल की आर्थिक हालत खराब नहीं है। यह सिर्फ उन की जिद और बदमाशी की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। हर लेबर डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि वह कानूनी कार्यवाही कर रहा है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है लेकिन पता नहीं सरकार की तरफ से यह ढ़ीलापन क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

यह बदमाशी की क्या व्याख्या है ?

श्री उग्रसेन---

बदमाशी की व्याख्या यह कि जो शरीफ आदमी की बात न माने।

श्री बनारसीदास---

मैंने कहा कि जे० के० काटन मिल की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। म्योर मिल की आर्थिक स्थिति खराब है। इस मिल को जे० के० ने कुछ समय पहले लिया था और ग्रेच्युटी के केसेज भी यहां के ज्यादा हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं और अगर यह वसूलयाबी नहीं होगी तो अवश्य कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री संतसिंह यूसुफ---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह गैरकानूनी कार्यवाही दोनों मिलें कर रही हैं जब वहां हुआ यह कि म्योर मिल के मजदूरों पर ७००० रुपया जुर्माना लेबर डिपार्टमेंट ने किया जे० के० के मजदूरों पर लेबर डिपार्टमेंट ने ३०,००० रुपया जुर्माना किया, तो यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है कि अगर मजदूर गलती करें तो उन पर जुर्माना हो और मालिक गलती करें तो उनको हाथ जोड़िये, यह भेदभाव क्यों है ?

श्री बनारसीदास---

यह सवाल तो इससे पैदा नहीं होता। वहां जुर्माना हुआ, किस कारण हुआ यह सब स्वयं यूसुफ साहब भी जानते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के सामने जो केसेज हैं उन में प्रायः फैसले मजदूरों के पक्ष में ही होते हैं यह उनको पता होगा।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) ---

क्या सरकार यह समझती है कि मिल मालिकों की कठिनाइयां मजदूरों की कठिनाइयों से ज्यादा हैं जिनके कारण वह मजदूरों का पैसा दिलाने में अब तक असमर्थ रही है ? क्या उनको पैसा दिलाने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री बनारसी दास---

इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

*१५--श्री संतसिंह यूसुफ--

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

फ्रस्टवेट हास्पिटल, नैनीताल में फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग

*१६--श्री खुशीराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में फ्रस्टवेट हास्पिटल, नैनीताल में फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग दी गई ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने यह फार्मेसिस्ट की ट्रेनिंग ली ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां । १३ व्यक्तियों ने यह ट्रेनिंग ली।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेनिंग की अवधि क्या थी, वह कब समाप्त हुई और क्या यह लोग ट्रेनिंग समाप्त कर चुके थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह लोग ट्रेनिंग समाप्त कर चुके हैं ।

*१७--श्री खुशीराम--

क्या इन फार्मेसिस्ट ट्रेनिंग के साथ कोई बांड भी भरा गया और इन्हें स्टाइपेंड देने का भी निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो क्या स्टाइपेंड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उक्त प्रशिक्षार्थियों को यथासमय बांड की पूर्ति करने तथा क्षमता के आधार पर स्टाइपेंड देने का निश्चय किया गया था। इनमें से ११ व्यक्तियों ने बांड नहीं भरे। शेष २ व्यक्तियों ने बांड भरे, परन्तु यथासमय नहीं । अतः किसी को भी स्टाइपेंड नहीं दिया गया।

महाराज चेतसिंह अस्पताल, ज्ञानपुर का एक्सरे प्लाण्ट

*१८--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के श्री महाराज चेतसिंह अस्पताल, ज्ञानपुर में एक एक्स-रे प्लांट आ कर पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कितने दिनों से और न लगने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

महाराज चेतसिंह अस्पताल, ज्ञानपुर जिला वाराणसी का एक्स-रे प्लांट १९ जुलाई, १९६३ को लगाया गया था। परन्तु कुछ खराबी आ जाने के कारण उक्त मशीन ने ९ सितम्बर, १९६३ से कार्य बन्द कर दिया। यह मशीन मरम्मत के लिये कम्पनी के वर्कशाप में भेजी गई थी जहां से ठीक हो कर वह आ गई है और ११ जून, १९६५ से उसने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

*१९--श्री हरिगैनराम--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उस अस्पताल में बिजली लग चुकी है और एक कम्पाउन्डर एक्सरे ट्रेनिंग ले चुका है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अस्पताल के एक्सरे कक्ष में २३ जून, १९६३ से बिजली लग चुकी है और कम्पाउन्डर जिला अस्पताल, वाराणसी में २० जुलाई, १९६३ से २५ दिन की ट्रेनिंग ले चुका है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या यहां पर एक्सरे मैकेनिक्स नहीं थे ठीक करने के लिये जो मशीन को बाहर भेजना पड़ा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो उसी कम्पनी को करना था। उसमें विलम्ब इसलिये हुआ क्योंकि उसके पुरजे भी खराब हो गये थे जिनको कि उस कम्पनी को बाहर से मंगाना पड़ा।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

यह मशीन जब दो वर्ष तक बाहर रही तो उस बीच अस्पताल का काम कैसे चला ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वहां दूसरी मशीन थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जितने भी एक्सरे प्लांट्स सरकार ने खरीदे हैं इस कम्पनी ने सभी के बारे में करीब-करीब यही शिकायत है। तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जो पुरजे उसके है वे एक कम्पनी के न होकर कई कम्पनीज के हैं जिसके कारण यह असुविधा हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, स्थिति यह है कि एक्सरे मशीनें भारतवर्ष में नहीं बनतीं, बाहर से आती हैं और अलग-अलग देशों से अलग-अलग मैनुफैक्चर की आई हुई हैं और उनके पुरजे भी अलग-अलग तरह के हैं और यह बात सही है कि जब कोई मशीन बिगड़ती है तो बाहर से ही पुरजे मंगाने के बाद ठीक होती है।

श्री अध्यक्ष--

वे तो यह कह रहे हैं कि जो मशीनें कम्पनी की हैं उसके पुरजे खराब हो जाने के बाद दूसरी कम्पनियों के पुरजे लगा दिये जाते हैं जिससे वे ठीक तरह से काम नहीं करती हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसा नहीं होता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

जो पुर्जे आते हैं वे एक कम्पनी के न आ करके कई कम्पनियों के लगाये जाते हैं जिसके कारण यह होता है कि वह मशीन बराबर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है।

श्री अध्यक्ष--

वे तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

उन्होंने यह कहा कि जब एक्सरे प्लांट लगवाया जाता है तो एक ही कम्पनी के एक्सरे प्लांट के पुरजे नहीं होते जिसके कारण प्रदेश भर में जितने एक्सरे प्लांट्स हैं उन सभी की यही स्थिति है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

एक कम्पनी जो हमको सप्लाई करती है उसी कम्पनी का जो निर्माता है उसी के सारे पुर्जे आते हैं । वह उसी की गारन्टी देता है और लेता है ।

स्वास्थ्य विभाग, सहारनपुर के कर्मचारियों का भुगतान

*२०—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहारनपुर के मातहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के कितने-कितने समय के टी०ए० बिल, अवकाश वेतन तथा मासिक वेतन अब तक भुगतान नहीं किये गये हैं और उनके क्या क्या कारण और आधार हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है । केवल इतना ही मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है । दूसरे मैं यह जानकारी करना चाहता हूं मंत्री जी से कि इतने लम्बे समय तक छोटे कर्मचारियों का वेतन न मिलने के कारण इस मंहगाई के जमाने में उनको रोटी का क्या प्रबन्ध है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, बाकी को तो मिलता रहा है । जहां तक प्रिआडिट का सवाल है वह आडिट के लिए जाना पड़ता है वह प्रिआडिट में गया है ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

अभी आपने उत्तर दिया कि पेपर्स प्रीआडिट में गये हैं परन्तु एक कर्मचारी के सम्बन्ध में मैं आपको बतला दूं कि उसका वेतन सम्भवतः दो वर्ष तक नहीं मिल पाया है । उस के पेपर्स न आडिट में गये और फिर उस को वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कौन से कर्मचारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का कहना है ?

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

अभी मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सन् १९६१ से १९६४ तक का वेतन नहीं मिल पाया, तो उसका कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य को सम्भवतः यह ध्यान है कि इतने दिनों का मुतवातिर बाकी है, ऐसी बात नहीं है । एक साहब का १९.५६ रुपया बाकी है, एक साहब का १०.८८ रुपया बाकी है, एक का १५ रुपया कुछ पैसा बाकी है और एक का ७३ रुपया कुछ पैसा, इस तरह से है । तो विलम्ब अवश्य है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि बराबर बन्द रहा ।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)—

एक कर्मचारी को अपना पैसा लेने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर का चक्कर काटने के लिए कितने बार जाना पड़ता है और कितना पैसा खर्च होता होगा जितना कि मिलता भी नहीं है, तो क्या वजह है कि जल्दी पैसा भुगतान नहीं किया जाता ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जल्दी की जितनी कार्यवाही होनी चाहिए थी वह हो रही है और हो गयी है बहुत कुछ लेकिन ए० जी० के यहां क्योंकि समय लगता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि चूंकि बिल्स प्रि-आडिट में गये ह तो वह कब प्राप्त हुये थे और किस अधिकारी ने उन में इतनी देर लगा कर प्रि-आडिट के काबिल बना दिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उन कर्मचारियों ने एक साल से अधिक के बाद बिल सबमिट किये तब प्रि-आडिट में गये हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या मन्त्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि छोटे-छोटे कर्मचारियों के पैसे का भुगतान जल्दी कर दिया करें और इस प्रकार की शिकायतें न आवें जैसी कि मिल रही हैं कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी और हेड क्लर्क मिल कर पैसा लेने के लिए भुगतान में देर करते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिन्होंने समय के अन्दर बिल दे दिया तो भुगतान हो जाता है। जब समय के अन्दर बिल न दें और प्रि-आडिट में चला जाय तो क्या कार्यवाही की जाय ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

दर असल पेमेंट का बिल अधिकारी बनाता है, न कि वह कर्मचारी जो बिल देता है। तो मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि, वह कई बार कह चुके हैं कि बिल देर में सबमिट करते हैं इस लिए प्रि-आडिट में चले जाते हैं, तो उन प्रार्थना-पत्रों की कौन तिथि थी और बिल बनाकर किस तिथि में गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बिल किसी ब्योरे पर बनता है और जब तक सारी चीजें इकट्ठी न हों बिल कैसे बने ?

श्री उग्रसेन--

पहले तो कह दिया कि बिल देर में सबमिट करते हैं और अब कह रहे हैं कि ब्योरे पर बनता है, सारा भाव नाश हो गया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

ब्योरा किस दिन दिया और बिल किस दिन बने ?

श्री अध्यक्ष--

हां, वह क्लियर नहीं था।

आई० टी० आई० के प्रशिक्षण केंद्रों से छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

*२१--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सन् १९६० से लेकर १९६४ तक कितने आई० टी० आई० के प्रशिक्षण केन्द्र थे ? प्रत्येक ने अब तक कितने उम्मीदवारों को कहां-कहां ६ मास के अपरेंटिस प्रशिक्षण हेतु भेजा ?

श्री बनारसीदास--

सन् १९६० से १९६४ तक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या निम्नलिखित थी :--

३१-१२-६० को	..	..	..	.. १५
३१-१२-६१ को	..	..	..	.. १५
३१-१२-६२ को	..	..	..	.. ३०
३१-१२-६३ को	..	..	..	.. ४४
३१-१२-६४ को	..	..	..	.. ४४

६ माह के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु १९६४ तक भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ७,८२० थी ।

*२२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

उक्त उम्मीदवारों में किस-किस ने आई० टी० आई० प्रधानाचार्य एवं निदेशक के पास शिकायत की कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली और न मिलने का कारण क्या है तथा उसे दिलाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास--

छात्रवृत्ति न मिलने की कुल २० शिकायतें प्राप्त हुई । उनमें से १० को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गयी है । एक छात्रवृत्ति नहीं दी गयी । शेष ९ मामले विचाराधीन हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २१ के "कहां-कहां" और प्रश्न २२ के "किस-किस" का जवाब न देने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--

जवाब तो आप देखेंगे कि उस में सब दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह पूछा है कि "उम्मीदवारों को कहां-कहां ६ मास के अपरेंटिस प्रशिक्षण हेतु भेजा" तो कहां-कहां भेजा यह कृपया बता दें ।

श्री बनारसीदास--

उत्तर के साथ में जो परिशिष्ट "क" दिया गया है उस में विस्तार के साथ दे दिया गया है ।

श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)--

आई० टी० आई० कालेज में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसको देने वालों की कोई कमेटी निर्धारित करते हैं कि वह छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करें या किस आधार पर देते हैं ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, उस की स्थानीय कमेटी होती है जिसके अन्दर इस सदन के सदस्य भी हैं । कुछ लेबर के प्रतिनिध हैं, सेवायोजकों के प्रतिनिधि हैं, प्रिंसिपल्स हैं कालेजेज के, यह सब लोग मिल कर के तय करते हैं । जितने छात्र होते हैं उन के १/३ को छात्रवृत्ति मिलती है और प्रत्येक को २५ रुपया मासिक मिलता है । छात्रवृत्ति देने में इस बात का खयाल रखा जाता है कि उनके संरक्षकों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन बीस छात्रों की शिकायतें मिली हैं उनके नाम क्या हैं और वे व्यक्ति जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी गयी कहां के रहने वाले हैं ?

श्री बनारसीदास---

नाम तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य को स्वयं उत्तर में दे दिया गया है कि कहां-कहां से यह सम्बन्धित हैं, मैनपुरी, मिर्जापुर, मेरठ, रामपुर के छात्र थे, जिनमें से एक का तो जहां तक मेरठ के छात्र का सवाल था उस की तो उपस्थिति कम थी और मिर्जापुर के छात्र की उपस्थिति कम थी जिसकी वजह से उनको नहीं दी गयी। बाकी कुछ को दे दी गयी है और कुछ के बारे में अभी पूरी इन्फार्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। नाम इस वक्त नहीं है, केवल आई० टी० आईज० का नाम दे दिया गया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो आई० टी० आई० कालेज में भर्ती करने के लिए कमेटी आपने बनायी है उसमें जिले के सब विधायकों को न रखने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास---

बात यह है कि सब को रखने से तो कमेटी काफी अन्वील्डी हो जाती। इसलिए इस सम्बन्ध में कमेटी का जो नियम बनाया गया है उसमें शायद चार के करीब विधान सभा के सदस्य रखे गये हैं, साथ-साथ में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का रखना जरूरी है तथा इन्डस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट का भी रखना जरूरी है क्योंकि अपरेंटिस ऐक्ट से वह भी सम्बन्धित होते हैं। इसलिए तमाम विधायकों को नहीं रखा गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

जिस फार्म पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र दिया जाता है उस फार्म पर कहीं तहसीलदार या रेवेन्यू आफिसर की संस्तुति नहीं होती और उसके द्वारा आय प्रमाणित नहीं होती। उसके कारण सब लोग एम० एल० ए० से या दूसरे लोगों से आय प्रमाणित करा लेते हैं। बाद में तहसीलदार के द्वारा जब जांच कराने का प्रश्न आ जाता है तो उनका प्रार्थना-पत्र कैन्सिल हो जाता है, क्योंकि उनकी आय दूसरी प्रमाणित होती है, इस से बड़ी कठिनाई होती है। इधर कमेटी रिकमेंड करती है और बाद में तहसीलदार से जांच करायी जाती है तो दूसरी बात सामने आती है। अतः क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि शुरू में ही तहसीलदार से आय प्रमाणित करने की बात रख दी जाय जिस से कि भविष्य में दिक्कत न पड़े ?

श्री बनारसीदास---

इस में काफी देर हो सकती है और छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलने में असुविधा हो सकती है। यह कैन्सिल करने का प्रश्न तो उसी समय पैदा होता है क्योंकि सभी छात्रों को तो छात्रवृत्ति मिलती नहीं है और जब इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तब यह प्रश्न पैदा होता है। फिर वह कमेटी ही इस सब का निर्णय करती है। कमेटी के अन्दर सभी प्रतिनिधि होते हैं। अगर यह नियम बना दें तो छात्रों को काफी कठिनाई हो सकती है।

श्री ए० सी० ग्राइस (आंग्ल-भारतीय)---

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई० की और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद परसेंटेज आफ एम्प्लायमेंट कितना है ?

श्री बनारसीदास---

अभी तक की स्थिति यह है कि प्रायः सभी एबजार्ब हो गये हैं। कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठान हैं जिनमें उन्हें एबजार्ब करने की व्यवस्था पहिले से है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मन्त्री जी इन समितियों में विधायकों के रखने पर विचार करेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समितियों में विरोधी दलों के सदस्य भी हो सकें ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जे० पी० मिश्र--

काफी दिन हुए भारत सरकार की ओर से एम्प्लायमेंट आफीसरों की एक मीटिंग हुई थी और जोन से जो लोग सेलेक्शन के लिए जाते हैं वे उनका पहले टेस्ट लेते हैं और फिर उनके मार्क्स की परसेंटेज का सीरियल बनाकर उससे ऐडमिशन और स्टाइपेन्ड दिया जाता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो इल्जाम लगाये जा रहे हैं वे गलत हैं या सही हैं ?

श्री बनारसीदास--

यह प्रश्न इस से सम्बन्धित नहीं है। पहले ऐक्ट के मातहत जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके बारे में है और उन्हीं के बारे में जवाब है। आमतौर से जो लोग प्रशिक्षण पाते हैं उनके बारे में नहीं है।

रायबरेली जिले में अवैध गांजा व शराब संबंधी मुकदमे

*२३--श्री रतीपाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ फरवरी से लेकर अब तक जिला राय बरेली में कितने शराब और गांजा के व्यापारी पकड़े गये हैं और उनमें से कितनों को सजा या जुर्माना हुआ तथा कितने छूट गये ?

श्री बंशीधर पांडेय--

माह फरवरी, १९६४ से लेकर जुलाई १५, १९६५ तक जिला राय बरेली में अनधिकृत रूप से शराब तथा गांजों के बेचने वाले कुल २१३ व्यापारी पकड़े गये। इन में से १४२ को सजा या जुर्माना हुआ, १० छूट गये, ३ व्यापारियों के मुकदमे दाखिल दफ्तर किये गये तथा शेष ५८ के मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं।

श्री रतीपाल--

शेष जो ३ व्यापारी हैं इनके केसेज दाखिल दफ्तर करने का क्या कारण है, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो केस चलने लायक नहीं होता है उसे दाखिल दफ्तर करने पर विचार किया जाता है।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मन्त्री जी रायबरेली जिले में सरकारी गांजे की दूकान खोलने पर विचार करेंगे ? कपड़े की दूकानों पर गांजा पकड़ा गया।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ये पकड़े गये इसलिए कि उनके यहां अनधिकृत गांजा था।

देवरिया जिले में जन-शक्ति उपयोग योजना

*२४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में जन-शक्ति उपयोग योजना कब से अमल में आ रही है ? जब से यह योजना अमल में है कितने कामों के लिए मंजूर रुपये वापस हुये, कितना रुपया वापस हुआ और क्यों वापस हुआ ? क्या इस साल के लिए कुल मंजूर रुपये इस्तेमाल में आ जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से अमल में है। जब से यह योजना अमल में है इसमें इन वर्षों में जो रुपया दिया गया है खर्च हुआ उसका विवरण †संलग्न है। आशा की जाती है कि इस साल के लिए कुल मंजूर रुपये इस्तेमाल में आ जायेंगे।

हमीरपुर जिले में लघु सिंचाई योजना

*२५—श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये तथा कितना धन खर्च हुआ और कितना धन उपरोक्त योजना का शेष बचा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सम्पादित किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है। इन कार्यों पर ४०,९४,८०० रु० ऋण के रूप में खर्च हुये। एक २०० रुपये सन् १९६४-६५ के ऋण में शेष रहा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०१ पर)

श्री मदनपालसिंह—

क्या यह सही नहीं है कि अन्य जिलों के मुकाबिले में हमीरपुर जिले में लघु सिंचाई योजना पर कम रुपया खर्च किया जाता है, जबकि वहां सिंचाई के साधन पहले से ही कम होने से अधिक रुपया लगाना चाहिये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर ध्यान है कि वहां अधिक रुपया लगाया जाय।

श्री मदनपालसिंह—

हमीरपुर जिले में लघु सिंचाई योजना में सब से अधिक धन किस विकास खण्ड में खर्च किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना चाहिए।

डाक्टरों की कमी

*२६—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में कितने डाक्टरों की आवश्यकता थी ? इस योजना के अन्तर्गत कितने डाक्टर बन कर तैयार होंगे ?

---

†छापा नहीं गया।

डाक्टर रामनारायण---

९९४।

१,९०१।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

यह देखते हुए कि डाक्टरों की आवश्यकता से अधिक तैयार हुए, तो क्या मुख्य कारण है कि प्रदेश के बहुत से अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वे सरकारी नौकरी में आने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---

इस योजना काल के प्रदेश में किस-किस अस्पताल से कितने-कितने डाक्टर तैयार होकर निकले हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ से ७६५, जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर से ६६४, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा से ४३२, और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से ४० ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---

एक डाक्टर के बनाने में स्टेट का काफी रुपया खर्च होता है। क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हीं लड़कों को डाक्टरी पढ़ने दी जाय, जो सरकारी नौकरी में भर्ती होने के लिए तैयार हों ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

ऐसा बाण्ड भराने पर किन्हीं हाई कोर्टों ने उसे गैरकानूनी करार दे दिया। आज के संविधान में हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार विचार कर रही है और इस कोशिश में है कि कोई शक्ल ऐसी निकले कि पास हुए डाक्टर हमारी सर्विसेज में आवें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मन्त्री जी जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वह तो अल्पवयस्क का है। आगे के सालों में अगर इस प्रकार का बाण्ड भरवाया जायगा तब यह बात न होगी ।

नर्सों को सुविधायें

*२७---श्रीमती सुशीला रोहतगी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में नर्सों की वृद्धि करने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जनरल नर्सेज ट्रेनिंग के ९ केन्द्रों में स्वीकृत ८५५ नर्सेज ट्रेनीज के लिए आवास, स्टाफ एवं फर्नीचर तथा सज्जा में जो कमियां थीं, उन्हें पूरी करने के लिए सरकार ने फरवरी, १९६३ में आवश्यक स्टाफ, आवास के लिए अतिरिक्त किराया तथा फर्नीचर एवं सज्जा के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जिसके फलस्वरूप नर्सेज की संख्या में वृद्धि हुई।

*२८-२९---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

[२रे सोमवार के लिए प्रश्न ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न २६ के अपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरदोई जिले में सड़कों का निर्माण

*३०--श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि हरदोई जिले के अन्तर्गत ब्लाकों में अब तक कुल कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और अब नये वर्ष में कितनी सड़कों के बनाने की योजना है और कहां ?

श्री राममूर्ति--

हरदोई जिले के अन्तर्गत ब्लाकों में विकास विभाग के अनुदान से कुल २९ पक्की सड़कें बनायी गयी हैं। जिनमें से २२ सड़कें ९ मील ७-३/४ फर्लांग लम्बी पूर्ण हो चुकी हैं, और ७ सड़कें १३ मील ३-१/२ फर्लांग लम्बी शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त १६८-११ मील लम्बी कच्ची सड़कें श्रमदान द्वारा बनायी गयीं। वर्ष १९६५-६६ में १६-१२ मील पक्की सड़कों के बनाने की योजना की गयी थी परन्तु जिला परिषद् ने केवल ३-२९ मील पक्की सड़क बनाने की ही योजनाओं को स्वीकृत प्रदान की है। इसके अतिरिक्त १८७-२८ मील कच्ची सड़कें बनाने की योजना है।

सरायभारती अवन्धी बांध

*३१--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत सरायभारती अवन्धी बांध जन-शक्ति उद्योग योजना में स्वीकृति में है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में क्या कार्य-वाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, ९ मील का बांध निर्माण हेतु इस योजना में स्वीकृत है। इस पर अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि इसका निर्माण अभी विचाराधीन है।

जिला बुलन्दशहर के विकास खंडों में जीपें

*३२--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला बुलन्दशहर के विकास खण्डों में कितनी जीपें हैं ? सन् ११६४ में इन जीपों पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितने मील किस-किस माह में चलीं ?

श्री राममूर्ति--

जिला बुलन्दशहर के विकास खण्डों में इस समय कुल १६ जीपें है। सन्, १९६४ में जब कि जीपों की संख्या केवल १४ थी, विकास खण्डों की जीपों पर कुल २०,२३४ रुपया ८३ ० व्यय हुआ।

जहां की जीप, जितने मील, जिस जिस माह में, चली उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी'ख' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

जिला बुलन्दशहर में अंग्रेजी शराब की दूकानें

*३३--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला बुलन्दशहर में अंग्रेजी शराब की दूकानें कहां-कहां पर खोलने का विचार कर रही है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्द-शहर म अंग्रेजी शराब की दूकानों को खोलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

जिला बुलन्दशहर में बुलन्दशहर नगर, खुर्जा तथा नरौरा में फुटकर बिक्री हेतु ३ एफ० एल० ५ के अनुज्ञापत्र (प्रत्येक के लिये एफ) सरकार ने स्वीकृत किये हैं।

ऐसा, जिला आबकारी परामर्शदात्री तथा नगर पालिकाओं की परामर्श दात्री समितियों के सुझावों पर इन स्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

चकिया अस्पताल में डाक्टर न होना

*३४--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले के चकिया अस्पताल में कितने साल से डाक्टर नहीं हैं, तो कब तक डाक्टर भेजा जायेगा ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

देवरिया जिले के चकिया अस्पताल में दिनांक ७-७-६२ से २१-५-६५ तक चिकित्सक नहीं था। अब वहां पर २२-५-६५ से चिकित्सक कार्य कर रहा है।

फर्रुखाबाद जिले में रहट के लिये सीमेंट व टीन की कमी

*३५--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या विकास मन्त्री फर्रुखाबाद जिले में जिन-जिन क्षेत्र तथा विकास क्षेत्र में राजकीय नल-कूप तथा नहर नहीं है और सिंचाई के साधनों का बिलकुल अभाव है वहां अधिक मात्रा में रहट के कुयें बनाने के लिये सीमेंट का कोटा विशेष ढंग से देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, शीघ्र ही।

*३६--श्री महरामसिंह--

क्या विकास मन्त्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में रहट मिलने में किसानों को अधिक रुपया देना पड़ता है क्योंकि ब्लैक से टीन खरीद कर रहट बनाने वाले रहट बनाते हैं जिसके कारण ब्लैक पर ही बेंचे जाते हैं तो ऐसी दशा में सरकार क्या किसी सरकारी संस्था द्वारा टीन का कोटा कन्ट्रोल से देकर रहट बनवाने की व्यवस्था करेगी ताकि उचित कीमत पर रहट प्राप्त हो सकें ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

विभाग द्वारा रहट निर्माताओं को निर्धारित मूल्य पर रहट बनाने के लिये टीन दी जाती है। वहां कोई सरकारी संस्था नहीं है जो रहट बनाती हो, इस के अतिरिक्त रहट का मूल्य तभी निर्धारित किया जा सकता है जब रहट बनाने वालों को निर्धारित मूल्य पर लोहा, टीन एवं अन्य सामग्री पूर्ण मात्रा में मिल सके तथा बाहर से कोई सामान न खरीदना पड़े।

देवरिया जिले में सेनेटरी इन्सपेक्टर

*३७--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने ऐसे सेनेटरी इंस्पेक्टर हैं जो तीन साल से अधिक अवधि से एक स्थान पर पर नियुक्त हैं और कहां-कहां कौन-कौन नियुक्त हैं ? उनमें से कितनों के विरुद्ध जब से नियुक्त है, जिलाधीश, स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री को शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों के बावजूद ऐसे इंस्पेक्टरों का तबादला न करने का कारण क्या है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

देवरिया जिले के निम्नलिखित सेनेटरी इन्सपेक्टर अपने स्थान पर ३ वर्ष से अधिक अवधि से हैं—

(१) श्री धर्मपाल सिंह .. विकास क्षेत्र, रुद्रपुर
(२) श्री बाल गोविन्द सिंह .. विकास क्षेत्र, पडरौना
(३) श्री शिव अवतार सिंह .. विकास क्षेत्र, हाटा
(४) श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह .. विकास क्षेत्र, सलीमपुर
(५) श्री अभिमन्यु सिंह .. विकास क्षेत्र, सदर

उक्त सेनेटरी इन्सपेक्टरों में से श्री धर्मपाल सिंह को छोड़ कर अन्य किसी के विरुद्ध शिकायतें नहीं मिली हैं। श्री धर्मपाल सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच जिला नियोजन अधिकारी द्वारा की गयी, परन्तु आरोप सिद्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं की गयी।

सहकारी निरीक्षकों का स्थायीकरण

*३८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत १९५१ से १९६४ तक प्रतिवर्ष कितने सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के पद स्थायी स्वीकृत किये गये तथा उक्त पदों पर कितने सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) १९५१ से १९६४ तक प्रतिवर्ष स्थायी किये गये ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी विभाग के अन्तर्गत सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के अधोलिखित पद १९५१ से १९६५ तक स्थायी किये गये। स्थायी किये गये कर्मचारियों की भी संख्या उनके सम्मुख अंकित है।

वर्ष	स्थायी किये गये पदों की संख्या	स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या
१९५१–५२	—	६
१९५२–५३	—	१२
१९५३–५४	—	३
१९५४–५५	—	३
१९५५–५६	८	१४
१९५६–५७	८	१२
१९५७–५८	१०	२५
१९५८–५९	६	७
१९५९–६०	७३	१६
१९६०–६१	—	५
१९६१–६२	—	—
१९६२–६३	४२	—
१९६३–६४	—	—
१९६४–६५	१०५	—

*३९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी निरीक्षक (द्वितीय श्रेणी) के कितने स्थायी पद १९५१ से १९६४ तक रिक्त हैं और क्यों ?

श्री बनारसीदास—

३१-३-६५ तक कुल २५८ स्थायी पद रिक्त हैं जिसमें ८० पद सहायक विकास अधिकारियों (सहकारिता) के इस विभाग में विलीनीकरण के पूर्व के हैं तथा शेष १७८ पद विलीनीकरण के पश्चात् के हैं। ८० पदों में ६७ पदों पर स्थायीकरण के आदेश सम्बन्धित कर्मचारियों के नियुक्ति पर लोक सेवा आयोग की पुष्टि प्राप्त हो जाने पर दिये जायेंगे। शेष १३ पद पर भी स्थायीकरण के आदेश उक्त मामलों पर लोक सेवा आयोग की पुष्टि पर ही अवलम्बित हैं क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारियों की ज्येष्ठता की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। १७८ पदों पर स्थायीकरण के आदेश सहायक विकास अधिकारियों (सहकारिता) तथा कोआपरेटिव इन्सपेक्टर (द्वितीय श्रेणी) की मिश्रित ज्येष्ठता सूची बन जाने पर दिये जा सकेंगे। अभी ज्येष्ठता सूची बनाने के सिद्धान्त विचाराधीन हैं।

चकिया व भदोही तहसील में हैसियत-कर

*४०—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ३ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि चकिया, बनारस स्टेट का ही हिस्सा है जिसमें जिला परिषद् ऐक्ट के लागू होते ही हैसियत-कर लग गया, लेकिन भदोही तहसील पर यह हैसियत-कर अब तक क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री राममूर्ति—

चकिया क्षेत्र में क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ लागू नहीं है। वहां पर हैसियत-कर यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट के अधीन टाउन एरिया कमेटी द्वारा लगाया गया है। भदोही तहसील में जिला परिषद् द्वारा यह कर लगाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

गांव सभा, जलालपुर खड़खड़ी के प्रधान पर आरोप

*४१—श्री विजयपाल सिंह, श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर—

क्या सरकार को पता है कि श्री शिव प्रसाद गुप्त, प्रधान ग्राम, जलालपुर खड़खड़ी ब्लाक मोरना, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर को एस० डी० एम०, जानसठ, श्री एन० एन० खरे ने जनवरी, फरवरी, सन् १९६३ को निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे और प्रधान ने उसकी जवाबदेही की या नहीं ? अगर प्रधान ने उत्तर दिया है, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, गांव सभा जलालपुर खड़खड़ी के प्रधान को निलम्बन करने के आदेश परगनाधीश जानसठ द्वारा दिनांक १९-१-६३ को दिये गये थे पर आदेश कार्यान्वित नहीं किये गये। प्रधान के विरुद्ध लोगों से रुपया वसूल करने एवं रसीद न देने का आरोप लगाया गया था। प्रधान ने उसकी कोई जवाब देही नहीं की।

*४२—श्री विजयपाल सिंह, श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शिव प्रसाद, प्रधान को सन् १९६३ से लेकर सन् १९६५ तक यानी दो साल की अवधि तक निलम्बित रखा गया ? क्या सरकार इसके विरुद्ध एस० डी० एम०, जानसठ के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। प्रधान को परगनाधीश द्वारा दो वर्ष की अवधि तक निलम्बित नहीं रखा गया। इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रायबरेली जिले में ब्लाकों पर व्यय

*४३--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के विभिन्न ब्लाकों को माह अप्रैल, सन् १९६४ से अब तक कितना-कितना रुपया किन किन मदों में दिया गया है और उसमें कितना खर्च हो चुका है ?

श्री राममूर्ति--

जिला रायबरेली के विभिन्न ब्लाकों को माह अप्रैल, ६४ से लेकर के ३० जून, ६५ तक विभिन्न मदों में कुल अंकन ३६,१५,६९४ रुपये एलाट किया गया था जिसमें से १९,५६,२५९ रुपया ६० पैसे व्यय हो चुके हैं। जिसका विवरण † संलग्न है।

*४४--श्री भगवानदीन--

क्या सरकार रुपया यह भी बतायेगी कि कितना रुपया ब्लाक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त समय में वेतन, भत्ता तथा रख-रखाव में खर्च किया गया ?

श्री राममूर्ति--

रायबरेली जिले के ब्लाक अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अप्रैल, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक वेतन, भत्ता, तथा रख-रखाव पर कुल १२,१७,५१९ रु० २८ पैसे खर्च हुये हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है--

		रु०
१--वेतन	.. .. ..	९,६१,६४२.६४
२--भत्ता	.. ..	१,७५,३३९.१४
३--रख-रखाव	.. ..	८०,५३७.५०
कुल योग	..	१२,१७,५१९.२८

सहायक विकास अधिकारी

*४५--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५७ के बाद के सहायक विकास अधिकारियों के स्थायीकरण की कोई सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रकाश में लायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

प्रसंगगत सूची तैयार नहीं हुई है।

गोलागोकरननाथ डिस्पेंसरी

*४६--श्री रामभजन (जिला खीरी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री खीरी के अन्तर्गत गोलागोकरन नाथ टाउन की डिस्पेंसरी, जो कि जिला परिषद् के द्वारा चलाई जा रही है, को स्टेट डिस्पेंसरी के रूप में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ।

बिलग्राम विकास खंड में पंचायत मंत्रियों का अवशेष वेतन

*४७--श्री पूरन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में विकास खण्ड बिलग्राम के पंचायत मंत्रियों के अवशेष कतिपय मासों का वेतन व अवशेष वेतन वृद्धि अब तक क्यों नहीं दी गई जबकि वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र जिला परिषद् कार्यालय, हरदोई द्वारा क्रमशः १९६१ व १९६३ ही में भेजे जा चुके हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

हर दोई जिले में विकास खंड बिलग्राम के किसी पंचायत मंत्री का अवशेष वेतन देय नहीं है । केवल दो पंचायत मंत्रियों की वेतन वृद्धियां १६ जून, १९६३ तथा ९ अक्तूबर, १९६४ से अब तक नहीं दी जा सकी क्योंकि एक पंचायत मंत्री की सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो रही थी और दूसरे पंचायत मंत्री की सेवा पुस्तिका के अंकन पूर्ण नहीं है । यह कहना गलत है कि वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र जिला परिषद् कार्यालय, हरदोई द्वारा १९६१ व १९६३ में भेजे गये थे ।

गोंडा जिले में जनशक्ति योजना

*४८--श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में जनशक्ति योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

एटा जिले में विकास अधिकारियों का वेतन

*४९--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

क्या विकास मन्त्री को यह ज्ञात है कि एटा जिले के कुछ विकास अधिकारियों को ४ मास से अधिक अवधि से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो विकास अधिकारी कौन-कौन हैं व कितने दिन का बकाया है तथा उन्हें अब तक वेतन न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

एक अप्रैल, सन् ६५ तक एटा जिले में कोई क्षेत्रीय विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी ऐसे नहीं थे जिन्हें चार मास से अधिक अवधि का वेतन देय था ।

डाक्टरों की कमी

*५०--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कौन-कौन और कितने अस्पताल ऐसे हैं, जहां इस समय डाक्टर नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

छिबरामऊ अस्पताल में लेडी डाक्टर न होना

*५१--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ जनाना अस्पताल में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस अस्पताल में दिनांक १-१-६४ से महिला चिकित्सक नहीं है ।

पैरा मेडिकल सहायकों का भत्ता

*५२--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत चेचक निरीक्षकों व पैरा मेडिकल सहायकों को समान रूप से बीस रुपया निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाता है, जबकि चेचक निरीक्षक का कार्य क्षेत्र केवल क्षेत्र समिति तथा पैरा मेडिकल सहायकों का कार्य क्षेत्र जिला व उनका हेड क्वार्टर भी होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पैरा मेडिकल सहायकों को अधिक यात्रा भत्ता देने का कष्ट करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां, पैरा मेडिकल सहायकों को निश्चित यात्रा भत्ता के अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का वास्तविक खर्च देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

गांव सभा, बिनौर की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन

*५३--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा बिनौर, परगना व जिला कानपुर की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले किन व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा बिनौर के प्रधान तथा सेक्रेटरी ने दोषपूर्ण अध्यासन हटाने हेतु तहसीलदार, कानपुर को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में कितनी रिपोर्टें की हैं ?

श्री राममूर्ति--

गांव सभा बिनौर की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा के प्रधान तथा सेक्रेटरी ने तहसीलदार कानपुर को वित्तीय वर्ष १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कोई रिपोर्ट नहीं की ।

बलरामपुर अस्पताल में नर्स द्वारा आत्महत्या

*५४--श्री जगन्नाथ राव--

क्या यह सत्य है कि २९ अप्रैल, १९६५ को लखनऊ स्थिति बलरामपुर अस्पताल में एक नर्स ने जबर्दस्ती आवश्यकता से अधिक ड्यूटी लिये जाने के कारण क्रुद्ध होकर आत्म हत्या कर ली ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद पर ब्याज दर

*५५--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो खाद प्रान्तीय कोआपरेटिव फेडरेशन को दी जाती है वह किन शर्तों पर मिलती है तथा खाद कितने दिन के क्रेडिट पर केन्द्र राज्य को देता है ?

श्री बनारसी दास---

प्रान्तीय कोआपरेटिव फेडरेशन को खाद १८ महीने के बिक्री खाते (out right sale) पर दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को भी खाद १८ महीने के क्रैडिट पर मिलती है।

*५६---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या सहकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जो खाद सहकारिता भंडार काश्तकारों को देते हैं उस पर काश्तकारों से लिय जान वाल ब्याज का प्रतिशत क्या है तथा खाद देने के कितने दिन के बाद ब्याज पड़ना प्रारम्भ होता है ?

श्री बनारसीदास---

ब्याज की मौजूदा दर सवा नौ प्रतिशत है। काश्तकार के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने की तिथि से ब्याज लगाया जाता है।

खोया कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, रामपुर गढौवा

*५७---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या १२, दिनांक २९ जुलाई, १९६४ के क्रम में प्रश्न कर्त्ता का कोई पत्र दिनांक ३ अगस्त, १९६४ उन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस मामले की जांच कराई गई या नहीं ? यदि कराई गई, तो किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बनारसीदास---

जी हां। मामले की जांच उप-निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ ने की।

जांच से यह ज्ञात हुआ कि खोया कोआपरेटिव सोसाइटी, रामपुर गढौवा को जो ५,००० रुपये का अनुदान इमारत बनाने के लिये मिला था वह पूर्व निर्मित इमारत (२४-८-५३ से २७-४-५७) के सिलसिले में मिला था न कि फिर से अभिवृद्धि के लिये। समिति के सेक्रेटरी पर समिति के धन को निजी काम में प्रयोग करने के आरोप निराधार हैं। मोटर सम्बन्धी शिकायत भी आधार रहित है। मोटर का प्रयोग लखनऊ खोया लाने के लिये किया जाता है न कि वैयक्तिक कार्यों के लिये।

*५८---श्री भीखालाल---

क्या सहकारिता मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ६, दिनांक १९ अगस्त, १९६४ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामपुर गढौवा, जिला उन्नाव के मैनेजर की आयु इस समय क्या है ? और सेवा नियमावली की आयु सम्बन्धी शर्त इन पर क्यों नहीं लागू की गई ?

श्री बनारसीदास---

इनकी आयु साढ़े ६१ वर्ष है। मैनेजर की कार्यकुशलता व स्वास्थ्य के आधार पर मैनेजमेंट ने उनकी चाकरी की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है क्योंकि यह बैंक के जिला सहकारी बैंक उन्नाव में विलयन होने का संक्रमण काल है।

उन पर सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते क्योंकि वे बैंक के अधिकारी हैं।

*५९--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामपुर गढौवा, जिला उन्नाव की सामान्य निकाय ने अपनी गत सामान्य वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है कि इस बैंक को सहकारी बैंक, उन्नाव से सम्बद्ध कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, रामपुर गढौवा ने जिला सहकारी बैंक उन्नाव में में विलियन के लिये प्रस्ताव किया है जिसे जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के कुछ शर्तों के साथ विलयन मंजूर कर लिया गया है ।

सहायक निबंधक, उन्नाव जिला सहकारी बैंक की साधारण सभा की मीटिंग करा कर विलियन की कार्यवाही के लिये प्रयत्नशील हैं ।

सिधौरा में अस्पताल की आवश्यकता

*६०--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौरा, जिला वाराणसी में कोई अस्पताल नहीं है जिस से वहां की तथा आसपास की जनता को चोलापुर पिंडरा ८ मील तथा १२ मील के करीब इलाज हेतु जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिधौरा में एक सरकारी अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? क्या पिंडरा ब्लाक सेन्टर में एक आयुर्वेदिक अस्पताल मंगारी में है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो क्या आयुवदिक अस्पताल को ही सिधौरा ले जाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

सिधौरा ग्राम के लगभग ७ मील की दूरी पर राजकीय एलोपैथिक औषधालय चोलापुर, ८ मील पर पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा ६ मील पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मंगारी कार्य कर रहे हैं । इस कारण सिधौरा में अभी कोई चिकित्सालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है । राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मंगारी का भी सिधौरा में स्थानान्तरण करना संभव नहीं है ।

कोआपरेटिव सोसाइटी, जिला मुरादाबाद में आडिट

*६१--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेबर कान्ट्रेक्ट ट्रान्शिपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी, जिला मुरादाबाद के माल गोदाम का आडिट कब से नहीं हुआ और क्या मंत्री जी उसका आडिट कराने का आदेश करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

सहकारी वर्ष १९६२-६३ के बाद से आडिट नहीं हुआ है । वर्ष १९६३-६४ का आडिट वर्ष ६४-६५ में होना चाहिये था पर कागजात उपलब्ध न होने के कारण न हो सका । कागजात उपलब्ध होने का प्रयत्न हो रहा है और मिलने पर आडिट की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

खीरी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम

*६२--श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, सन् १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक खीरी जिला अस्पताल में कितने पोस्टमार्टम किये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

३०५ ।

*६३--श्री रामचरण शाह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने पोस्ट मार्टम किये गये उनमें से कितने सिविल-सर्जन साहब ने और कितने मेडिकल अफिसर इंचार्ज ने किये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उपर्युक्त ३०५ पोस्टमार्टम में से ९० सिविल सर्जन ने तथा १५५ मेडिकल आफिसर इंचार्ज ने किये शेष ६० पोस्टमार्टम अन्य मेडिकल अफिसरों द्वारा किये गये ।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ, के प्रिंसिपल के विरुद्ध जांच

*६४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के खिलाफ १९६३ में कोई विभागीय जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सन् १९६० में नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल की शैक्षक योग्यताओं क विरुद्ध सरकार को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसे होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को भेजा गया । इस पर बोर्ड ने एक जांच समिति नियुक्त की, जिसके कि मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार से थे:

(क) डा० जे० सी० शर्मा ने धोखे से तृतीय वर्ष कक्षा में दाखिला लिया ।

(ख) उन्होंने यह मिथ्या उल्लेख किया कि वह एम० एम० डी० की डिग्री रखते हैं जब कि यह डिग्री उनके पास नहीं थी ।

(ग) अमेरिकन होम्योपैथिक कालेज की एच० एम० डी० डिप्लोमा की मूल प्रतिलिपि नहीं दिखाई ।

(घ) बी० एम० एस० की डिग्री कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त की गई समझी जानी चाहिये ।

(ङ) डा० जे० सी० शर्मा की एच० एम० बी० की डिग्री कपटपूर्ण आचरण के फलस्वरूप रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट में जोड़ी गई ।

चूंकि यह सरकारी कालेज नहीं था अपितु आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था । अतः कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष को यह आदेश दे दिये गये कि वह आगरा विश्व-विद्यालय के उपकुलपति की पूर्व स्वीकृति से नियमानुसार डा० जे० सी० शर्मा के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें ।

*६५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लखनऊ स्थित होम्योपैथिक कालेज के प्रिंसिपल पद के लिये न्यूनतम योग्यता सरकार द्वारा क्या निर्धारित है तथा वर्तमान प्रिंसिपल की क्या योग्यता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उक्त पद के लिये सरकार ने कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की है। नियुक्ति के समय वर्तमान प्रिंसिपल की योग्यतायें निम्नलिखित थीं :

(१) बी० एस० सी० (लखनऊ विश्वविद्यालय)।
(२) बी० बी० एम० (नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज)।
(३) एच० ला० बी० (नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज)।
(४) बी० एम० एम० (नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज)।
(५) डी० एफ० होम (लन्दन) आदि।

*६६--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

[हटा दिया गया।]

दहगवां में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

*६७--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बदायूं जिले के विकास खंड दहगवां में जनाने अस्पताल की अत्यन्त आवश्यकता है, क्या सरकार वहां कोई जनाना अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

दहगवां में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक मातृ-शिशु-कल्याण केन्द्र कार्य कर रहा है। इस स्थान से ९ मील दूर सहसवान में तथा १४ मील दूर इस्लाम नगर में महिला चिकित्सालय स्थापित हैं। प्रदेश में महिला डाक्टरों, महिला कम्पाउन्डरों की वर्तमान भारी कमी को देखते हुये दहगवां में महिला चिकित्सालय स्थापित करना संभव नहीं है।

श्रमिक कल्याण योजना संबंधी रिपोर्ट

*६८--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा चौथी योजना में श्रमिक कल्याण की योजनाओं के निर्माण के लिये निर्मित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र के समान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी सभी श्रमिक कानून कड़ाई से लागू किये जांयेगे ?

श्री बनारसीदास--

जी हां।

श्री ऊदल--

क्या उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिक सम्बन्ध दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे है और सरकारी संस्थानों में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने पर उनके हल के लिये अभिनिर्णय की व्यवस्था की जानी चाहिये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास---

जी हां, उस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र में बिगड़ते हुये श्रमिक सम्बन्धों का उल्लेख है। परन्तु उसमें इस क्षेत्र के विवादों के लिये अभिनिर्णय की व्यवस्था का कोई स्पष्ट सुझाव नहीं है।

*७०—श्री राजेन्द्र सिंह तथा श्री बेद राम (जिला एटा)—

[वापस लिया गया ।]

*७१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोंडा जिले में चेचक

*७२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले में मई, १९६५ में चेचक का बड़े जोरों से जो प्रकोप हुआ उसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मई, सन् १९६५ के महीने में चेचक से ८ रोगी ग्रस्त हुये और १ की मृत्यु हुई । केवल ६ गांव से बीमारी की सूचना प्राप्त हुई जिससे यह स्पष्ट है कि प्रकोप जोरों से नहीं था ।

इसकी रोकथाम के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने रोग ग्रस्त गांव में जाकर निरीक्षण किया और टीकाकारों द्वारा इन गांव में १५२९ टीके लगाये गये जिसके फलस्वरूप रोग पर शीघ्र ही काबू कर लिया गया ।

उमर्दा विकास क्षेत्र में अस्पताल के लिये इमारत

*७३—श्री होरीलाल यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद में बनने वाला पुरुष अस्पताल कहां बनाने का विचार है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अस्पताल के लिये श्री पी० के० शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर अपनी कोई इमारत दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार को उस इमारत में अस्पताल रखने में क्या असुविधा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला फर्रुखाबाद के उमर्दा विकास क्षेत्र में पुरुष अस्पताल के लिये इमारत ग्राम उमर्दा में ही बनवाने का विचार है । श्री पी० के० शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर, अपनी जो इमारत दान में दे रहे हैं उसमें उपरोक्त अस्पताल को रखने में सरकार को कोई असुविधा नहीं है ।

कानपुर जिले के लिये नवीन चिकित्सालय

*७४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना की शेष अवधि तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधालय एवं चिकित्सालय खोले जायेंगे तथा उनमें से कानपुर जिले में कितने खुलेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में १४ एलोपैथिक चिकित्सालय और स्थापित करने की योजना है तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना के लिये इस अवधि में अब कोई प्राविधान विद्यमान नहीं है । जिला कानपुर के लिये कोई निश्चित संख्या नहीं है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों के खोले जाने की संख्या अभी निर्धारित नहीं हुई है ।

*७५—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सखरेज, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर में लगभग १५ वर्ष पूर्व एलोपैथिक चिकित्सालय खोलना स्वीकार हुआ, किन्तु स्थानाभाव के कारण वह चिकित्सालय ग्राम शिवली, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर में इसी नाम से चल रहा है तथा सन् १९६२-६३ में सखरेज ग्राम के प्रधान ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि उपरोक्त चिकित्सालय सखरेज में स्थानान्तरित कर दिया जाय, वहां वे स्थान देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, सखरेज जिला कानपुर के लिये सरकार ने मेडिकल पोस्टवार स्कीम के अन्तर्गत सन् १९४९ में एक अस्पताल खोलना स्वीकार किया था। परन्तु स्थानाभाव के कारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर ने उसे शिवली में स्थापित किया।

अगस्त, १९६२ में ग्राम प्रधान सखरेज का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने प्रार्थना की कि उक्त अस्पताल शिवली से सखरेज स्थानान्तरित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में सिविल सर्जन कानपुर से सूचित किया कि उक्त अस्पताल आबादी एवं यातायात की सुविधा को देखते हुये उपयुक्त स्थान (शिवली) पर है और उसका स्थानान्तरण जनहित में नहीं होगा। अतएव, सरकार ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया।

*७६—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि शिवली का चिकित्सालय सखरेज स्थानान्तरित करने में कठिनाई है तो नये खुलने वाले औषधालय एवं चिकित्सालय में से वे एक सखरेज में खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सखरेज में चिकित्सालय खोलने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है।

गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ संबंधी शिकायतों की जांच

*७७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दैनिक-पत्र नेशनल हेरल्ड, लखनऊ दिनांक ५ मई, १९६५ के पृष्ठ ५ पर लिखित डा० डी० एस० गोयल के लेख की ओर गया है जिसमें गांधी मेमोरियल अस्पताल जो किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के साथ सरकार चलाती है, के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। उस पर अस्पताल के अधीक्षक से छानबीन करने के लिये कहा गया था। उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है वह लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई है, क्योंकि कथित अस्पताल विश्वविद्यालय के अधीन है।

*७८—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त शिकायतों से किस-किस सरकारी कर्मचारी का सम्बन्ध है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कोई सरकारी कर्मचारी शिकायतों से सम्बन्धित नहीं है।

सहकारी विकास संघ दुद्धी

*७९—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के दुद्धी सहकारी विकास संघ की, जीप नं० यू० एस० एम० ८१८ तथा यू०एस० एम०१५५४ का प्रयोग दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ व १७ फरवरी, १९६४ से १९ फरवरी, १९६४ तथा १९ मार्च, १९६४ से ७ अप्रैल १९६४ तक सहायक निबंधक श्री विध्यांचल राय ने किया है ? यदि हां, तो उक्त यात्राओं का टी० ए० चार्ज करने के बाद उपरोक्त गाड़ियों का जो खर्च पड़ा था उसे दुद्धी सहकारी विकास संघ, मिर्जापुर को दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*८०—श्री झिलमिटराम तथा श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मिर्जापुर सहकारी विकास संघ, दुद्धी के सन् १९६२-६३ के दरमियान आडिटर द्वारा आडिट रिपोर्ट में करीब ७०,००० रु० का अपहरण बोड़ी पत्ती कमीशन तथा बिक्री का पकड़ा गया था, जिसमें सहायक निबन्धक, श्री विध्यांचल राय का भी सम्बन्ध था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आडिट रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*८१—श्री झिलमिटराम तथा श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के सहकारी विकास संघ दुद्धी के मंत्री का नामांकन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हिलालपुर साधन सहकारी समिति में गबन की जांच

*८२—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिलान्तर्गत बेलसड़ विकास क्षेत्र की हिलालपुर साधन सहकारी समिति के सरपंच द्वारा कर्जा का रुपया गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश गोंडा को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? और गबन की धनराशि कितनी है ?

श्री बनारसीदास—

अब तक की जांच से यह मालूम हुआ कि हिलालपुर साधन सहकारी समिति के कुछ सदस्यों को सरपंच ने फर्जी कर्जा बांटा है।

जिलाधीश गोंडा को इस विषय में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। गबन की धनराशि की अभी निश्चित सूचना नहीं है। मामले में जांच जारी है।

श्री प्यारेलाल अस्पताल, मेरठ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*८३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें १४ मार्च, १९६५ अथवा उसके आस-पास श्री जे० एन० मलिक, साउथ पटेलनगर, नई दिल्ली का कोई आवेदन-पत्र १८ फरवरी, १९६५ को श्री प्यारेलाल अस्पताल, मेरठ में डाक्टरों की असावधानी एवं उपेक्षा के कारण श्री दरबारी लाल टंडन की हुई मृत्यु की जांच तथा आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में मिला ? यदि हां, तो जांच के परिणाम-स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

जी हां, ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें लगाए गए आरोपों की जांच हो रही है।

आसाम रिलीफ फंड

*८४--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग में आसाम रिलीफ फन्ड नाम से गत ५ वर्षों के भीतर कोई कोष एकत्र किया गया है? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया एकत्र किया गया?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

जी नहीं।

*८५--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त एकत्रित धन का क्या उपयोग किया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्न नहीं उठता।

दहगवां ब्लाक की इमारत

*८६--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, ब्लाक दहगवां में ब्लाक की इमारत कब तक बन जाएगी?

श्री राममूर्ति--

विकास खण्ड, दहगवां, जिला बदायूं का भवन निर्माण मार्च, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

रायबरेली जिले में विकास खंडों से कुओं के लिये अनुदान

*८७--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड सतांव, विकास खण्ड डलमऊ, लालगंज में किन-किन व्यक्तियों को कुआं के लिए पम्पिंग सेट के लिए कितना-कितना रुपया सन् १९६४-६५ में अनुदान दिया गया?

श्री राममूर्ति--

जिन व्यक्तियों को कुआं के लिए अनुदान दिया गया इनकी सूची संलग्न है। सन् १९६४-६५ में पम्पिंग सेट के लिए अनुदान देने का कोई प्राविधान नहीं था; अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास खंड, दहगवां से सीमेंट वितरण

*८८--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के प्रारम्भ से फरवरी, १९६५ तक सीमेंट का कितना स्टाक प्रतिमास ब्लाक के पास आया एवं उसका वितरण गांव के अनुसार सार्वजनिक निर्माण एवं निजी कार्यों के लिए कितना-कितना किया गया?

श्री राममूर्ति--

सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

ऐक्सरे मशीनें

*८६--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में दिनांक १५ मई, १९६५ को कुल कितनी एक्सरे की मशीनें थीं तथा इनमें से कितनी मशीनें थी जो कि बिगड़ी होने के कारण काम नहीं कर सकती थीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९०--श्री हरीशकुमार गंगवार--

[हटा दिया गया।]

*९१--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--

[हटा दिया गया।]

सहकारी सम्मेलन फतेहपुर

*९२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार को पता है कि जिलाधीश फतेहपुर द्वारा २७ सितम्बर, १९६४ को सहकारी सम्मेलन करने और सहकारिता मन्त्री द्वारा उद्घाटन करने सम्बन्धी पर्चे छपा कर यात्रा भत्ते पर प्रधानों, पंचों, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों सरपंचों और जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों को आमन्त्रित किया गया था ?

श्री बनारसीदास--

जी हां।

*९३--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, फतेहपुर द्वारा आयोजित उक्त उम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए दिनांक २७ सितम्बर, १९६४ को सहकारिता मन्त्री, फतेहपुर पधारे थे ? यदि हां, तो सम्मेलन कहां हुआ और प्रबन्ध में कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री बनारसीदास--

जिला सहकारी सम्मेलन, फतेहपुर जिला सहकारी बैंक के प्रांगण में हुआ था और उसके प्रबन्ध में कुल ६५१ रु० ३२ पैसे खर्च हुए थे।

*९४--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उक्त सम्मेलन में आए हुए प्रधानों, प्रतिनिधियों, सरपंचों एवं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के यात्रा भत्तों में कितना धन खर्च हुआ ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री बनारसीदास--

पंचायतों, सहकारी समितियों तथा विकास खण्डों से यह सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय लगेगा। परन्तु यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त सम्मेलन व ऐसे ही अन्य सम्मेलनों व गोष्ठियों में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों को सम्बन्धित संस्थाओं से यात्रा व्यय प्राप्त करने का नियम है। इस आशय का नोट भी जो पर्चा छापा गया था उसमें दे दिया गया था।

सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने-अपने विभाग के बजट से यात्रा भत्ता लेते हैं।

सहकारी संघ, धानापुर में कथित गबन

*९५--श्री जगदीशसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, धानापुर, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी में ५० हजार रु० का गबन हो गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और इस गबन के कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं, इस संघ में ५० हजार रु० के गबन का कोई मामला नहीं है अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी

*९६--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार शहरों के बीड़ी मजदूरों को १ रु० ८७ पै० व देहातों के मजदूरों को १ रु० ७५ पै० प्रति हजार बीड़ी बनाने का दिया जाने का निश्चय किया जा चुका है? यदि हां, तो झांसी, मऊ व ललितपुर के बीड़ी मजदूरों को १० मई, १९६५ के बाद भी मालिकों द्वारा प्रति हजार उपरोक्त दर के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त स्थान के कितने कारखानों के मालिक सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं व कितने कारखाने विपरीत कार्य कर रहे हैं व सरकार द्वारा आदेश मनवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और वर्तमान दर वहां क्या है?

श्री बनारसीदास--

जी हां, ऐसा निश्चय १ जुलाई, १९६५ से किया गया। अतएव इससे पहले उक्त दर के हिसाब से मजदूरी देने का प्रश्न नहीं उठता। झांसी, मऊरानीपुर तथा ललितपुर म्युनिसिपल क्षेत्र में है। अतः वहां पर बीड़ी मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं:

(१) ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी	१ रु० ८७ पैसे प्रति १,००० बीड़ी
(२) नियतकालिक वेतन पाने वाले वयस्क कर्मचारी।	४५ रु० प्रति मास या १ रु० ७३ पैसे प्रति दिन।

एक अवयस्क कर्मचारी की वेतन दरें एक वयस्क कर्मचारी की वेतन दरों का दो तिहाई होगी।

अध्यक्ष, जिला परिषद, बलिया के विरुद्ध शिकायत

*९७--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ का लिखित प्रार्थना-पत्र विल्थरा रोड बाजार, जिला बलिया के लगभग १०० नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ

उनको, मुख्य मन्त्री, जिलाधीश, बलिया, अध्यक्ष, जिला परिषद् आदि को प्राप्त हुआ है जिसमें जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत की गई है कि रेलवे स्टेशन के मालगोदाम से जिला परिषद् के निरीक्षण भवन तक की भूमि को नए सिरे से दूकानों का निर्माण करने के लिए लगभग ३० हजार रुपया जनता से अध्यक्ष द्वारा लिया गया और वितरित भूमि पर दूकानों को बनाने से रोका जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति—

बेल्थरा रोड बाजार के ११३ नागरिकों के हस्ताक्षर द्वारा भेजा गया तथा तिथि रहित टाइप किया हुआ, अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, बलिया के कार्यालय में दिनांक २३ दिसम्बर, १९६४ को प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना-पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि रेलवे स्टेशन के मालगोदाम से जिला परिषद् के निरीक्षण भवन तक की भूमि को नए सिरे से दूकानों का निर्माण कराने के लिए लगभग ४० हजार रुपया जनता से अध्यक्ष द्वारा लिया गया और वितरित भूमि पर दूकानों को बनाने से रोका जा रहा है। जिला अधिकारी, बलिया ने इस प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया को आख्या हेतु भेज दी। इस समय यह मामला जिला परिषद् की एक उप समिति को विचारार्थ सौंप दिया गया है। जिला परिषद् से आख्या प्राप्त होने पर मामले में जांच हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

श्री उमादत्त प्रधान, ग्राम सभा, त्रिलोकपुर के विरुद्ध शिकायत

*९८—सरदार बल्देवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री उमादत्त प्रधान, ग्राम सभा, त्रिलोकपुर, विकास क्षेत्र, मुजेहना, जिला गोंडा ने जनवरी-फरवरी, १९६२ में दो हजार रुपए प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण हेतु अनुदान उठाया था परन्तु उक्त रुपए को व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर लेने के कारण कार्य पूरा नहीं कर सके ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उनके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, गांव सभा त्रिलोकपुर के प्रधान श्री उमादत्त को वर्ष १९६१–६२ में प्राइमरी पाठशाला भवन के निर्माण हेतु २,५०० रु० अनुदान दिया गया था परन्तु प्रधान ने यह धन व्यक्तिगत कार्यों में व्यय नहीं किया है। कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है। सीमेंट की कमी तथा गांव सभा के अंशदान के वसूल न हो पाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए उक्त प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९९—सरदार बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रधान ने ५०० रुपए अनुदान कूप निर्माण सुख हेतु १९६२–६३ में उठाया था परन्तु श्री जनके, पुत्र श्री असरफी हरिजन को केवल १४० रुपया ही दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

उक्त प्रधान ने श्री जनके, पुत्र असरफी हरिजन के प्रार्थना-पत्र के आधार पर गांव सभा के नाम एक नलकूप निर्माण-कार्य स्वीकृत कराया, जिसके लिए ५०० रुपए अनुदान स्वरूप प्राप्त हुए तथा प्रधान ने नलकूप का निर्माण श्री जनके के दरवाजे पर करवा दिया। श्री जनके को कोई भी धन नहीं दिया गया और न देने की आवश्यकता ही थी।

लहर ग्राम के प्रधान पर आरोप

*१००—श्री बेदराम—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सोरों, जिला एटा के अन्तर्गत लहर ग्राम के प्रधान ने १,२०० रु० अब से दो वर्ष से भी अधिक समय पहले उपरोक्त ग्राम में दो कुयें बनवाने हेतु जिला नियोजन समिति से अनुदान रूप में लिया था परन्तु अब तक कोई कुआं नहीं बनवाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०१—श्री बेदराम—

क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रधान ने जो अब ब्लाक प्रमुख हैं, उस ग्राम में स्थित पिछले बन्दोबस्त से भी बहुत पहले बने उपरोक्त ग्राम के दो कुओं को ही बनवाया हुआ दिखा कर पूरी रकम हड़प ली ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, सीतापुर के विरुद्ध शिकायत

*१०२—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर में जनवरी के अन्तिम सप्ताह में वहां के राजपत्रित कर्मचारियों ने जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध सामूहिक प्रतिवेदन दिया था ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। यह प्रतिवेदन जिलाधिकारी सीतापुर को दिया गया था जिन्होंने इस पर उचित कार्यवाही की थी।

साहबराम यादव, सहायक विकास अधिकारी, कुरावली

*१०३—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के १९६५ से ६वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री साहबराम यादव, स० वि० अ० (कृषि), कुरावली ब्लाक, जिला मैनपुरी में सन् १९५९ से कार्य कर रहे हैं? उन्होंने मैनपुरी जिले में किस ब्लाक में किस-किस पोस्ट पर कितने-कितने समय काम किया ? और मैनपुरी जिले में कितने समय से हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। श्री साहबराम यादव, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) कुरावली ब्लाक में ही २-१-१९५७ से १-८-१९५९ तक ग्राम सेवक पद पर तथा २-८-१९५९ से ३१-७-१९६५ तक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) पद पर रहे और अब इसी जिले के बेवर ब्लाक में उसी पद पर स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।

वे मैनपुरी में ही २-१-१९५७ से हैं।

मुरादाबाद तथा सहारनपुर में शराब के ठेके

*१०४--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सहारनपुर तथा मुरादाबाद जिलों में १९६३-६४, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में भिन्न-भिन्न शराब की दूकानों के ठेके कितने-कितने रुपए में नीलाम हुए ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना संलग्न तालिका नं० (१) व (२) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०४-३०६ पर)

*१०५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में कुछ शराब की दूकानों के ठेके सहारनपुर के ठेकेदारों को दिए गए ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*१०६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि क्या यह सत्य है कि कुछ शराब की दूकानों के ठेके मुरादाबाद जिले में दिनांक ३१ मार्च, १९६५ के आस-पास दोबारा नीलाम हुए ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? और कितने-कितने में ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। निर्दिष्ट तिथि के आस-पास जिला मुरादाबाद में निम्नलिखित ठेके दुबारा नीलाम हुए। प्रत्येक के नीलाम की धनराशि भी सम्मुख लिखी है :

नाम दूकान	धनराशि
	रु०
१--गजरौला	६०,९००
२--हसनपुर	२६,४००
३--धनौरा	१६,२००

ब्लाक तोड़ना

*१०७--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी), श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़), श्री मुरलीधर कुरील तथा श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य से २४० ब्लाक तोड़ने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। खर्चे में कमी करने के लिए लगभग २२४ ब्लाक कम करने का विचार है।

झांसी की मजदूर बस्तियों में अस्पताल न होना

*१०८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि नगरा व पुलिया नं० ९ व सीपरी बाजार, झांसी इत्यादि की मजदूर बस्तियों, जिनकी जन-संख्या लगभग ४० हजार होगी और जिनके समीप अनेक देहात भी लगे हैं वहां सरकार सिविल अस्पताल, झांसी की कोई शाखा जनहित में खोलने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना के लिए तैयार किए गए प्रारूप में कुछ पेरीफेरल डिस्पेन्सरीज खोलने की एक योजना प्रस्तावित है। इस योजना के स्वीकृत हो जाने पर उन स्थानों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, जहां उक्त डिस्पेन्सरीज खोली जानी हैं। ऐसा करते समय प्रश्नगत स्थानों की आवश्यकता पर भी विचार किया जा सकता है।

गांव सभा, गजोखर के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*१०९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गजोखर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध अनियमित कार्य करने तथा प्राइमरी स्कूल की इमारत हेतु सरकारी अनुदान एवं जनता के चन्दे के दुरुपयोग के संबंध में सन् १९६४ में कितनी दरख्वास्तें वहां की जनता ने परगनाधीश, ए० डी० एम०, प्लानिंग तथा पंचायतराज अधिकारी वाराणसी को दी है और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*११०—श्री श्योराम (जिला बिजनौर)—

[२रे सोमवार के लिये प्रश्न सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१११—श्री बेदराम—

[३रे मंगलवार के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[३ अगस्त, १९६५ को प्रश्न १०५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।)

अतारांकित प्रश्न

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कानपर के कार्यालय में हरिजन कर्मचारी

१—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय ही स्वास्थ्य विभाग, कानपुर की जिला यूनिट में कितने लिपिक (क्लर्क) तथा चपरासी कार्य कर रहे हैं। उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०७—३०७ पर।)

२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६२ ई० से अब तक कानपुर यूनिट में कितने क्लर्क, चपरासी की नियुक्तियां प्रति वर्ष की गई हैं ? उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३०७–३०८ पर ।)

३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६३ से अब तक कितने क्लर्क व चपरासी को कानपुर जिला स्वास्थ्य यूनिट में नौकरी से पृथक् किया गया है तथा उनमें कितने हरिजन हैं और हटाने का आधार क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर के कार्यालय में जनवरी, १९६३ से अब तक एक चपरासी को नौकरी से पृथक किया गया । वह हरिजन नहीं था । उसको नौकरी से पृथक करने का कारण यह था कि वह अपने काम की उपेक्षा करता था, आज्ञा का उल्लंघन करने का अभ्यस्थ था तथा कर्मचारियों और जनता से उसका उचित व्यवहार नहीं था ।

राबर्ट्सगंज तहसील में कुओं की कमी

४—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के तहसील राबर्ट्सगंज के विकास खंड नगवा, चोपन, घोरावल, चतरा राबर्ट्सगंज में कितने गांव जहां अभी तक पानी के कुयें नहीं हैं ? और यदि हैं, तो गर्मी में सूख जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड, नगवां, चोपन, घोरावल, चतरा व राबर्ट्सगंज में प्राप्त सूचना के आधार पर क्रमशः २०, २१, ७, २४ व २ गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पानी पीने के कुयें नहीं हैं, और इन्हीं खंडों में क्रमशः १७, २१, २, २ व २९ गांव ऐसे हैं जहां पानी पीने के कुयें गरमी में सूख जाते हैं ।

५—श्री रामनाथ पाठक—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सालों में जो कुछ कुयें सरकारी अनुदान से बनाये गये उनका १९५४ से अब तक के कुयें का पूर्ण अनुदान कुआं बनने पर अब तक नहीं मिला ? क्या उसे जल्द दिलवाने की कृपा करेंगे तथा उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने कुआं बनने पर आज तक अनुदान नहीं दिया और जिससे लोग आज तक परेशान हुये ?

श्री राममूर्ति—

सन् १९५४ से जितने भी कुयें पूर्ण हुये थे और उनके वाउचर इत्यादि नियमित ढंग से प्राप्त हो गये थे उन पर अनुदान दे दिया गया है । अतः किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

६—श्री रामनाथ पाठक—

क्या विकास मंत्री को मालूम है कि उपरोक्त ब्लाक के गांव के लोग गर्मी में पीने के पानी के लिये घर से २–३–५ मील तक पानी लेने जाते हैं? क्या उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्र करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? और कितने गांव ऐसे हैं इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

इन क्षेत्रों में पानी पीने की सुविधा हेतु कुयें बनवाने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। पथरीली चट्टानों में बोरिंग बड़ी मुश्किल से होती है और बहुत समय लगता है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि कब तक यह व्यवस्था कर दी जायगी। पर यथा शक्ति जल्दी से जल्दी ही सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा ऐसे गांवों की संख्या प्रश्न ४ के उत्तर में दे दी गई है।

ग्राम खैलार में प्रधान का पद

७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ग्राम खैलारा, जिला झांसी के सभापति का पद चुनाव याचिका द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर खाली करा दिया गया है? यदि हां, तो ग्राम खैलार (झांसी) में कई माह तक दूसरा चुनाव न होने के क्या कारण हैं?

श्री राममूर्ति—

जी हां, ग्राम खैलार, जिला झांसी के प्रधान का पद उक्त न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिक्त हो गया था। इस निर्णय की सूचना जिला पंचायत अधिकारी, झांसी को ६-३-६५ को मिली। उप निर्वाचन करा दिया गया है।

कटेहर क्षेत्र में निर्माण कार्य

८—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी किन-किन गांवों में पंचायत भवन, पुस्तकालय और वाचनालय, गलियों में खड़ंजा, खाद के पक्के गड्ढे, गलियों में रात्रिकालीन प्रकाश, बालकों के लिये खेलकूद और क्रीड़ा के लिये भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है?

श्री राममूर्ति—

कटेहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिन-जिन गांवों में उक्त व्यवस्था हो चुकी है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०९-३१० पर)

साधन सहकारी समिति, टिकुरी के खाद मूल्य का बकाया

९—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत विकास खंड, रामनगर में स्थित साधन सहकारी समिति, टिकुरी का खाद मूल्य कृषि विभाग, रामनगर के ऊपर बाकी है? यदि हां, तो यह धनराशि क्या है और उसकी अदायगी के लिये कब-कब साधन सहकारी समिति, टिकुरी द्वारा दाखिल किये गये?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

१७,०१५ रु० बकाया था। जिसकी अदायगी के लिये समिति ने दिनांक ३०-६-६३ को सहायक विकास अधिकारी, रामनगर के पास बिल भेजा था। इस बिल में कुछ शाब्दिक एतराज किये गये थे जिनका अनुपालन करके समिति ने ३०-३-६४ को पुनः प्रेषित किया।

अब दिनांक २९-७-६५ को बिल की पूर्ण धनराशि ९५ कैपिटल आउट-ले में पी० सी० एफ० के हिसाब में जमा हो गई है ।

१०—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहायक विकास अधिकारी कृषि, रामनगर ने उपरोक्त बिल के भुगतान-स्वरूप कृषि अन्न भंडार, बदोसराय को साधन सहकारी समिति, टिकुरी को खाद देने को आदेश दिया था ? यदि हां, तो कब आदेश दिया गया और उस आदेश पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) रामनगर ने १६-१०-१९६३ को अन्न भंडार बदोसराय को टिकुरी साधन सहकारी समिति, के खाद देने का आदेश दिया था । इस आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पी०सी०एफ० द्वारा कृषि विभाग से बिल के नकद भुगतान के लिये आदेश थे। दिनांक ३०-७-६४ को आनरेरी सुपरिंटेंडेंट पी०सी०एफ० (फर्टीलाइजर) बाराबंकी में जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी से अनुरोध किया कि टिकुरी साधन सहकारी समिति, की खाद का बकाया ९५ कैपिटल आउट-ले में जमा कर दी जाय। दिनांक २९-७-६५ को १७,०१५ रु० बकाया की पूर्ण धनराशि कृषि विभाग ने ९५ कैपिटल आउट-ले जमा कर दी है ।

११—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिलान्तर्गत विकास खंड, रामनगर में साधन सहकारी समिति, टिकुरी को अन्न भंडार बनाने की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब स्वीकृति दी गई और कब-कब अन्न भंडार पूर्ण हो जाने का आदेश दिया और कितनी-कितकी धनराशि ऋण और अनुदान के रूप में देने की स्वीकृति दी गई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

साधन सहकारी समिति, टिकुरी को ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु ३०-३-१९६३ को स्वीकृति दी गई थी इसको पूरा कराने के लिये एक वर्ष का समय दिया गया था । इसक लिये ९,३७५ रु० ऋण तथा ३,१२५रु० अनुदान स्वीकृत हुआ था पर अब समिति गोदाम नहीं बनवाना चाहती है ।

१२—श्री उल्फतसिंह यादव—

[१ ले शुक्रवार के लिये प्र०सं० १२ के अन्तर्गत स्थानन्तरित किया गया।]

१३—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ऊदल—

[हटा दिया गया]

सिविल अस्पताल, झांसी, का महिला वार्ड

१४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी के सिविल अस्पताल से लेडीज वार्ड में नर्सिंग की कमी है ? यदि हां, तो क्यों व सन् १९६२ से मई सन् १९६५ तक कितनी महिलाओं का दाखिला उपचार हेतु हुआ, उनमें कितनी की मृत्यु हुई व नर्सेज की तादाद प्रति मरीज कितनी रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सिविल अस्पताल, झांसी के महिला वार्ड में नर्सों की कमी नहीं है ।

सन् १९६२ से मई, १९६५ तक उक्त वार्ड में २,३२४ महिलायें उपचार हेतु भर्ती हुईं जिनमें २६२ महिलाओं की मृत्यु हो गई ।

नर्सों की संख्या प्रति१३ मरीज पर एक रही है ।

कानपुर तथा झांसी में टी०बी० का इलाज

१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी टी० बी० अस्पताल में कितनी चारपाइयां (पलंग) का प्रबन्ध है व मरीजों के लिये भोजन इत्यादि की क्या व्यवस्था है व कितना रुपया सरकार ने दवा व भोजन हेतु उक्त अस्पताल को सन् १९६४ से मई सन् १९६५ तक दिया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

झांसी में कोई राजकीय टी०बी० अस्पताल नहीं है वरन् वहां स्थित टी० बी० क्लीनिक में २० शय्याओं के एक वार्ड का निर्माण किया गया है । उक्त वार्ड के लिये साज-सज्जा, दवा, मरीजों के लिये भोजन आदि का प्रबन्ध करने के संबंध में शासकीय आदेश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे ।

१६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कानपुर में सन् १९६० से मई १९६५ तक कितने टी०बी० के मरीज भरती हुए व उनमें से कितनों की मृत्यु हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानपुर अस्पतालों में सन १९६० से मई सन् १९६५ तक ३५८८ टी०बी० के मरीज भर्ती हुये उनमें से ३३० मरीजों की मृत्यु हुई ।

१७—श्री लखपतराम शर्मा—

[हटा दिया गया]

सहकारी समिति, गौरा को ऋण

१८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मंत्री के पास देवरिया के भागलपुर विकास खंड के अन्तर्गत सहकारी समिति में गबन की शिकायत उन्हें वहां के किसी विधायक द्वारा माह मई, १९६५ में मिली है ? यदि हां, तो कौन-सी कार्यवाही उस पर की गई ?

श्री बनारसीदास—

ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

१९—श्री उग्रसेन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९६५ में सहकारी समिति, गौरा (सलेमपुर), देवरिया को कितना ऋण मिला और उक्त धनराशि का क्या हुआ ?

श्री बनारसीदास—

कुल ६,०८० रु० नकद ऋण मिला। यह धन कोषाध्यक्ष द्वारा सलीमपुर से बरहज ट्रेन में ले जाया जा रहा था रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन पर आक्रमण किया और उनके कुर्ता व बंडी फाड़कर ६,८३० रु० लूट लिया। २,२५० रु० जो अलग था वह बच गया और उसका वितरण सदस्यों में कर दिया गया।

आयुक्त कृषि उत्पादन के लखनऊ कार्यालय में राजपत्रित अधिकारी

२०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन एवं विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में ऐसे राजपत्रित अधिकारी कौन-कौन हैं जो उसी कार्यालय में ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं तथा ३ वर्षों से अधिक व्यतीत होने पर स्थानान्तरित किये जाने का नियम होने के बाद भी इन सभी को स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास कार्यालय में ६ राजपत्रित अधिकारी ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है। विभागाध्यक्ष के मुख्यालय पर राजपत्रित अधिकारी ४ वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ६ अधिकारी में से केवल २ अधिकारियों को ४ वर्ष से अधिक का समय हुआ है। इन दो अधिकारियों को उनकी विशेष योग्यता व अनुभव के कारण शासन ने स्थान्तरित नहीं किया।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३११ पर)

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

लखपतराम जी का एक विशेषाधिकार का प्रश्न था उसको अभी मैंने देखा नहीं है।

टम्बेश्वर प्रसाद जी का एक कार्य–स्थगन प्रस्ताव है उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसकी भाषा के अनुसार, कोई हाल की घटित घटना से उसका संबंध नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह तो प्रदेश व्यापी बात है। इसको तो सब लोग जानते हैं। प्रदेश भर में यह बात फैली हुई है। पहले से अगर कोई पिट जाय तब तो उसके बारे में प्रश्न उठाया जा सके, लेकिन ऐसी घटना हो, इसको रोकने का कोई प्रबन्ध न किया जाय। अगर आप इसको यहां स्वीकार नहीं कर सकते तो इसको नियम ५३ में ही स्वीकार कर लीजिये। मेरा मतलब तो यह है कि इसको ७ तारीख के पहले आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरा कहना यह है कि नियम ५७ कामरोको में नहीं आता। अब और किस रूप में आ सकता है, इस पर फिर विचार किया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमने एक पुलिस कप्तान के बारे में दिया कि उसने गाड़ी को रोककर कंडक्टर को मारा जिससे प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल हुई। उस पर कोई बयान ही दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठ जाइये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

माननीय एक बालोजी अग्रवाल की नियम ५२ की सूचना को मैंने उचित कार्यवाही हेतु मंत्री जी को भेज दिया है । शेष नियम ५२ में जो सूचनायें आयी हैं उनमें से एक माननीय मैनेजर सिंह की है, उसके ऊपर मैं अभी निश्चय नहीं कर सका हूं, किन्तु उस पर विचार करूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके उठाने में मुझे भी संकोच हो रहा था । लेकिन इतने असाधारण महत्व का प्रश्न है कि इसके बारे में मंत्रि-परिषद् के एक माननीय सदस्य बदनाम हो रहे हैं । इस संबंध में आप माननीया मुख्य मंत्री से अथवा स्वायत्त शासन मंत्री से सफाई करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

जो बात आप अब कहना चाहते हैं वह कल भी कह सकते हैं । इसकी गम्भीरता को समझ रहा हूं इसीलिये आज इस पर अंतिम आदेश नहीं दे रहा हूं । इस पर विचार करके उपयुक्त कार्य-वाही करूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय काशीनाथ जी का एक व्यवस्था का प्रश्न था ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने काशीनाथ जी से प्रार्थना की थी कि इस संबंध में बातचीत कर लें । समयाभाव के कारण शायद मिल नहीं सकें । वे मुझसे बातचीत कर लेंगे तब मैं उस पर निर्णय दे दूंगा ।

लेकिन उचित यह होगा कि पहले बातचीत कर लें, मैं उनसे कह चुका हूं वह मुझसे मिल लें ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आप बयान हमारे वाले में भी दिला दीजिये क्योंकि कप्तान ने गाड़ी घेर कर मारा है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन है कि आप कृपा कर मिल लें, साधारण चीज है आप प्रश्न कर सकते हैं, आप अल्पसूचित प्रश्न देकर तो देखिये, आप मिलिये तो, हम यथाशक्ति आपकी मदद करेंगे; लेकिन इसमें मजबूरी है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

अब आप सब बैठ जायं, अब कोई प्रश्न नहीं । नियम ५२ के सम्बन्ध में मेरा संबंधित माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जो मुझसे मिलना चाहें वह मिल सकते हैं और मैं उनसे बातचीत कर लूंगा ।

श्री मैनेजरसिंह--

हमारे उपनेता कहते हैं कि एस० पी० ने मारा, लेकिन जब पुलिस मंत्री जी कर्मचारियों को मारते हैं तो उनका कप्तान क्यों नहीं मारेगा ?

श्री अध्यक्ष--

तो मैंने निवेदन किया कि नियम ५२ के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें आयेंगी वह नियम के अन्तर्गत संबंधित मंत्रियों को भेजी जायंगी कार्यवाही हेतु। मैंने आज से यह भी निश्चय किया है कि नियम ५२ की जितनी भी सूचना आयेंगी उनमें जितनी स्वीकृत होंगी उन पर वक्तव्य होगा और जो स्वीकार नहीं होंगी वे विभिन्न मंत्रियों के पास उचित कार्यवाही हेतु जायंगी ।

श्री उग्रसेन--

कम से कम एक कामरोको प्रस्ताव और एक नियम ५२ का प्रस्ताव तो आप रोज स्वीकार करें, ऐसा नियम बना लें ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा आप बैठें ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो नियम ५२ के प्रस्ताव आप स्वीकार नहीं करेंगे और संबंधित माननीय मंत्रियों के पास भेजेंगे, उन पर क्या कार्यवाही हुई, इस की सूचना संबंधित सदस्यों को मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझसे मिले और परामर्श किया और मैंने निवेदन किया था कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। आप ने उस स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी आप ने नियम ५२ में दे दिया ।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, हरिजनों की रोजी-रोटी खतरे में है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब आप सब बैठें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

अध्यक्ष महोदय, केवल एक जानकारी....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, फिर जानकारी कर लीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष--

आप अभी बैठ जायं, फिर पूछ लीजियेगा ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मैं यह आइटम नंबर ६ ले रहा हूं, हमारी कायमंत्रणासमिति ने अपनी ३ अगस्त १९६५ की बैठक में, जो कार्यक्रम निश्चय किया है वह मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५पर प्रस्तुत प्रस्ताव व संशोधन पर विचार ४ अगस्त, १९६५ ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संचालन-सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार तथा उसका पारण ५ अगस्त, १९६५ ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार तथा उसका पारण ६,१६,१७,१८ तथा १९ अगस्त, १९६५ ।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा आवश्यक वस्तुओं के अभाव के संबंध में चर्चा १० व ११ अगस्त, १९६५ ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार तथा उसका पारण २३,२४,२५,२६,३०,३१ अगस्त तथा १ सितम्बर, १९६५ ।

कतिपय विषय

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने एक कामरोको प्रस्ताव आप के पास भेजा था और आपसे निवेदन किया था कि कामरोको प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हजारों अध्यापकों का, जो प्रदेश में रहते हैं, सवाल है । तो इसे आप स्वीकार करने की कृपा करें । इसमें सारे प्रदेश के उन लोगों का जो शिक्षा की वृद्धि चाहते है, हित निहित है ।

श्री अध्यक्ष—

अध्यापकों के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रसारित हुई थी, २७ जुलाई को उसके सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उसमें यह कहा था कि अध्यापकों के साथ उचित न्याय, जो उनकी मांगें थी, नहीं हुआ है और न्यायोचित वृद्धि जो होनी चाहिये थी, उन्हें नहीं मिली । उसको मैंने अस्वीकार किया था यह कह करके कि कोई हाल की घटित घटना नहीं थी । उस समय मेरा ध्यान २७ जुलाई की विज्ञप्ति पर नहीं गया था, इस कारण से मैंने अस्वीकार कर दिया था । किन्तु, इस बात को मानते हुये भी कि विज्ञप्ति हाल की घटित घटना कही जा सकती है तो भी वह ऐसा विषय नहीं है जो कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाय । यह हो सकता है कि यदि माननीय सदस्य इसे अन्यायपूर्ण समझते हैं तो अन्य तरीके से उसे सदन में उठा सकते हैं, लेकिन कामरोको के लिये यह ऐसी आकस्मिक घटना नहीं कही जा सकती है जिस पर सदन का काम रोक कर विचार किया जाय । और ऐसी भी नहीं है कि यदि विचार न हुआ तो अन्य अनर्थ हो जायेंगे ।

(श्री लखपत राम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रिविलेज मोशन मैंने अभी नहीं देखा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप, श्री रामसुन्दर पांडेय का जो कामरोको प्रस्ताव है, उसे नियम ५२ के अन्तर्गत अस्वीकार कर दें । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी आपने अनुज्ञा दी कि जो आप अस्वीकार करेंगे नियम ५२ के अन्तर्गत उन्हें माननीय मंत्री जी के यहां भेज देंगे, कार्यवाही हेतु । पर जो नियम ५२ में स्वीकार कर लेंगे तो उस पर वक्तव्य हो जायगा । इस पर वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न यह है । जो संक्षिप्त कार्य-विवरण रोज-रोज लगातार छप रहा है इनको पढ़ कर व्यवस्था दें और अपने कर्मचारियों को आदेश दें कि वे पक्षपातहीन होकर उसको छपवाया करें ।

श्री अध्यक्ष—

जो पक्षपात की बात आपको महसूस होती है उसे मुझे बतायें यदि पक्षपात हुआ है तो मैं उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनके ऊपर इसका दायित्व होगा, कार्यवाही करूंगा ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव आते है उन्हें वे अपने . . . . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठिये ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव—[क्रमागत]

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं—

"यह सदन विधेयकों तथा कार्यों के सम्बन्ध में विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को आज दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन विधेयकों तथा कार्यों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पढ़ा गया, कार्यक्रम जो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा स्वीकृत है, उससे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

देवरिया जिले में हैजे के प्रकोप के संबंध में वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

देवरिया जिले से इस वर्ष ग्रीष्म काल में अतिसार की सूचना झनझनपुर ग्राम से मिली जहां २४ बीमार व ६ मृत्यु अप्रैल, १९६५ को समाप्त होने वाले सप्ताह में बतायी गयी । तब से लेकर ३१ जुलाई, १९६५ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक ३८५ व्यक्तियों के बीमार होने व १४९ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना मिली है । इस अवधि में इस क्षेत्र में लगभग ३७ हजार व्यक्तियों को कालरा निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया, तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी बीमारी पर काबू पाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । हैजे के टीके लगाने के अलावा पीने के पानी की सफाई व मक्खी निरोधक कार्य किया जा रहा है ।

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चतुर्थ खंड, गोरखपुर, भी देवरिया जा चुके हैं और उन्होंने मौके पर ही संक्रामक रोग की रोकथाम के लिये सभी विस्तृत आदेश दे दिये हैं ।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया, अपने अधीन कर्मचारियों को हर सम्भव उपयोग कर रहे हैं तथा उनको कालरा के टीकों तथा संक्रामक विरोधी दवाओं का पर्याप्त स्टाक दिया गया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके ।

सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, संक्रामक रोग शाखा, उत्तर प्रदेश को भी शीघ्रातिशीघ्र देवरिया पहुंचने के लिये आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं । मंत्री जी के जो जिलाधीश वहां बैठे हुये हैं, १ महीने से हैजा फैला जिससे ६०० से ज्यादा आदमी मरे । न इनके पास कर्मचारी हैं, न दवाई है, तो मंत्री जी बता दें कि ऐपीडेमिक ऐक्ट जिले में कब लागू किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जो हमको सूचना प्राप्त है वह अपने बयान में दे दी । अब आपकी सूचना है कि इससे ज्यादा मरे लेकिन मेरी ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

ऐपीडेमिक ऐक्ट जिलाधीश ने किस तारीख को लागू किया ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न मंत्री जी यह है कि ऐपीडेमिक ऐक्ट वहां लागू हुआ कि नहीं, और अगर लागू हुआ तो किस तिथि से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मेरे पास लागू होने की कोई सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

६०० आदमी मर गये और हजारों आदमी बीमार हैं, लेकिन ऐक्ट लागू नहीं हुआ । मैं बता दूं कि दो दिन हुए ऐक्ट लागू हो गया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कालरा बहुत दिन के बाद फैला है इसका कारण यह है कि बंगाल से बहुत से विस्थापित लोग कालरा लेकर आये हैं जो वहां बसे हैं ? इसमें कहां तक वास्तविकता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

बीमारी की रोकथाम का कार्यक्रम कामयाबी से पूरा हुआ है और बीमारी नहीं बढ़ रही है, इस समय कंट्रोल हो गया है । लेकिन इन सब बातों की जांच के लिये कि क्या कारण हुआ और वह बीमारी ज्यादा बढ़ने न पाये, इसके लिये हमने दो ऊंचे बड़े अफसर भेजे हैं जो मौके पर रहेंगे और जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर लेंगे और रोकथाम का इन्तजाम आगे के लिये ठीक नहीं कर लेंगे उस समय तक वहीं रहेंगे ।

श्री उग्रसेन---

कोई अफसर न जाय, आप हमको दवाई दे दें और सुई लगाने वालों को दे दें । आज वहां दवाई की सुविधा नहीं है, सुई लगाने वाला नहीं है, २५, ३० आदमी मेरे यहां मर गये, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आपका जो प्रश्न है उस सम्बन्ध में मंत्री जी कह रहे हैं कि अन्वेषण कर रहे हैं उसके पश्चात् ही पता चलेगा कि क्या कारण थे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय जब कि वहां कालरा का रोग फैला हुआ है, जितने वहां कालरा रोग के इलाज में प्रशिक्षित कर्मचारी थे उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और जब सीजर्स और डैथ्स होने लगीं तो फिर उनको वहां पर बहाल करने के लिये आर्डर दिया गया क्या इस तरह की कोई सूचना मंत्री जी को है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मै सवाल को समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

कुछ कालरा के कर्मचारी वहां थे और जब कालरा वहां शुरू हुआ तो उनका ट्रान्सफर कर दिया गया क्या यह सत्य है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तबादले होते रहते हैं, लेकिन यह कहना कि कालरा हो रहा था तब ट्रान्सफर कर दिया गया यह बात नहीं हुई और यह भी कहा गया कि दवाइयों की कमी थी तो यह भी गलत है ।

श्री उग्रसेन--

बिलकुल सही है । अगर यह बात साबित न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और साबित हो हो जाय तो मंत्री जी इस्तीफा दे दें । उनके अफसर उनको गलत बात बतलाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उग्रसेन जी आप बैठ जायं । सदन माननीय मंत्री का उत्तर सुनना चाहता है ।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया था कि दो उच्चाधिकारी मौके पर जा रहे हैं । माननीय सदस्य ने फरमाया कि दवाइयां वहां नहीं हैं । तो वे भी वहां तशरीफ ले जायं और देखें कि दवाइयां वहां मौजूद हैं । ऐसी निराधार बात सदन में कहना निहायत गलत बात है ।

श्री उग्रसेन--

उनको बिलकुल गलत खबर है । यह हमारे साथ ज्यादती है । मैं वहां घूमा हूं । कलेक्टर से भी पूछा है । वह कहते हैं कि दवाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि माननीय सदस्य वहां चले जायं । वह स्वयं इस सदन के नौकर हैं और उनका यह दायित्व है कि वे वहां जायें, देखें और फिर सदन को रिपोर्ट पेश करें ।

श्री अध्यक्ष--

आप वहां के हैं नहीं और कुछ जानते नहीं हैं ।

†उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५—(क्रमागत)‡

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पेश किया था और कल दिन भर इस पर बहस हुई। उसके साथ ही साथ ठाकुर फूलसिंह ने वह मांग पेश की थी कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, कल हमारे पक्ष से और विपक्ष से एक दो साथियों को छोड़ कर करीब करीब पूरे सदन की यह राय थी कि यह बिल अपूर्ण है और इस बिल की परिधि भी कुछ बढ़नी चाहिये और प्रवर समिति के माध्यम से इसकी कुछ धाराओं को हटा देना चाहिये, कुछ को बढ़ा देना चाहिये। दिन भर की बहस सुनने के बाद मेरी भी यह राय है कि माननीय कृषि मंत्री जी जो प्रजातांत्रिक भावनाओं से प्रेरित हैं, जो प्रजातंत्र के सच्चे उपासक हैं वे माननीय फूल सिंह जी का जो सुझाव है जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अभी उन्होंने इसका एलान नहीं किया है और प्रवर समिति में भेजने की बात स्वीकार नहीं की है। अगर माननीय मंत्री जी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो बहस के लिये आगे कोई प्रश्न नहीं उठता। मैंने कल निवेदन किया था कि माननीय कृषि मंत्री से कि अगर वे वरिष्ठ साथी ठाकुर फूलसिंह के सुझाव को स्वीकार कर लें तो इस विधेयक में जो बहुत से कमियां हैं उनका निवारण हो सकता है और परिधि बढ़ाने से जनहित में कुछ नयी बातें लाने से यह बिल पूर्ण हो सकता है। मेरी यह अपनी एक छोटी सी राय है और मैं इस हक में हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं और वह यह है कि आपका जो पिछला कानून ९–१० वर्ष तक इस प्रदेश में लागू रहा, हालांकि वह बहुत अपूर्ण था और यह जो नया विधेयक आपने प्रस्तुत किया है यह भी अपूर्ण है, और इस माने में कि इस विधेयक में कुछ बातें आपने और जोड़ दी हैं तो सजा को आपने कम कर दिया है। दो वर्ष की जगह एक वर्ष की सजा कर दी जाय। कल मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कानून में कम्पाउन्ड करने के क्लाज को जोड़ना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि एक तरफ तो आपकी सरकार और आप उस किस्म के पशुओं की रक्षा करने के लिये जो कि भारवहन करते हैं, अगर कहीं रगड़ लगाकर खून आ जाय तो उनके मालिकों को कानून के सुपुर्द कर देते हैं और दूसरी तरफ आप स्वयं उस किस्म के पशुओं के वध करने के कानूनी हक को मंजूर करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कानूनी तौर से पशुओं के वध की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध नहीं होना चाहिये। इसलिये आपको इस तरह की कोई पाबन्दी लगानी पड़ेगी कि, बगैर खून बहाये, या कम तकलीफ से जानवरों का वध हो सके, इस किस्म का कोई नया तरीका निकाला जाय। अगर आप कानून पास करते हैं और उसके पहले प्रवर समिति की राय भी आ जाती है कि निर्दयतापूर्वक ऐसे जानवरों का वध न करके, बगैर उनका खून बहाये वध का कोई तरीका निकाला जाय, तो इस तरह के संशोधन को आपको स्वीकार कर लेना चाहिये।

---

‡३ अगस्त १९६५ की कार्यवाही से।

†२ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

दूसरी बात यह है कि असाध्य रोगी और बीमार पशुओं के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में एक धारा बनायी है। इस सम्बन्ध में इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों की यह राय थी और आज भी यह राय है कि जो बीमार या अपाहिज पशु हैं उनकी दवा और इलाज का माकूल इन्तजाम किया जाय और उनको अपनी मौत मरने दिया जाय। अगर कोई पशु बीमार है या किसी पशु को चोट लग गयी है तो बजाय इसके कि डाक्टर की तरफ से उसके वध के लिये सर्टिफिकेट दी जाय, सरकार की तरफ से उसकी दवा और इलाज का समुचित प्रबन्ध किया जाय।

तीसरी बात यह है कि गो संवर्द्धन समिति की सिफारिशों के अनुसार जो गोसदन स्थापित हुये हैं, माननीय कृषि मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये कि गो सदनों की स्थापना के बाद इस प्रदेश में इस किस्म के जानवरों की तादाद कितनी है और गो सदनों की चरागाहों के लिये वन विभाग ने कितनी जमीन छोड़ी है जो उनके लिये चरागाह के काम आ सकती हो। मैं अपने हरदोई जिले की बात कहता हूं कि मेरे जिले में तो चरागाह के नाम पर शून्य जमीन है। माननीय कृषि मंत्री जी को चाहिये कि वे वन विभाग से इसके लिये जमीन लें। गो सदनों की स्थापना इस माने में मैं समझता हूं कि एक कागजी कार्यवाही रह गई है और कोई अमली शक्ल में नहीं आ पायेगी।

श्रीमन्, इस बिल में आर्थिक दृष्टि रखी गई है। धार्मिक भावना के साथ साथ इसमें आर्थिक नीतियां भी हैं। जहां तक दूध देने वाले जानवरों का प्रश्न है, उनकी जितनी स्पेसीज हैं उनका हमें अच्छी तरह से सर्वे करा लेना चाहिये और सर्वे करा कर आंकड़े इकट्ठा करके ही कुछ निश्चय करना चाहिये। आपको स्वयं इस बात की जानकारी है कि आज प्रदेश भर में दूध की कितनी कठिनाई है। अगर यही हाल रहा तो दूध दुर्लभ हो जायगा। घी के रेट की भी आपको जानकारी है, क्योंकि उस को आप रोजाना प्रयोग में लाते हैं। हमारे जैसे छोटे लोग तो घी से अब वंचित ही रह जाते हैं, खरीद ही नहीं पाते हैं। बच्चों और मरीजों को दूध मिलना मुश्किल हो गया है। इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करके उसकी परिधि बढ़ाने की मांग सदन की तरफ से की जा रही है। मेरी राय में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिये और आप डायरेक्टर को यह आदेश दे दें कि वह वैटरिनरी असिस्टेंट सर्जन्स और स्टाक मैनों के द्वारा एक महीने में सेंसस करा लें कि कितने जानवर दूध देने वाले हैं कितने नहीं हैं। कितने उपयुक्त हैं और कितने अनउपयुक्त हैं। इसमें हमें इस बिल को ठीक तरह से बनाने में सहूलियत होगी क्योंकि डाक्टर से सर्टिफिकेट लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एज को डिटरमिन करने में बड़ा खतरा हो सकता है। लड़के लड़की की एज तो डिटरमिन की जा सकती है। भैंस, गाय, बैल, साड़ आदि की उम्र डिटरमिन करना मुश्किल होगा। कृषि मंत्री महोदय के सामने भी ५ वर्ष और १५ वर्ष का जानवर खड़ा कर दिया जाय तो उसकी एज नहीं बता सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डाक्टरों को एज डिटरमिन करने की कोई तालीम या ट्रेनिंग दी जाती है? अगर कोई पशु भूखा रहता है और वह ८ साल का है तो उसकी एज १९ साल साल की बताई जायगी और अगर खाता पीता है तो २० साल वाले पशु की एज ८ की मालूम होगी। अतः एज का डिटरमिन करना नामुमिकन है। इसमें बड़ा खतरा है। इसलिये जब तक प्रवर समिति इस पर विचार न कर ले इसको अमल में नहीं लाना चाहिये। माननीय कृषि मंत्री जी का यह सौभाग्य है कि वे किसान हैं। हल चलाने वाले हैं और आज एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं और वे विरोधी दल में भी रह चुके हैं। इतने तजुर्बेकार कृषि मंत्री यह नहीं समझ सके हैं कि एज कैसे डिटरमिन की जायगी। इसमें बड़ी भारी गलती हो सकती है। इसके लिये आप सारे प्रदेश में एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के जरिये से जानवरों की सेंसस और एज का वैरीफिकेशन करा लें और जब तक यह न जान लें कि इतना जानवर ओवर एज हैं तब तक इस कानून को पास कर देना ठीक नहीं है। मैं ठाकुर फूलसिंह से १०० फीसदी सहमत हूं। श्री जगदीशशरण अग्रवाल, श्री बृजबिहारी मिश्र की भी यही राय है। अगर

[श्री जे०जे० मिश्र]

माननीय कृषि मंत्री और उनकी सरकार प्रवर समिति के सुझाव को मान लें और इस की परिधि को बढ़ा लें तो सही तरीके से काम्प्रिहेंसिव बिल लाया जा सकता है। आधा बगुला और आधा दूसरा रंग, कानून में कुछ मजबूती और कुछ लूप होल्स, उन छिद्रों को भरा जा सकता है परिधि बढ़ा कर और दूसरी कमियां भी प्रवर समिति में दूर की जा सकती हैं। उसमें कुंवर श्रीपालसिंह, ठाकुर फूलसिंह, भानु बाबू को चुन लें। आप को बड़ी सहूलियत होगी उससे आपको फायदा होगा और काम्प्रिहेंसिव बिल ला सकेंगे। यह संशोधन हमारी तरफ से आया है। यह संशोधन विरोधियों का नहीं हैं, जो पेशेवर है, जिनका काम हर जगह विरोध करना है। हमारा काम सलाह देन है। माननीय कृषि मंत्री, जो पेशेवर नहीं है, उनकी सलाह की कद्र करेंगे। ठाकुर फूलसिंह जैसे इंनोसेंट आदमी की राय की कद्र होनी चाहिये। ठाकुर फूलसिंह और माननीय गेंदासिंह किसान हैं। वह जानवर की बोली भी समझते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह वह भूल गये कि पेशेवर को वह समझा रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

उधर की बैंचेज से और लोग फ्लोर क्रास करने वाले हैं। जो उधर से आता जायगा उसका पेशा टूटता जायगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय मूक बैल की आवाज पहचानते हैं। उसकी आंख भी पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने जोता-बोया है। अगर उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया कि मूक जानवर के वध को गलत सर्टिफिकेट वेटरनिरी सर्जन ने दे दिया तो बड़ा घोर अन्याय हो जायगा। जब तक पशुओं की सेंसस नहीं होगी जब तक १५ साल का और बूढ़ा जानवर उपयोगी जानवर से अलग न हो जाय तब तक कानून पास होना काश्तकार के लिये महान घातक होगा। इसलिये मेरा मशविरा है कि इस कानून को प्रवर समिति में भेजने के लिये माननीय फूलसिंह ने एक महीने के समय की मांग की है, उसमें और समय थोड़ा बढ़ा दिया जाये ताकि इस पर शान्तिपूर्वक विस्तृत रूप से विचार किया जा सके। इसके साथ ही साथ इसकी परिधि को भी और बढ़ा दिया जाये, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है। इसकी परिधि को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। तो इस विधेयक पर आवश्यक है कि इसको अभी पास न कर इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जनमत के लिये भेजे जाने का संशोधन नहीं है, प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये है।

श्री जे० पी० मिश्र —

ठीक है, आखिरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि माननीय कृषि मंत्री जब मंत्री हुये और पहला भाषण उन्होंने दिया उसमें कहा कि गोबर के कृषि प्रदेश में महत्व को देखते हुये गोवध बन्द होना आवश्यक है। कृषि प्रधान देश और प्रदेश में खेती की उन्नति के लिये गोबर अति आवश्यक है। किन्तु इसके द्वारा तो यह होता है कि १५ वर्ष का सर्टिफिकेट मिलने पर गोवध हो सकता है यह गोबर की दृष्टि से कितने नुकसान की चीज है, श्रीमन्। श्रीमन्, कृषि के उत्पादन के लिये आपको गोबर की खाद बढ़ाना और बैलों की नस्ल अच्छी बनाना, गाय भैंस की नस्ल अच्छी बनाना और ऐसी व्यवस्था करना कि दूध से अधिक से अधिक हो, गउवों की नस्ल अच्छी करना और ओवर-आल काश्तकारों की जेब मजबूत हो, इस निमित्त सारे साधन आपको कृषि के करने होंगे। इस दृष्टि से यह जो आप पेश कर रहे हैं, उसमें इन सब चीजों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। यह जो विधेयक प्रस्तुत है उससे कितनी हानि है और कितने लाभ की सम्भावना है, इस पर दृष्टि रखनी है। अन्त में मैं फिर कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके मंत्री बनते-बनते पहले पहल यह उनका इतना अच्छा बिल आया। अब मुझे आशा है कि जो मेरा सुझाव माननीय फूलसिंह जी का जो संशोधन है, उसे मंत्री जी मान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस रूप में माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । पहले माननीय कृषि मंत्री जी जब इधर बैठते थे तो उस वक्त उनके भाषण को सुनने से, उनके विचार जानने से और ही कुछ अनुभव होता था और जिस वक्त उन्होंने मिनिस्टर का स्थान लिया उस समय मैं यह आशा करता था कि वह अपने उन्हीं विचारों को कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास करेंगे किन्तु इस विधेयक से त् उनकी स्थिति बदली सी मालूम होती है । जब यह कांग्रेस पक्ष में जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वहां जाकर देश में समाजवाद को अच्छी तरह से और जल्दी ला सकता हूं किन्तु---

श्री अध्यक्ष---

आपसी बातें, और व्यक्तिगत बातें सदन के अन्दर खोलना कोई अच्छी बात नहीं है । ज्यादा अच्छा हो कि इस बिल के गुण और दोष पर ही विचार किया जाये, बजाय इसके इससे कोई लाभ नहीं है कि वह पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। मेरा निवेदन यही है कि यह ज्यादा अच्छा आपके लिये ही होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह तो वही कह रहे हैं जो माननीय कृषि मंत्री ने सदन के अन्दर कहा था अपने विचार व्यक्त करते हुये ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, यदि ऐसी कोई बात है जिसको मंत्री जी ने सदन के अन्दर कहा हो और जिसका रिकार्ड हो तो कह सकते हैं । लेकिन व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिये कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से क्या कहा था ।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन् की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, मैं नहीं कहूंगा । तो मैं आशा करता था कि वह अपने पूर्व के विचारों क अनुसार कार्य करेंगे और न उनको अपने कार्य रूप में परिणित करने का कष्ट करेंगे । जहां विधेयक को देखने की बात इसमें उद्देश्य और कारण पढ़ने से मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी न इस बात को स्वीकार किया है कि पहले जिस रूप में विधेयक इस सदन में पास हुआ था, उसमें बहुत से दोष थे और उनको दूर करने के लिये इन्होंने कोशिश की है । श्रीमन्, पहले जब यह अधिनियम पास हुआ था उसके पहले ५५ में गोसंवर्धन कमेटी ने सन् ५५ में एक रिपोर्ट दी और उसके बाद विधेयक पारित हुआ जो ऐक्ट १, १९५६ के नाम से है । लेकिन पुराने ऐक्ट की धारा ३ में बुल्स की उम्र २० साल दी गयी थी । यह मांग की जा रही है कि १५ साल की उम्र तक के जो बुलक्स होते हैं वह ब्रीडिंग या अन्य परपजेज के लिये ठीक नहीं होते हैं इसलिये ५ साल का मौका और दिया गया जिससे किसी तरीके पर दवाओं से या अन्य से या और किसी तरीके से उनको सुधारा जा सके तो वह कर लिया जाय । लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुहम्मद जान वर्सस यू० पी० स्टेट का जब फैसला सन् ६० में हुआ तो सन् ६१ में एक अमेंडमेंट इस विधेयक में लाया गया और उम्र २० से १५ कर दी गयी । गोसंवर्द्धन कमेटी ने जो जनमत लिया था उसमें इस प्रदेश के ढाई तीन सौ प्रमुख लोगों ने यह मत व्यक्त तक किया था और समिति जब इस नतीजे पर पहुंची थी गाय और उसके वंशज का वध पूर्ण रुप से बन्द हो जाना चाहिये । मैं उस कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ९५ से उद्धरण पढ़ना चाहता हूं ---

"समिति का यह मत है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों का एक बहुत बड़ा जन समुदाय की शुद्ध धार्मिक भावना के अतिरिक्त राष्ट्र को आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य तथा मर्यादा के हित में यह केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

वांछनीय ही नहीं वरन् नितान्त आवश्यक होगा कि गाय तथा उसके वंशज को वध से बचाया जाय, उसकी रक्षा और सुधार किया जाय । अन्य उपायों के साथ इस काम को पूरा करने के लिये समिति का यह निश्चित मत है कि गाय तथा उसके वंशजों के वध को पूर्ण रूप से रोक दिया जाय ।" और साथ साथ यह भी कहा है कि "गाय का वध तो पूर्ण रूप से बन्द करा दिया जाय ।"

तो यह कमेटी की रिपोर्ट है । मैं श्रीमन् नवाब छतारी और मुहम्मद हसीब खां जो अलीगढ़ के प्रोफेसर थे और इस कमेटी के मेम्बर थे उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने मुसलमान होते हुये भी अपनी यूनानीमस राय यह दी कि गोवध पूर्णरूपेण बन्द होना चाहिये । मुसलमान जिसके लिये कहा यह जाता है कि वह गाय को काटता है उन्होंने उसके बावजूद भी राष्ट्रहित को देखते हुये इस कमेटी के सामने जिन अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया है कि गोवध पूर्ण रूपेण बन्द होना चाहिये । मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं । कमेटी ने एकमत से यह राय व्यक्त की थी कि गोवध पूर्ण रूपेण बन्द होना चाहिये । लेकिन श्रीमन्, १९६० में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ उसके बाद मैं सरकार का जो रवइया देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । हमारा जनमत तो इस विचार का है कि पूर्णरूपेण गोवध बन्द होना चाहिये और गोसंवर्धन समिति का भी यह मत है कि यह पूर्णरूपेण बन्द होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो हाई कोर्ट की रूलिंग दे रहे हैं कि पूर्णरूपेण बन्द नहीं हो सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप कृपया सुन तो लीजिये कि मैं क्या कहने जा रहा हूं । जब जनमत ऐसा है कि गोवध पूर्णरूपेण बन्द होना चाहिये, हमारी कमेटी गोसंवर्धन जो बैठी थी उसका भी यह विचार है कि यह बन्द होना चाहिये । तो सरकार का पहला कर्त्तव्य था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मूव करती कि वह कोई ऐसा विधेयक बनाये जिसके अन्दर पूर्णरूपेण गोवध बन्द करने की बात होती । जिस समय यहां पर गोसंवर्धन कमेटी बैठी थी उस समय सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यह राय थी कि गोवध पूर्णरूपेण बन्द नहीं होना चाहिये बल्कि अपूर्णरूपेण होना चाहिये । इस रिपोर्ट के अन्दर साफ दिया है कि वह कमेटी इससे सहमत नहीं थी । तो सरकार का पहला कदम यह होना चाहिये कि जो जनमत है उस जनमत को बल देने के लिये, और उस धार्मिक भावना को, जो हमारे हिन्दुस्तान में लोगों की है, उसको बल देने के लिये और जब कि मुसलिम धर्म के लोगों ने भी सर्वसम्मति से ऐसा मत व्यक्त किया है कि गोवध बन्द होना चाहिये, तो उस समय हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखती कि गोवध पूर्णरूपेण बन्द करने के लिये, वह कोई कानून बनाये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात को भी हल कर सके, लेकिन यह सरकार बिलकुल पीछे हटती चली जा रही है । आज यह जो विधेयक आया है उसको देखकर हमको आश्चर्य होता है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार कानून बनाती जाती है जैसा कि उसने गोशाला विधेयक बनाया है । गोशाला विधेयक में जो बात कही गई है उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक गोशाला विधेयक की परिभाषा का सम्बन्ध है इसमें यह दिया है कि "गोशाला का तात्पर्य ऐसी धर्मादा संस्था से है जो पशुओं को रखने, अभिजनन, पालन, भरण-पोषण के प्रयोजन के लिये अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं की भर्ती करने के लिये और उनके उपचार के लिये स्थापित की गई हो ।" मैं यह कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन पशुओं को काटने के लिये यह विधेयक लाया गया है इसका नतीजा क्या होगा ? क्या गोशाला विधेयक जो यहां पर पास किया गया था वह बेकार हो जायगा ? क्योंकि वहां तो बूढ़े जानवर अब नहीं रह सकते । सरकार ने गोसदन बनाया और लाखों रुपया उन पर व्यय किया तो अब उनका क्या होगा ? अगर गोसदन गोपालन और उनको स्वस्थ्य रखने के लिये और उनका सुधार करने के लिये बनाये गये थे तो अब उनका क्या उपयोग होगा । इससे अधिक आपत्ति की बात

नहीं हो सकती है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गोसदन बनाये गये थे या गोशाला बनाई गई थी वह इसलिये बनाई गई थी कि अपाहिज और रोगी, वृद्ध जानवर अगर कोई हो जाय तो उनकी रक्षा के लिये उनको वहां पर रखा जाय तो क्या होगा ?

दूसरी चीज की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनके उन शब्दों की ओर उनका ध्यान दिलाता हूं जिनको वहां से बैठकर वह कहा करते थे कि ज्यादातर बैल, सांड और गायों को सन्तुलित भोजन न मिलने के कारण उनकी यह दशा हो रही है कि जो कम उम्र के गाय बैल और बुल हैं वह भी संतुलित भोजन न पाने की वजह से आज अपाहिज और वृद्ध रूप में होते जा रहे हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जैसा कि वह कहा करते थे कि कोई भी संतुलित भोजन की व्यवस्था यह सरकार करेगी ? ऐसा होने पर ही पशुओं की उन्नति हो सकेगी और उनकी हालत में कुछ सुधार हो सकेगा । जो वे असमय ही अपाहिज और रोगग्रस्त हो जाते हैं उनमें कुछ सुधार संभव होगा ।

तीसरी चीज यह है कि चरागाहों के बारे में भी आप ने कितनी ही बार कहा, उस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश में किसी गांव में जाकर आप देखें तो वहां आप पायेंगे कि कोई चरागाह की व्यवस्था नहीं है । जितनी ऊसर, बंजर जमीन पहले थी वह सब तोड़ दी गयी । नतीजा क्या हुआ ? अब तो चारों तरफ खेत ही खेत हैं । अगर किसान अपना बैल छोड़ता है, अपने जानवर छोड़ता है तो वह किसी भी खेत में जा पड़ेगा । तो मैं चाहूंगा कि इस विधेयक द्वारा इन बैलों आदि के वध करने के स्थान पर देहात में इन चरागाहों की व्यवस्था आप कर दें, आर्डिनेन्स द्वारा अथवा किसी दूसरे कानून द्वारा । ऐसा करना ही अधिक सुन्दर होगा ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक अपाहिज जानवरों का सवाल है मैं मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । गो सम्वर्द्धन कमेटी की रिपोर्ट में यह कह दिया है, उसके पृष्ठ १३८ पर दिया है, सिफारिश नम्बर १३ में, कोई श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त हैं जिन्होंने एक इस्ट्रमेंट बनाया है जिस का मूल्य २८०० रुपया है । उन्होंने बतलाया है कि उस के द्वारा गोबर का इस्तेमाल गैस के लिये किया जा सकता है, उस से लोग खाना पका सकते हैं, लाइट जला सकते हैं रोशनी कर सकते हैं और उस के बाद, उस प्लान्ट में गोबर के इस्तेमाल के बाद उसमें वह एलीमेंट बरकरार रहते हैं कि जिनके बल पर वह खाद के काम में आ सकता है । उसकी उपयोगिता उसके बाद भी नष्ट नहीं होती । उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है । तो उस समय जब कि हमारे प्रदेश में गोबर जलाया जाता हो और इतनी मात्रा में मिलता हो कि जिसको हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वह जिन जानवरों से मिलता है उनको आप मारने की व्यवस्था इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं, यह उचित नहीं मालूम होता है । तो इसमें मैं मंत्री जी को फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा और साथ ही साथ चाहूंगा कि जनता में इसका प्रचार किया जाय । इसके साथ ही जो पशु किसी काम के नहीं रह जाते, कृषि के काम के नहीं रह जाते, ऐसे पशुओं के लिये जैसा कि फूलसिंह जी ने कहा था कि जो अनइकोनामिक बुलक्स हैं उनका ही वध होना चाहिये । मैं कल यहां नहीं था, अगर गलती पर होऊं तो मैं अपने को करेक्ट कर लूंगा, लेकिन जैसी मेरी उन से बात हुई थी उस में उन्होंने यही विचार व्यक्त किया था । तो मेरा खयाल है कि अनइकोनामिक पशुओं हैं उन के लिये हम ने गोशालायें स्थापित की हैं और उनके अंदर अलाभकर पशुओं को रखा जाता है । उनके द्वारा हम उनका इतजाम करें और अगर ऐसे पशु हैं कि जिनका हम इंतजाम नहीं कर सकते तो गो सदन बने हुये हैं, उन में इधर उधर घूमने वाले पशुओं को छोड़ा जा सकता है ।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुये ।)

इसका नतीजा यह होगा कि वह पशु जिन के वध के लिये हम ,इस विधयक के जरिये व्यवस्था कर रहे हैं उनको बचाया जा सकेगा और उनके गोबर को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सकेगा । साथ ही साथ श्रीमन्, यह भी कहा जाता है कि जो पशु बच्चे होते हैं, यानी बछड़े

[श्री कमलासिंह यादव]

या बछिया होते हैं उनका वध करते वक्त जो चमड़ा निकाला जाता है वह चमड़ा बहुत ही अच्छा होता है। बख्शी के तालाब पर जो चर्म कार्यालय बना हुआ है मुझे वहां २ साल पहले जाने का मौका मिला और वहां मैंने अधिकारियों से भी पूछा कि अगर बुड्ढा बैल हो तो उसके चमड़े और नये के चमड़े में कोई फर्क होगा ? तो उन्होंने बताया कि चमड़े में कोई फर्क नहीं होता। बढ़िया ढंग पर बनाया जाय तो बुड्ढेबैल का चमड़ा भी अच्छा बनाया जा है सकता और गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट में भी जिक्र है कि हम आधुनिक इंस्ट्रमेंट्स का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा चमड़ा इन पुराने बैल और गाय के चमड़े से भी बना सकते हैं। तो अलाभकर पशुओं को गोसदन में रखें और प्राकृतिक मृत्यु हो जाने के बाद अगर चमड़ा वगैरह उनका निकाल कर मांस वगैरह को ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो वह वध करने से ज्यादा अच्छा साबित होगा और हम ज्यादा फायदा भी कर सकते हैं।

जहां तक आफेंस का सवाल है, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मिश्र जी से जबानी मालूम हुआ कि मन्त्री जी ने पनिशमेंट उसका २ साल कर दिया है। लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर रेपीटिशन हो आफेंस का तो क्या करेंगे, इस विधेयक में उसके लिये कुछ नहीं है। तो ऐसी व्यवथा अवश्य होनी चाहिये कि जो रेपीटीशन करने के आदी हो जायं तो उनको हम सख्त से सख्त सजा दिला सकें।

एक बात मिश्र जी ने कहा कि कम्पाउंड करने की बात रखी गयी है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। धारा १० के (१) में नहीं बल्कि (२) में साफ दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी ट्रेड करता है या लाइसेंस लेकर कोई रोजगार करता है, इन जानवरों को बेचने का खरीदने का तो उस वक्त जब कि वह इस प्रदेश से बाहर निर्यात करेगा उस वक्त कोई भी ला को ब्रीच करेगा तो सजा मिलती है और अगर एकाउंट में गड़बड़ी करता है तब भी सजा मिलती है। तो (२) के अन्दर कम्पाउंड करने का कोई अधिकार तो मैं नहीं समझा कि वह अनुचित है, लेकिन गोवध के सिलसिले में कोई बात हो जाय तो शायद मैं आखिर में भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई भी कम्पाउंड ऐसे आफेंस का कराया जाय।

जहां तक काग्नीजेंस लेने का सवाल है, उस सम्बन्ध में दिया हुआ है कि पब्लिक सर्वेन्ट जब रिपोर्ट करेगा तभी अदालतें काग्नीजेन्स लेंगी। मेरा इसमें विरोध है। अगर स्टेट आफेंस हो तो मैं मानता हूं कि पब्लिक सर्वेन्ट के रिपोर्ट करने पर काग्नीजेन्स लिया जाय, लेकिन अगर किसी आदमी का कोई बैल बाहर घूमने जाय या गाय चली गयी और कोई आदमी उसका वध करता है तो क्या पोजीशन होगी ?

क्या पब्लिक सर्वेन्ट उसके पीछे घूमा करेंगे ? तो जहां तक काग्नीजेन्स की बात है, केवल पब्लिक सर्वेन्ट की ही बात रखना उचित नहीं हैं। प्राइवेट प्रापर्टी अगर किसी की है तो उसको भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह कम्पलेन्ट के जरिये अदालत में जा सके और न्याय होसके और जो गैर कानूनी कार्यवाही करने वाले हों उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। इसी लिये अदालतों के काग्नीजेन्स का जहां तक सवाल है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाय और प्राइवेट लोगों को भी ऐसे मामलों को लेकर अदालत में जाने का अधिकार होना चाहिये।

बाम्बे का जो कानून है उसको मैंने देखा। हमारे यहां आपने निदेशक और लाइव स्टाक आफिसर को ही सुप्रीम अथारिटी माना है। इनको आपने यह पावर्स दी है कि वे किसी भी रेकार्ड को मंगा कर देख सकते हैं और जो भी कार्यवाही समझें कर सकते हैं। लेकिन अगर यह अधिकारी किसी से मिल जाते हैं तो सरकार को उस संबंध में कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर कोई गलत कार्यवाही करे और उसकी सूचना सरकार को कोई दे तो सरकार को अधिकार इस बात का होना चाहिये कि वह उसको देख सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अपने पास यह अधिकार रखे कि वह किसी भी फाइल आदि को मंगा कर देख सके। सरकार को भी इसकी पावर्स होनी चाहिये कि वह उचित कार्यवाही कर सके।

गौकशी की बात तो हम बराबर करते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में संविधान के आर्टिकिल ४७–४८ की ओर दिलाना चाहता हूं । आर्टिकिल ४७ में यह है कि—

"राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषत: स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।"

जहां तक आहार के पुष्टिकर होने का सवाल है, उसमें भी सरकार की जिम्मेदारी है । अगर किसी बूढ़े बैल के वध का आदेश दिया जाता है और कोई आदमी उसका मांस बेचे तो उस आदमी को जो उसका मांस खायेगा, वह मांस हानिकर होगा । इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि कोई आहार पुष्टिकर न हो तो कोई भी आदमी उसका मांस बेचने के प्रयोग में न लायें । दूसरी चीज यह है कि मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी से, इस रूप से निर्यात करने के बारे में १९५५ में जो कमेटी बनी थी, कलकत्ते में जो गायें जाती हैं, उनका वध कर दिया जाता है । एक तरीके से तो हमारी सरकार और एनीमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट यह कोशिश कर रहा है कि हम अच्छे से अच्छे नस्ल के पशु पैदा करें और अच्छी से अच्छी नस्ल चाहे व गाय हो या भैंस हो, उसको प्राप्त करें देश के अन्दर ताकि अधिक से अधिक दूध मिल सके । लेकिन सरकार ने इस बात का खयाल नहीं किया कि ये जो अच्छे जानवर अपने प्रदेश में, पैदा कर रहे हैं बहुत सा खर्च करने के बाद, वे ही बाहर जाकर मिनटों में वध कर दिये जाते हैं । गो संवर्द्धन कमेटी ने यह बात कीहै लेकिन सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाया । नतीजा यह हुआ कि जो लाखों रुपया बरबाद करने के बाद सरकार की आंखें खुली हैं और सरकार कानून बना रही है कि अपने प्रदेश में ऐसे पशुओं का निर्यात न हो जो दुधारू हों अब भी सरकार की आंखे खुलीं इसके लिये मैं मंत्री जी को अवश्य धन्यवाद दूंगा । जो गलती १९५५ में की गई आज कम से कम उसको सुधारने की कोशिश की है । इसमें और भी भी बातें दी गयी हैं । मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर बहुत खामियां हैं । मैं उन पूरी खामियों को नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने इस विधेयक के अन्दर यह बात जरूर दिखलाई है कि मांस अगर अवैधानिक रूप से रखकर बेचे तो उस आदमी के पनिशमेंट की बात कही है । ऐसा आदमी जो मांस रखकर बेचे और ऐसे जानवर का जो रोगी हो या हानिकर हो या वह आहार पुष्टिकर के रूप में न हो तो ऐसे जन जानवरों का वध कराकर, जैसा कि धारा ३ में दिया गया हैं, मैं समझता हूं, यह भी बहुत ही हानिकर होगा और इससे लाखों आदमियों की जानें जा सकती हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के अन्दर ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसा जानवर, जिसका आहार पुष्टिकर नहीं हो सकता, अगर कोई उसका भी मांस रक्खे तो ऐसे आदमी को सजा देनी चाहिये ताकि दूसरे लोगों की जिन्दगी को वह खतरा न पहुंचा सके ।

अभी हमारे एक साथी, श्रीमन्, कल की बात कर रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि यह विधेयक ही इस बात के लिये है कि दुधारू किस्म के अगर जानवर हों तो उनमें गंगापारी किस्म के वेरायटी मिलती हैं । गंगापारी बकरी की वैरायटी भैंस बैलों में नहीं मिलती है

श्री अधिष्ठाता—

दुधारू गायें क्या माननीय मैनेजर सिंह से मिलती हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

गंगापारी तो गायें होती हैं, श्रीमन् ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने संशोधन में स्पष्ट शब्द लिखे हैं । उसमें गाय और भैंस दोनों आते हैं । इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है कि गाय अकेले कोई नहीं रख रक्खे । अगर भैंस भी रक्खे तो मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत बचत हो सकती है ।

[श्री कमला सिंह यादव]

एक चीज और इस विधेयक में २० खंड हैं और इसके ८ खंड के क्लाज ५ में यह दिया गया है कि इस धारा के अधीन दिये गये आदेशों में पशुओं के विभिन्न वर्गों तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न व्यवस्था की जा सकती है और उन्हें सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग में लागू किया जा सकता है ।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक के खंड १ की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसमें इस विधेयक का नाम भी आ गया और इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा यह भी आ गया, लेकिन यह कब से लागू होगा यह समझ में नहीं आया । इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आप विभिन्न वर्गों के और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न समय लेने जा रहे हैं और जब चाहेंगे तब वहां लागू करेंगे । इसलिये इस विधेयक के अन्दर भाग (१) में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि मैंने अपने संशोधन में दिया है । उसको मैं इस समय पढ़ना नहीं चाहता । लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा ही एक विधेयक बम्बई की गवर्नमेंट ने बनाया और फिर बाद में उसको रिपील किया । उसमें भी ऐसी ही व्यवस्था थी कि सरकार जब-जब जहां-जहां जिस-जिस जगह चाहेगी वहां-वहां उसको लागू करेगी । तो हमारे यहां का कानून कोई उस से ऊपर होगा, ऐसी बात तो नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे जिस तारीकें से जिस समय इसको जहां लागू करना चाहें वहां उस तरीके से लागू कर सकें । ऐसा अगर कर दें तो यह एक ज्यादा सुन्दर चीज होगी ।

श्रीमन्, बातें तो बहुत सी हैं इस विधेयक के अन्दर, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हो गये हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय, मेरी रिक्वेस्ट यह भी है कि इसके साथ-साथ इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार भी ले लें ताकि गम्भीरतापूर्वक इसके ऊपर वहां विचार करके जो इसकी खामियां और कमियां हैं उनको दूर कर सकें और इसके बाद जब यह विधेयक यहां इस सदन में आये तो ज्यादा समय हमारा इसके ऊपर न लगे । मैं तमाम चीजों के अन्दर नहीं जाना चाहता । सेलेक्ट कमेटी के लोग इसको देखेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इसकी परिधि बढ़ाने के अधिकार के साथ ले जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें ताकि वहां इसको एक नया रूप दे सकें और साथ ही यह भी देख सकें कि जो विधेयक इससे पहले पास हो चुके हैं, जैसे गोशाला विधेयक है, या और दूसरे विधेयक हैं, उनसे कोई कान्ट्रेडिक्शन इसमें न हो जाय । इन शब्दों के साथ मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जायं और इसको इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश परीक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है,मै उसका समर्थन करता हूं । यह भी चाहता हूं कि जिस समय इसका प्रवर समिति में भेजा जाय तो उसको इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार होना चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि हमारे कृषि मंत्री एक किसान हैं और यह भी सौभाग्य की बात है कि उन्होंने विरोधी पक्ष में बैठ कर अपने कुछ विचार और सुझाव, इस सदन में बैठकर बहुत समय तक दिये हैं और उनको आज उन सुझाव को कार्यान्वित करने का अवसर मिला है ।

मेरे पास कृषि मंत्री जी का ६ सितम्बर, १९५५ का एक भाषण है । जिस समय यह बिल पहली बार इस सदन में, आया था उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने विरोधी पक्ष में बैठ कर

जो विचार प्रकट किये थे, उनको पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "गाय की उसके वंश, उसके दूध, बैलों की क्षति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिये गोवध पर पूर्णरूप से निषेध लगाना आवश्यक है।"

उन्होंने यह कहा था कि गोवध को पूर्ण रूप से रोक दिया जाना चाहिये। मुझे मंत्री जी के ऊपर बहुत श्रद्धा है, उधर बैठता था तब भी और आज जब इधर बैठता हूं, तब भी। मैं उनसे यह अवश्य जानना चाहता हूं कि आज उन्हें कौनसी आपत्ति है और कौनसी परेशानी है कि पूर्णतया निषेध वाली बात वे अपने बिल में नहीं ला पाये। माननीय मंत्री जी इसको बहुत सपष्टता से बतलायें कि क्या इसके लिये उनके साथियों ने नहीं माना या वे स्वंय ही ऐसा नहीं कर पाये हैं।

इसके अतिरिक्त बिलकुल अंत में उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था "मैं सरकार से फिर उन बातों की तरफ ध्यान दिलाने को कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार पसन्द करे तो इस विधेयक की कमी को पूरा करने के लिये इसको वापसलेले और जल्द से जल्द दूसरा विधेयक, जिसमें अलाभकर पशुओं के लिये गोसदनों, पशु सेवा केन्द्रों का प्रबन्ध हो, उसके लिये एक विधेयक लाया जाय, और उसका स्वागत यह सदन करेगा।"

अगर मंत्री जी इन कमियों को पूरा करने के लिये कोई विधेयक इस सदन में लायेंगे तो इधर के और उधर के सब साथी उनके उस बिल का स्वागत करेंगे। और अगर माननीय गेंदा सिह जी अपनी उन पुरानी बातों को इस बिल में न ला सके तो यह उनके लिये एक बहुत ही अशोभनीय बात होगी।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं मैं यह जानता हूं कि पिछले बिल की कमियों को इस बिल में दूर करने का प्रयत्न किया गया है। ५५ के बिल से इसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन यह कहना कि इस बिल के द्वारा उन्होंने सब कमियों को पूरा कर दिया है, जिसकी वे स्वयं मांग किया करते थे, सत्य से बहुत दूर की बात होगी।

इस बिल के ऊपर मैं कल से भाषण सुन रहा हूं। बहुत से मित्रों ने कहा कि सब पशुओं का वध रोक दिया जाय। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि १५ वर्ष की आयु समाप्त होने पर पशुओं को काटे जाने की इजाजत देने का काम उन्होंने अपने किन कर्मचारियों पर छोड़ा है? क्या माननीय मंत्री जी ने विभाग का चार्ज लेने के पश्चात् उस विभाग से करप्शन को बिलकुल दूर कर दिया है? क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कह सकते हैं? जब उन कर्मचारियों में अब भी करप्शन मौजूद है तो फिर उनको इस प्रकार का अधिकार देना उनकी विचारधारा के बिलकुल विपरित जाता है। मैं यह नहीं समझ पाता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई लिस्ट है जिसके अनुसार यह मालूम हो सके कि फलां बछड़े या बछिया का जन्म कब हुआ है? जैसे कि माननीय फूलसिह जी बता रहे थे। मैं भी उन्हीं की तरह एक कृषक परिवार से आता हूं। मैं भी जानता हूं और श्रीमान जी भी जानते होंगे कि जब तक बछड़े के दांत बराबर नहीं होते उसकी आयु बताई जा सकती है, परन्तु जब उसके दांत बराबर हो जायं उसके बाद कोई नहीं बता सकता कि उसकी आयु कितनी है। आपने एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया, वह व्यक्ति एक ५ साल के बछड़े को २० साल का बता सकता है और १५ साल वाले को ५ साल का बता सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति में ले जा कर ऐसी सब बातों पर पूरे तरीके से विचार किया जाय और जो मंत्री जी के विचार इस सम्बन्ध में आज तक पहले से रहे हैं उन्हीं विचारों को वह विधेयक में रखें।

कल यहां आर्थिक और एकानामिक पहलू की बात भी कही गई और कहा गया कि आर्थिक समस्या की तरफ भी हमें देखना चाहिये। उस गौ का जिसे हम गौ माता कह कर पुकारते हैं, जिसका भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख स्थान है, जो हमें दूध देती है और हल के लिये बछडे देती है

[श्री जगबीर सिंह]

वह हमारी एक माता है, दूसरी माता हमारी धरती है जो हमें अन्न देती है और तीसरी माता वह जिसने हमें जन्म दिया है। मैं सेन्टीमेन्ट की बात करने वाले लोगों से पूछता हूं कि क्या वह उन आदमियों के लिये भी कोई ऐसा कानून बनायेंगे जो बेकार या अनएकानामिक हो गये हैं ? मैं समझता हूं कि मंत्रीजी इसको पसन्द नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें अधिकार नहीं है कि हम ऐसा कानून यहां से पास करायें जिसमें गोवध की जरासी भी गुंजायश हो।

भावना की बात कही जाती है। मैं कहूंगा कि भावना ही मनुष्य का जीवन है अगर भावना को निकाल दिया जाय तो पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं रह जाता। अगर भावना को देखा जाय तो प्रदेश की और देश की जनता की आवाज है कि गोवध पूरी तरह से बन्द हो। अगर मंत्री जी इस विधेयक को इस शक्ल में पास कराने में सफल रहे तो वह इस सूबे की जनता से और यहां की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे और जनता कदापि इसको सहन न करेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस विधेयक को अभी प्रवर समिति में जाने दें और वहां पर इस पहलू पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मुझे दुख हुआ जब मैंने इस विधेयक में देखा कि गलत तरीके से किसी मवेशी को काटने वाले की सजा को कम किया गया है। इससे मालूम होता है कि हमारे जो कर्णधार हैं, मंत्रीगण वह किधर ले जाना चाहते हैं। यह बिलकुल एक विरोधाभास है, एक तरफ तो कहते हैं कि कानून को ठीक तरह से लागू नहीं करते और दूसरी तरफ कहते हैं कि अभी तक की सजा बहुत ज्यादा थी। अगर बहुत ज्यादा सजा होने पर भी आप कानून को लागू न कर सके तो आज कौनसा अल्लाउद्दीन का चिराग हाथ आ गया और कौनसी सर्विसेज में तब्दीली आ गई कि आप कम सजा में ही कानून को और अच्छी तरह से लागू कर सकेंगे ? मैं इसको नहीं समझ सका।

यह भी कहा गया कि मवेशियों को सूबे से बाहर नहीं जाने दिया जायगा। ठीक है इस से यह हो सकता है कि आज जो मवेशी बाहर जाते हैं उनकी तादाद घट जाय, आप लाइसेंस दे कर भेजेंगे और उन्हीं को भेजेंगे जो दो-तीन बार बिया चुके होंगे। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर दूसरे सूबे भी इसी तरह का प्रतिबंध लगा देंगे तो हरियाना गायें और मुर्रा ब्रीड की भैंसे हमें भी मिल सकेंगी या नहीं।

अन्त में मैं ज्यादा न कह कर फिर एक बार मंत्री जी से बहुत जोर के साथ प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी उन सब बातों का, जिनको कि वह इधर बैठकर कहते रहे हैं, ध्यान रखें और अपनी उन्हीं भावनाओं को विधेयक में रखने की प्रयत्न करें और मुझे आशा है कि कुछ भी क्यों न हो वह पूर्णतः यहां से गोवध को खत्म करेंगे और प्रदेश की जनता की इस भावना का पूरा-पूरा आदर होगा। इन शब्दों के साथ मैं ठाकुर फूल सिंह जी के प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस देश का रहने वाला हूं। जहां पर हमारी ३ मातायें हैं, एक भारत माता, धरती माता, दूसरी गौ माता और तीसरी वह माता जिस से हम पैदा हुये। इस सरकार ने जब से शासन को संभाला है, संभालते-संभालते उन्होंने देश का बंटवारा करके अपनी माता का वध किया। अब मैं सोचता था कि माननीय गेंदा सिंह जैसे उच्च श्रेणी के नेता कम से कम इस बात को महसूस करेंगे कि गऊ माता का वध न होने दें। जब वे इस ओर बैठते थे तो जितने बिल सदन में पेश हुआ करते थे उन सबकी वे आलोचना करते थे। मैं अब यह सोचता था कि ये मिनिस्टर होने के बाद जब कोई बिल लायेंगे तो सोच समझकर लायेंगे, लेकिन अगर देखा जाय तो इस बिल में आप पायेंगे कि इसमें इतनी खामियां हैं कि इस से गोवध को ही सहायता नहीं मिलती वरन् इस बिल को लागू करने में बड़े-बड़े कानून जानने वाले वकीलों और मैजिस्ट्रेटों को दिक्कत पड़ जायगी और सबको बड़ी परेशानी होगी। हम देखते हैं कि इस प्रान्त में जो कानून बनते हैं वे अधिक नहीं चलते हैं। और दो माह पश्चात ही उनमें तरमीम होने लगते

हैं। मैजिस्ट्रेट जजमेंट देते डरते हैं और लिटिगेन्ट को परेशानी होती है तो मैं सोचता था कि माननीय गेंदासिंह जैसे वरिष्ट नेता तो ऐसे बिल नहीं लायेंगे और जो लायेंगे उसे बड़ा सोच समझकर लायेंगे पर यह भी नहीं हुआ। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर गो ध बहुत होता है। वहां के रहने वाले हिन्दू भाई अपना गल्ला तक नहीं सुखा सकते हैं क्योंकि चील, गऊवों के मांस के टुकड़े हिन्दुओं के घर पर डाल देते हैं।

जहां तक काऊ स्लाटर ऐक्ट का सम्बन्ध है अगर उसमें ४० प्रतिशत मुकदमे चल सकते थे तो वर्तमान बिल में केवल १० प्रतिशत ही मुकदमें चल सकते हैं और इनका भी कामयाब होना मुश्किल हो जायगा। इसमें एक और प्राविधान किया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही कम्प्लेंट करेंगे तभी मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि आप गौर से देखें तो आप पायेंगे कि बहुत से ऐसे अधिकारी होंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, वे मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं तो सरहियन हम देखते हैं कि गोवध हो रहा है पर फिर भी हम मुकदमा अदालत में नहीं चला सकते हैं। तो नतीजा इसका यही होगा कि गऊओं के काटने वालों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उनको कोई पूजने वाला नहीं होगा। हमें यह चाहिये कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट कम्प्लेन्ट नहीं करता है तो इसे और कोगनिजिबिल आफेन्स के समान मानकर इस सम्बन्ध में मुकदमा चलाना चाहिये और तदनुरूप इस बिल में इ का प्राविधान होना चाहिये। मैं अपने जिले में देखता हूं कि जो गऊ काटने वाले हैं वे सजा से डरते नहीं हैं। उनके ऊपर अगर जुर्माना होता है तो वे उससे नहीं डरते हैं। अगर कुछ डरते हैं तो वे सजा से डरते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर एक मर्तबा पकड़े भी गये तो जो जुर्माना होगा उससे ज्यादा तो उनको आमदनी हो जायगी और वे दे देंगे और इस प्रकार छूट जायेंगे, लेकिन अगर उनको सजा मिलती है तो वे कुछ डरते हैं। उस गोवध विधेयक में २ साल की सजा का प्राविधान था, परन्तु इस बिल में इसे घटा कर केवल १ वर्ष ही कर दिया गया है। मैं तो समझता हूं कि इसके लिये आजीवन कैद की सजा होनी चाहिये। अगर एक आदमी का बध होता है तो उस से केवल उसके घर वाले और रिश्तेदार ही प्रभावित होते हैं और उनको कष्ट होता है तो जब इतने कम आदमियों के दुःख होने पर मारने वाले को लाइफ सेंटेंस की सजा हो जाती है, तो जरा आप सोचिये कि जब सारी कम्युनिटी को दुःख होता है तो मारने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिये? जस्टिस माथुर ने होल्ड किया है कि इसमें लाइफ सेंटेंस या कड़ी-से-कड़ी सजा होनी चाहिये, लेकिन इस बिल में कहीं भी इस प्रकार का प्राविधान नहीं है।

इसी तरह से एक सर्टिफिकेट देने का सवाल है कि एक अधिकारी सर्टिफिकेट दे दे कि यह १५ साल का है तो उसका वध हो जायगा आप जानते हैं कि इस युग में जब कि करप्शन अपने हाइयेस्ट लेविल पर पहुंच चुका है बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी इस से वंचित नहीं है तो अगर हम यह प्राविजन रखते हैं कि सर्टिफिकेट देने पर जानवर काटा जा सकता है तो क्या आप समझ सकते हैं कि जो कसाई जिसको अच्छे बैल के ध से ५०० रु० मुनाफा मिल सकता है तो वह १००, २०० रुपया नहीं खर्च कर सकता है रिश्वत देने के लिये? बिजिनेसमैन को जिसमें फायदा होगा वही काम करेगा। इसलिये मेरे विचार से सर्टिफिकेट वाली बात नहीं होनी चाहिये।

हमारे देश में दूध की कितनी कमी है। मैं चाहूंगा कि जितने भी दूध देने वाले पशु हों चाहे बकरी हो भैंस हो तथा गाय हो, इन सब का वध बन्द होना चाहिये, टोटल बैन लगना चाहिये। गोवध में सब शामिल होना चाहिये। इस बिल में काफी कमियां हैं, मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे प्रवर समिति में इसको भेजें ताकि जो कमियां हैं उन पर वहां विचार हो सके और उचित निर्णय लिया जा सके।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का सर्थमन करता हूं। मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जबकि हमको कृषि की उन्नति के लिये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

जनता के लिये, दोनों के लि दूध की और अच्छे जानवरों की जरूरत है तो इस बिल का आना बहुत जरूरी है। जहां तक गाय के जिबह का ताल्लुक है, मैं यह समझता हूं कि यह न केवल एक धार्मिक विषय है बल्कि सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। मैं इस चीज से पूर्णरूप सहमत हूं और मैं आपके द्वारा मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि गाय के जिबह पर पूरी पाबन्दी लगनी चाहिये। और किसी भी हालत में गाय का जिबह होना हमारे लिये मुनासिब नहीं है। जो मौजूदा कानून है वह अगर ढीला-ढाला है तो इस कानून को मजबूत होना चाहिये पूरी तरह से। ताकि पूरी तरह से गाय का जिबह बन्द हो सके। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि गाय का जिबह किसी तरह का भी हो, वह बिलकुल बन्द होना चाहिये।

जो प्रावीजन बुल्स के मुत्तालिक रखा गया है कि १५ साल से ज्यादा की उम्र वाले को जिबह किया जा सकता है, वह भी मैं समझता हूं कि गलत है। क्योंकि हो सकता है कि बैल के रूप में गाय को जिबह कर लिया जाय, हो सकता है कि बैल की उम्र कम हो और उसको १५ साल का बना दिया जाय। इसके अलावा जो विचार बीमार जानवर मारा जायगा उसका गोश्त भी सेहत के लिये अच्छा नहीं हो सकता है और ऐसे गोश्त को बेचने के इजाजत नहीं होनी चाहिये। जब मैं सुन रहा हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जा रहा है तो वहां इस पर ध्यान दिया जायागा और किसी तरीके से भी गाय का जिबह जनहित में नहीं है। चुंकि गाय के साथ एक धार्मिक लगाव भी है और कितने बड़े बड़े फसादात पैदा हो सकते हैं। एक तूफान मच सकता है, साम्प्रदायिक शक्तियों को बल मिल सकता है। इसके लिए इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। लिहाजा गाय का जिवह करना चाहे वह बीमार हो गयी हो, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हमारे परिवार का कोई मनुष्य बुड्ढा हो जाता है तो क्या हम उसकी देख भाल करने में अथवा इलाज करने में कमी कर देते हैं? हमारे ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी है कि हमारा मवेशी जब बुड्ढा हो जाय तो हम उसकी देख-रेख पूरी तरह से कर सकें। यह नहीं कि उसे बेच दिया जाय और खरीदने वाला उसे काट दे। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

जहां तक एक्सपोर्ट पर पाबन्दी लगाने का ताल्लुक है। इस निगाह से भी मैं इस बिल को अच्छा समझता हूं। हमारे अच्छे मवेशी दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं और हमारे पास खराब रह जाते हैं। हमको अच्छे बछड़े तथा अच्छी गाय भैंसें चाहिए, लेकिन वे एक्सपोर्ट होने के कारण नहीं मिल पाती हैं। गाय व भैंसें काफी मात्रा में दूध देती हैं और उनके बाहर भेजने के कारण ही प्रदेश में दूध का जो अभाव है वह बढ़ता जा रहा है। तो इसको कानूनी शक्ल देने के लिए एक्सपोर्ट को बिलकुल बन्द भी नहीं किया गया है बल्कि कायदे के अन्दर लाया गया है जो एक उचित कदम है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सजायें इस विधेयक के तहत तजवीज की गयी हैं गाय तथा बैल को जिबह करने के लिए, गोश्त रखने के लिए वे बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि उनको कठोर से कठोर बनाया जाय ताकि लोग भयभीत हों, डरें और वे ऐसा गलत काम करने की हिम्मत न करें। जो एक साल की सजा है और एक हजार का जुर्माना है उसे मैं काफी नहीं समझता हूं। इन सजाओं को कठोर बनाया जाय, सख्त से सख्त बनाया जाय, ताकि सख्त इकदाम से जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं उनको रोका जा सके।

इसी प्रकार हमारे यहां ऐसे मवेशियों की संख्या ज्यादा है जो न दूध ज्या दा देते हैं और न ज्यादा काम कर पाते हैं तो उनकी नस्ल को सुधारने के लिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमको अच्छे किस्म के मवेशियों की जरूरत है। अपाहिज तथा बुड्ढे मवेशियों की देख-भाल करने के लिए जैसा इस विधेयक में जिक्र किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। आज तक तो बुड्ढे तथा अपाहिज मवेशियों की कोई देख भाल नहीं होती थी लिहाजा लोग मजबूर हो कर काटने के लिए भेज देते थे और अगर उनके लिए पूर्ण रूप से आराम की, देखभाल की व्यवस्था नहीं की जाती है तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य होगा।

सिर्फ विधेयक में इसको रख देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको एक पूरी योजना बनानी चाहिए। क्योंकि ऐसे मवेशी जो अपाहिज हैं और बूढ़े हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जब तक आप उस योजना को अच्छी तरह से नहीं चला पायेंगे और उस योजना को एक सही ढंग से नहीं रख सकेंगे तो मैं समझता हूं कि यह केवल इस विधेयक में---इसको रख देना ही काफी नहीं है बल्कि हमको उसको तरफ बाकायदा और पूर्ण रूप से ध्यान देना है। मैं समझता हूं कि उसके लिए काफी धनराशि की जरूरत है और उसे हमें उपलब्ध करना है।

इसके अलावा हम देखते हैं कि गांवों में ग्रेजिंग लैंड भी नहीं रह गयी है। जो थी वह भी टूटती चली जा रही है और उनके अन्दर खेती होती जाती है। ग्रेजिंग लैंड के अभाव की वजह से आज गांवों में मवेशियों का रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए भी उसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। अब चकबन्दी हो रही है और उसके अन्दर काफी जमीन गांव समाज के पास निकलती है, लेकिन बजाय इसके कि वह जमीन ग्रेजिंग लैंड के अन्दर जाय, वह जमीन खेती के अन्दर टूटती चली जाती है। तो इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों के अलावा मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है, लगता है कि यह उनका विधेयक नहीं है। इसलिए कि गेंदा बाबू से जिस भाषा का प्रयोग मैं समझता था, वह इसमें नहीं है। और किसी नौकर चाकर की भाषा है, ऐसा लगता है। गेंदा बाबू पशुओं के सफाए पर जोर देते हैं, किन्तु मैंने इस किताब में पन्ना उलट पलट कर खोज डाला, इसमें कहीं पशुओं के विकास यह उत्पादन के सिलसिले में कोई बात नहीं है। सिर्फ जिस तरह से इस प्रदेश में अनाज के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि इससे अनाज मिलने लगेगा, उत्पादन ज्यादा हो जायगा। उसी तरह से पशुओं के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाने की बात है कि इससे पशुओं का उत्पादन ज्यादा हो जायगा और उनकी संख्या बढ़ जायगी और खासतौर से बुड्ढी गायों के इकट्ठा करने से आप समझते हैं कि सबको दूध मिलेगा। गेंदा बाबू से मैंने आशा की थी कि गायों और भैंसों के उत्पादन पर अगर किसी तरह से जोर देते और वह उत्पादन बढ़ जाता तो शायद इस बिल की मंशा पूरी हो जाती। लेकिन उत्पादन तभी होगा जब कि किसान घास काट सकें। घास छीलने से उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। गेंदा बाबू जिस इलाके से आते हैं, वहां की औरतों का श्रम बेकार जाता है क्योंकि वे रेलवे लाइन पर या सड़कों के किनारे घास छीलती हैं, काटती नहीं हैं। यहां भी घास काटने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन यह गेंदा बाबू कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिंचाई तो उनके हाथ में है नहीं। सिंचाई की व्यवस्था का खेती की पैदावार के सिलसिले में चारे से काफी सम्बन्ध है। सिंचाई होने से किसानों को चारा मिलेगा जिसे काट कर वे पशुओं को खिला सकेंगे। देवरिया जिले में जहां चीनी का उत्पादन होता है वहां अच्छे दूध देने वाले जानवरों का और अच्छे हल जोतने वाले पशुओं का बाहर से आवागमन हो रहा है। माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक में रखा है कि १५ वर्ष की उम्र के पशु काटे जा सकते हैं। गेंदा बाबू जिस तबके या परिवार से आते हैं उनके यहां तो ६ वर्ष की उम्र में ही बैल बूढ़े हो जाते हैं और शायद किसी काम लायक नहीं रह जाते हैं। कोई अपने घर खिलाने के लिए नहीं ले जा सकता है, वे अपंग हो जाते हैं क्योंकि चारा नहीं है और न ताकत है और न ढंग ही है। उसका नतीजा है कि जानवर का उत्पादन नहीं हो सकता है और न उसका स्वास्थ्य ही ठीक रह सकता है। यह कानून कोई उपाय नहीं है। दवाओं को भेजा जाता है लेकिन वहां उसका पैसा लगता है। बड़े जानवर पर २० पैसे और छोटे पर दस पैसे लगते हैं। एक दिन में जितनी बार जानवर जायगा उतनी ही बार पैसे लगेंगे। कैसे उनकी रक्षा होगी, कैसे उनका सम्वर्द्धन होगा, इस पर आप कभी खयाल नहीं करते हैं। इस कानून के जरिए एक काम यह जरूर हुआ है कि अगर कोई बैल बेच दे और वह बिहार चला जायगा तो उसके ऊपर पुलिस का डंडा पड़ेगा। यह पुलिस को घूस लेने का एक और जरिया मिल गया है। यह डंडा गेंदा बाबू के नाम से मशहूर होगा। इसमें सारे कर्तव्य आपने जनता को दे रखे हैं, किसान

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

को कर्तव्य दे रखे हैं और अधिकार अधिकारियों को दे रखे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यदि सरकार और कृषि मन्त्री इस कानून के जरिए जानवरों को रक्षा करना चाहते हैं तो अधिकारियों को कर्तव्यी बना दें। उनके पास से अधिकार हटा लें और उनके जिम्मे कर्तव्य करें। यदि वे कर्तव्य से च्युत हों तो नौकरी से निकाले जायं। हर तरह से उनकी सजायें शुरू हों तो मैं समझता हूं कि बहुत से मुहकमे ठीक हो सकते हैं और यह मुहकमा भी ठीक हो सकता है। इसका नतीजा यह निकल सकता है कि जो जानवर कट रहे हैं वे बच सकते हैं।

जहां तक जानवरों के कटने से बचाने का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मेरी राय है कि अच्छी नस्ल के गाय और भैंसों को प्राप्त करने की कोशिश की जाय और तब वे अपने आप वध के लिए नहीं भेजे जायेंगे, लेकिन इनकी नस्ल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर इस उत्तर प्रदेश में भी जो कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए भी कोई कोशिश नहीं हुई और न इस जरिए उसका कोई संकेत ही है। इसके अलावा जानवरों के विकास और सम्वर्द्धन के लिए कोई योजना ही नहीं है। सरकार चाहती तो है कि प्रदेश में दूध पैदा हो, अनाज पैदा हो लेकिन उसके लिए कोई कोशिश नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार को अमरीका से गल्ला उधार मिल रहा है ४० साल की किस्तों पर। अकाल पड़ेगा तो अमरीका से उधार गल्ला आएगा और जनता को नगद बेचा जायगा। इस इस तरह पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार को पैसा मिल जायगा और वह ताश खेलने वाली विकास की फौज के ऊपर खर्च होगा। जनता कर्जदार हो जायगी। एक तरफ तो हम कर्जदार होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिबन्ध लग रहे हैं। इसी तरह से प्रतिबन्ध लगाने से पैदावार घट गई। जानवरों की अधिक पैदावार घास काटने से होगी, छीलने से नहीं होगी। जैसी व्यवस्था मेरठ में है अगर ऐसी सारे प्रदेश में की जायगी तो जानवरों की पैदावार बढ़ेगी। सारे अधिकारी बन जायेंगे तो जानवरों के उत्पादन में कमी आयगी और न उनका विकास होगा और न सम्वर्द्धन होगा। एक तरह की घूस देहात में आएगी और हैट गांव में घूमने लगेगा। इसमें सक्षम अधिकारी वगैरह का नाम लिखा है, उन्हीं के नाम से घूमने लगेगा। आप कहते थे कि अंग्रेजों के समय में एक ही हैट घूमता था कानूनगो का। आज इतने कोट, पतलून और टाई लगाकर घूमने वाले अधिकारी हो गए हैं जिनको देखकर जनता दंग रह जाती है और जब वे बात करते हैं तो जनता समझती है कि हमें लूटने का कोई न कोई जरिया ढूंढ़ा जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी बिल आए तो अधिकारी शब्द आप कानून से हटा दें। जहां-जहां अधिकारी शब्द है उसको भी हटाइए, कर्तव्यी शब्द रखिए। उनके काम को देख-रेख होनी चाहिए और जहां कहीं जनता शिकायत कर दे फौरन उनकी नौकरी पर गाज गिरने लगे। तब काम हो सकता है। प्रवर समिति में भेज कर इन तमाम कमियों को दूर कीजिए।

मैं गेंदा बाबू से अपील करूंगा कि इस शब्द पर गौर करें। गाय भैंस, बैल चाहे रहे या कटें, आप जनता को मत सताइए। उन पर मुकदमा मत चलाइए। वह तो उनके अर्थ का सवाल है। उनके अपने पैसे का सवाल है। अगर इस देश की जनता को भूखों मरने से बचाने की गारन्टी नहीं दे सकते, और वह अपनी गाय को नहीं पालना चाहता है तो उसको मजबूर न कीजिए। उसको न सताइए। अपने अधिकारी पर सख्ती कीजिए, जो नहीं सिखा रहा है। एक मिसाल इस सम्बन्ध में देता हूं। १८ वर्ष हो गए पंचायत राज बने लेकिन १०० में से ९० गांव पंचायतें बैठ नहीं रही हैं। पंचायत सेक्रेटरी है, इन्स्पेक्टर है, और दूसरे अधिकारी हैं, अगर इन-इन सभापतियों को सिखाया होता तो सब सीख गए होते। वह अधिकारी कुर्सी तोड़ रहे हैं। उनके बीबी-बच्चे मौज काट रहे हैं। तो अधिकारी शब्द हटा कर कर्तव्यी रख दीजिए और सजा की बात हटा कर इनके ऊपर जिम्मेदारी रखिए। तब कोई नतीजा निकलेगा। हम पर लाठी मत चलाइए। बाबू गेंदासिंह की लाठी के रूप में यह नया कानून हमारे सर पर आएगा और दुख यह है कि पहले चुम्मा गाल काट वाली कहावत है। मन्त्री ने जनता का चुम्मा लिया है इस कानून के जरिए, लेकिन जनता का गाल कट गया। इसके जरिए जनता सतायी जायगी। उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय, इस कानून के जरिए घटेगी। एक

तरह से प्रतिबन्ध लगा कर, दूसरे तरीके से घूस ले कर, तमाम तरीकों से, यह विधेयक जनता की आमदनी को घटाने वाला है। खास कर पूर्वी जिलों की इससे आमदनी घटेगी। इस लिए मैं चाहता हूं, यह प्रवर समिति को दिया जाय और आप प्रतिबन्ध नहीं हटायेंगे तो मांझे वाला बैल, ददरी वाला बैल कहां से मिलेगा? इनको पूर्वी जिलों में आने से रोकना चाहते हैं। और आप प्रतिबन्ध लगाएंगे तो दूसरे भी लगाएगे। एक-एक एकड़ खेती के लिए कत्ल हुए हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के दो सूबों में पड़ने के कारण। और आप जब प्रतिबन्ध लगाते हैं तो दूसरे सूबे भी लगायेंगे। क्योंकि देखा-देखी कानून बन रहे हैं सारे देश में। पंचायत राज कानून इस प्रदेश में बने तो उसकी देखा देखी यह कानून और प्रदेशों में भी बना। तो जो आप प्रदेश के बाहर पशुओं के जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर एक रास्ता दिखा रहे हैं, इससे आगे चलकर आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति में देकर जिन बातों की ओर मैंने इशारा किया है, उनको लाने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाय, पशुओं की दशा सुधारने का प्रयास किया जाए, जिससे जानवर तगड़े, स्वस्थ और दुधारू बन सकें जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकर हों और जिनको काटने की किसी को आवश्यकता ही न हो। और यदि आपने इस ओर प्रयास नहीं किया, पशु दुर्बल ही रहे तो वह आपके कानून बनाने से भी नहीं बचेंगे।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी नें जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसे देखकर हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। माननीय गेंदासिंह के बारे में जैसा कि बहुत से अन्य वक्ताओं ने अपने उद्‌गार प्रकट किए हैं, उनमें से मैं भी एक व्यक्ति हूं। मैं माननीय गेंदासिंह जी को बड़ी इज्जत की नजर से देखता था, लेकिन पहले पहल मन्त्री के रूप में असेम्बली में आकर उन्होंने जो बिल पेश किया, वह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक भावनाओं और आर्थिक दृष्टि से भी बिलकुल विपरीत है। मानी हुई बात है कि आर्थिक समस्या के आधार पर ही सारी समस्यायें और सारा काम काज चला करता है, लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसकी कोई धार्मिक भावना न हो, कोई सांस्कृतिक भावना न हो। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल धार्मिक देश है, इसमें गऊ का एक विशिष्ट और पवित्र स्थान है जो कि हमारे लिए पूजनीय है, जिसकी छाप हमारे प्राचीन साहित्य, सभ्यता और संस्कृति सभी पर है। इसके लिए बड़े-बड़े संघर्ष हुए और बड़ी-बड़ी मुसीबतें देशवासियों को झेलनी पड़ी हैं। इस्लामी शासन काल में भी बहुत से समझदार बादशाहों ने, जैसे अकबर, जहांगीर आदि ने देश की बहुमत जनता की भावनाओं का आदर करते हुए गोवध पर रोक लगा दी थी। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में अवश्य हिन्दू, मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कुटिल नीति के कारण इस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था और इसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

इसके बाद खुशकिस्मती से हमारे देश को स्वतन्त्र होना पड़ा और स्वतन्त्र होने के थोड़े दिनों के बाद हमारी सरकार ने अनुभव किया कि गोवध इस देश में बन्द होना चाहिए और इसका देश के सभी तबकों और धर्मवालों ने अनुमोदन किया। गोवंश की उन्नति के लिए पशुओं के पशु सुधार के लिए हमारे प्रदेश में काफी गोसदन इसी दृष्टि से खोले गए। गोसदनों को खोलने की मंशा यही थी कि उसमें हमारे लूले-लंगड़े और अपाहिज गायें रखी जाएंगी, जिनकी जनता अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकती और वे वहां पर अपनी मौत मरेंगी और उनको काटने की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी मंशा थी कि रोज-रोज जो इस को लेकर फिरकापरस्ती के झगड़े होते हैं वह भी बन्द हो जायेंगे, उनका उन्मूलन हो जाएगा। किन्तु मैं समझता हूं कि जो भावना लेकर गोसदनों की स्थापना हुई थी, उसे सरकार निभा नहीं सकी है। जो थोड़े बहुत गोसदन हैं, उनमें भी गाय आदि की बहुत बुर्दशा है, इसके लिए आवश्यक है कि गोसदनों पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए मैं फिर मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा।

[श्री रामभजन]

हमने गायों को माता का स्थान प्रदान किया है। गाय हो चाहे बैल हो हम एक धर्म प्रधान देश के रहने वाले हैं। जिस पशु ने हमें दूध दिया, जिसने हमें बैल दिए, जिसने हमारी खेती में काम किया, वह भी हमारे लिए दूभर हो जाय, बुढ़ापे में उनकी परवरिश करने के बजाय उनको कसाइयों के सुपुर्द कर दें, इतनी कृतध्नता, इतनी नीचता और इतनी संकीर्णता तो नहीं होनी चाहिए। और अगर यह आया तो आगे चल कर वह वक्त आ सकता है कि जब हम बूढ़े मां, बाप और बुजुर्गों के लिए भी यही रास्ता अपनाने लगें। आर्थिक आधार पर बहुत सी बातें सुलझ सकती हैं, लेकिन हमारे देश में सर्वथा इसी आधार पर काम हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसा अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि आप इस तरह के काम करके भ्रष्टाचार के लिए मौका देते हैं कि उसका बोलबाला हो जाय। उनके लिए इस तरह का मौका हो जायगा कि ८ साल के पशु को वह १५ साल का करार दे दें और उनको कटने का मौका मिलेगा। कानूनी रूप हो जाने से फिर कोई नहीं कह पाएगा कि ८ साल की या १५ साल की कटने जा रही है। हमारे देश का बच्चा-बच्चा इस चीज को बहुत निषिद्ध समझता है। जो चीज आज उत्पन्न की जा रही है उसका व्यवसाय करने वाले दूसरे व्यवसाय अपना चुके हैं। मैंने देखा है कि कसाइयों के परिवार के परिवार आज सब्जी की काश्त करने लगे हैं। लेकिन आज हम उनको फिर उत्साहित कर रहे हैं कि वे फिर से उस व्यापार को आरम्भ करें। जो अच्छी चीज हमने की थी उस पर हम आज पानी फेरने लगे हैं। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ऐसी अदूरदर्शिता का काम हमें नहीं करना चाहिए। जो भी काम हम करें उसे बहुत सोच-समझ कर करना चाहिए। एक तरफ तो आपने गोवध बन्द किया और दूसरी तरफ आप गोवध शुरू करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का इस तरह से गोवध को कानूनी रूप दे देना उसके लिए और हम सब के लिए घातक चीज होगी। यह बहुत ही अदूरदर्शितापूर्ण कानून है और मैं, ठाकुर फूलसिंह ने जो इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है उसके जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। साथ ही यह भी मांग करता हूं कि प्रवर समिति को इस बात का अधि कार दिया जाय कि वह बिल को पूरी तरह से आद्योपान्त देखे, विचार करे और उसका मुख्य ध्येय गो वध बन्द करना हो। इस में बहुत सी धारायें हैं जिनका समर्थन हो सकता है, लेकिन गोवध वाली बात इससे निकल जानी चाहिए बल्कि उसके सम्बन्ध में जितनी धारायें हों गोवध बन्दी सम्ब धी उनको अधिक मचबूत किया जाना चाहिए। अगर हम इस कानून को जैसा इस वक्त हमारे सामने हैं पास करते हैं तो हमारे देश और प्रदेश में वह तहलका मचेगा जिसको रोकने की शक्ति गवर्वमेंट में नहीं होगी।

मैं जानता हूं कि यह बिल वह सरकार लायी है जिसके दल का मैं हूं, लेकिन मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं, मुखालिफत करता हूं और यह चाहता हूं कि सरकार यह बिल फौरन वापस ले ले या फिर प्रवर समिति को सुपुर्द करके इसमें इस तरह का संशोधन किया जाय जिसमें गोवध का पूरी तरह से निराकरण हो जाय। यह नहीं होना चाहिए कि इसमें कहीं किसी तरह की कोई गुंजायश निकल जाय, क्योंकि गुंजायश से बहुत नुकसान हो जाते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि अभी कर्मचारिवर्ग इतने ईमानदार नहीं हैं, मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इसमें इस तरह की गुंजायश नहीं रखना चाहिए और अगर व्यवहार की दृष्टि से रखना आवश्यक हो तब भी मैं कहता हूं कि जन-भावनाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन किसी के धर्म पर या धार्मिक विचारों पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए। संविधान में हर शख्स को अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के मुताबिक धर्म को पालन करने की पूरी आजादी है। दूसरे मुल्कों में, यूरोप में भी जहां ईसाइयों का बोलबाला है वहां भी कुछ चीजें हैं जिसमें धर्म को मानकर चला जाता है। इसी तरह इस्लामी मुमालिक में भी होता है। आर्थिक आधार से ऊपर जहां धार्मिक आधार को प्रश्रय दिया जाता है, धर्म वास्तव में मनुष्यता का सबसे बड़ा प्रहरी है, धर्म ही सबसे अच्छी चीज है, धर्म जिस देश, जिस जमात के अन्दर होता है वह ऊंचे उठता है।

यकीन मानिए विशुद्ध आर्थिकवाद हमारे लिए श्रेयकर नहीं होगा । इसलिए हमारी प्रार्थन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करें । इसमें इस तरह का प्राविधान होना चाहिए जिससे गोवंश और गाय का वध पूर्ण रूप से रोका जाय, उसका पूरी तरह से रक्षण किया जाय और इसमें किसी तरह से हेरफेर नहीं होना चाहिए और उनको किसी तरह से न कटने दिया जाय। बसमुझे आपसे यही निवेदन करना है।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी सेवा में निवेदन यह करना चाहता हूं—

खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है
तड़प ए दिल तड़पने से जरा तसकीन होती है ।
न समझे उमर गुजरी इस बुते मंत्री को समझाते
पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते ।

भगवान किसी के ऊपर पत्थर नहीं बरसाते हैं और न कोई फूलों की वर्षा करते हैं लेकिन जिसको वह सुख-दुख देना चाहते है, उसकी मति वैसी ही कर देते हैं ।

जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकी मति पहिले हर लेई।

भगवान तो वैसी ही उसको बुद्धि दे देते हैं । जिसको जो भी सुख दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को उसी प्रकार का कर देते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि भगवान मंत्री जी को सुबुद्धि दें ।

जब मैं बादशाह अकबर और औरंगजेब के इतिहास का सिंहावलोकन करता हूं तो मुझे कुछ बाते समझ में आती हैं कि बादशाह अकबर ने मानसिंह और बीरबल को इतना महत्वपूर्ण पद क्यों दे रखा था । औरंगजेब ने जयसिंह को इतना महत्वपूर्ण पद दे क्यों रखा था वह बात मुश्किल से ही समझ में आती है । बहुत गौर करने के बाद यह बात समझ में आई कि जब ये बादशाह अकबर और औरंगजेब हिन्दुओं का कचूमर निकलवाना चाहते थे तो इन हिन्दुओं को आगे कर देते थे । इसी प्रकार के कार्य "यानी मुसलमानों के सामने किसी मुस्लिम लीडर को खड़ा करने की" श्री नेहरू ने भी किये हैं। कदाचित् इसी प्रकार का अनुशीलन यह मौजूदा सरकार भी कर रही है कि हमारे एक नये मंत्री के जरिये से यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत कराया जा रहा है । श्री चरणसिंह जी को मैं सहस्त्रवार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में कभी साहस नहीं किया । अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई जो इधर बैठा करते थे उनके द्वारा इसको यहां पर प्रस्तुत कराया जा रहा है । हमारे भाई मंत्री जी को पता नहीं कि इस विधेयक को पास करने के बाद क्या होगा । जब वह इस विधेयक को पास करने के बाद अपने घर पहुंचेंगे और अपनी पत्नी से कहेंगे कि हम एक ऐसा विधेयक पास करके आये हैं तो वह यही कहें कि इससे गोवध होगा । १५ वर्ष के पशु का वध का अधिकार देकर आप वध की बात चलाना चाहते है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता लेकिन आपकी जो बैलों की जोड़ी है उसको मैं १८ वर्ष का सर्टिफिकेट देता हूं। क्या आप अपनी बैलों की जोड़ी को कटवा कर कोई दूसरा सिम्बल निश्चित करना चाहते है? मुझे इससे पता चलता है कि आप इस प्रकार का विधेयक पास करके अपने बैलों की जोड़ी का सफाया करना चाहते है । इससे यह साफ है कि

जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकी मति पहिले हर लेई।

जिस प्रकार से एक नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है इसी प्रकार से नये कृषि मंत्री अधिक क्रियाशील हैं । इसी कारण से इन नये मंत्री की इस कार्य करने के लिये रुचि हुई है । प्रस्तुत विधेयक के नाम और काम में बहुत अन्तर है । अन्धे का नाम नैनसुख कर दिया गया है । उसी प्रकार से इस विधेयक का नाम रखा गया है ।

[श्री लोकपालसिंह]

ऐ नामवर अन्दाजे सखुन मुझसे सीख ले, तारीफ के पहलू में शिकायत हो किसी की।

तेरे हर राज की पेचिदगियों को मैं समझता हूं, भले मुझको न तुम समझो, तुम्हें मैं तो समझता हूं।

सरकार यह सोचती है कि चाहे जितनी भी गुनाहर कर ली जाय मगर कुछ नहीं हो सकता है। तो उनका यह सोचना सही है।

गुनाह कर तो, तू कर ले इतने न कर सके जो शुमार कोई,
खुद बख्श देगा खुदा हो तुझको न कर सकेगा हिसाब जब वह।

आपके गुनाहों का हिसाब हो सकना बड़ा मुश्किल है। यह गुनाह इतने जबरदस्त हैं और खासकर यह गुनाह तो सबके ऊपर छा गया है। श्रीमन्, गाय की महत्ता हमारे यहां बहुत बड़ी है। मैं मथुरा जिले में जब था, मेरा वहां फार्म था तो मैं अपनी आंखों से देखा करता था कि वहां के मुसलमान जब नया कपड़ा पहनते थे तो गाय या बैल के पैरों पर डाल कर वह उसे शरीर पर धारण करते थे, हिन्दुओं की तो बात ही क्या। वहां के मुसलमानों की यह हालत थी। कभी वह पहले कपड़ा नहीं धारण करते थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो आदमी दुखी होता था गाय को १५ दिन या एक महीना लोई दिया करता था। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन तो दूर रहा, गायों को चराने वाले की पूजा होती है और उनको पारितोषिक दिया जाता था। वहां गायों नहीं गोपों तक की पूजा होती है और गाय की पूंछ से पुरखे तरा करते हैं। गायों का दान कन्या दान के साथ दिया जाता है। गाय और कन्या का दान साथ-साथ दिया जाता है। यह अपने यहां की परंपरा है। हम हिन्दुओं में तीन मातायें मानी जाती हैं पृथ्वी माता, गाय माता और निज माता। आपने पृथ्वी माता का तो खंडन कर दिया। अब गाय माता का हनन करने की सोच रहे हैं। अपनी मां के टुकड़े कब करोगे जिससे पैदा हुए हो ? यह बड़ा भारी आरोप है आप पर। मेरा पूज्यपाद बापू से भी संबंध रहा है। मैं उनकी शरण में बहुत समय तक था। आप उस दल को नरक कुंड में न डालें ऐसा विधेयक पास कर के। मैं आप को कृष्ण और दलीप का स्मरण दिलाना चाहता हूं। कृष्ण का नाम गोपाल था। दलीप राजा की ख्याति है कि उन्होंने गाय का पूजन कर के ही पुत्र की प्राप्ति की थी। मैं आप से निवेदन करता हूं कि:—

प्राण बचावो इन गइयन के जग में कीरत बढ़ै, तुम्हार,
करो पालना निज लड़कन की पुरखन बैतरनी देउ उतार।
इन के दूध दही की महिमा, जाने देव पितर सब कोय,
को, अस जग में दूसर जेहि को गोबर लगे पवित्तर होय।।

गैया के सिवा और कोई हमारी नैया का सहारा नहीं है। अगर आप अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं तो इस विधेयक में सुधार करें। श्रीमन्, लोक कल्याण के लिये मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप इस विधेयक पर विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने की अवश्य कृपा करें।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में आज दो दिनों से माननीय गेंदा सिंह जी ने पशु परिरक्षण और संरक्षण का जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जब १९५५ में यह विधेयक अधिनियम के रूप में हमारे प्रदेश में आया और आज पुनः १० वर्ष बाद इसका यह स्वरूप उपस्थित किया गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ऐसा मालूम होता है कि इस दस वर्ष के कार्यकाल में उसमें जो खामियां रह गयीं थीं, देखने में आयी थीं, उनकी पूर्ति इस विधेयक के द्वारा हो रही है। लेकिन मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस दस वर्ष में प्रदेश में जब से वह विधेयक उपस्थित हुआ था, जहां तक गो हत्या का संबंध है, करीब करीब सब शहरों और जिलों में थोड़ा ही सुनने में आया, अन्यथा जहां तक गो हत्या का संबंध है, वह विधेयक काफी सफल रहा। लेकिन आज जिस रूप में अब प्रदेश में यह सक्षम अधिकारी १५ वर्ष की उम्र के जानवरों को सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, तो क्या इसकी ओट में वही चीज नहीं होगी कि जो और दूसरे विभागों के सक्षम अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और क्या इस प्राविधान का दुरुपयोग नहीं किया जायगा ? ऐसा अवश्य होगा। मैं आपको यह बताया चाहता हूं कि मैं बनारस के ऐसे अधिकारी की बात कह रहा हूं जिसकी रिपोर्ट है चरणसिंह जी के पास कि वहां बहुत से ऐसे बधालय हैं जो प्राइवेट घरों में हैं और ऐसी जमातों में हैं कि चारों ओर कसाइयों के घर हैं। वहां ऐसे पशुओं का बध होता है जिनका कि बध नहीं होना चाहिये। तो जब इतने कठोर दंड और नियम के होते हुए भी इस तरह के लूप-होल्स रहे हैं जिसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं तो जब आज खुली छूट आप दे रहे हैं कि १५ वर्ष की उम्र के पशुओं को काट सकते हैं और डिक्लेयर करने का अधिकारी को अधिकार दे रहे हैं कि १५ वर्ष की उम्र वाले का खुले आम बध करो तो जिस चक्र को आज से १० साल पहले बन्द किया था, क्या यह उसके लिये फिर से एक तरह का आह्वान नहीं होगा ? मैं तो यह चाहूंगा कि आप उस १० वर्ष के तजुर्बे को देखिये, उससे फायदा उठाइये। जिस समय आपने उस कानून को पास किया था, उसका स्वागत हुआ था, जनता में कितनी लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की थी। तो आपको तो यह चाहिये कि जितने लूप-होल्स हों उनको बन्द करें उस तजुर्बे के आधार पर। उसको कानून में लाइये। दो पन्ने का विधेयक है। इसमें इस प्रकार से गाय, बैल, भैंस की नस्ल सुधारने की बात समझ में आती नहीं है। अगर आपने आर्थिक पहलू को सोचा है तो मैं आपसे कहूंगा कि चले जाइये बंगाल और कलकत्ते में। हजार हजार रुपये की भैंस एक बार में बिकती है और पूरा १ हजार रुपया मय ब्याज और मुनाफे का केवल एक बार में ही उस भैंस से उसको दुहने वाला निकाल लेता है और उसका अंजाम यह होता है कि जितनी गायें, भैंसें आज बंगाल और कलकत्ते में जाती हैं उनका पूरा रुपया चुकता हो जाता है और वह सब कसाइयों के यहां चली जाती हैं। इसलिये अगर आर्थिक पहलू पर ही विचार करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जैसे कि दूध की महंगाई चल रही है वह और बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

इसके आर्थिक पहलू ही नहीं हैं, और भी सार्वजनिक पहलू हैं। आप इन भैंसों को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकेंगे ? अगर इस पर विचार नहीं किया जायगा और केवल उम्र की कैद करके काटने का लाइसेंस दे दिया जायगा तो सारी गायें, भैंसें इस प्रावीजन के द्वारा कटती चली जायंगी। जैसा कि ठाकुर फूलसिंह जी ने कहा है, इस विधेयक को फिर से प्रवर समिति में भेजिये और इसके हर एक पहलू पर विचार कीजिये। यह तो हमारे देश और प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसके हर एक पहलू पर, आर्थिक, सामाजिक और यहां तक कि भावनाओं की बात की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। मैं तो कहूंगा कि कौन सा हिन्दुस्तानी है, मैं तो मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूं जिन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि टोटल बैन लगाइये गो-हत्या पर। जैसे कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, उसमें भी कहा है प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में टोटल बैन होना चाहिये। तो मैं ऐसे विचारों का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप तमाम हाउस की भावनाओं का आदर करें और इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें ताकि यह एक मुकम्मिल बिल बन कर हमारे सामने आ सके। जहां तक भावनाओं का संबंध है, कोई भी राष्ट्र बिना उसके जीवित नहीं रह सकता। हमें अपनी भावनाओं को जागृत रखना ही पड़ेगा।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय फूलसिंह जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ठाकुर फूलसिंह जी के भाषण के पश्चात् अब किसी और तर्क के पेश करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी उनके तर्कों को स्वीकार करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार हो जायेंगे।

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि यह विधेयक अपूर्ण है। इस विधेयक में पशुसंवर्धन के लिये एवं उनके विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। पशुधन के विकास के लिये आज एक व्यापक कार्य-क्रम बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि उसके संबंध में व्यापक कानून न बनाया जाय। इस छोटे से विधेयक में २-३ बातें ऐसी हैं जिनमें बड़ा ही विरोधाभास है उनकी तरफ मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस तरफ धारा २ में जहां पशु की व्याख्या की गयी है उसमें गाय और भैंस दोनों को रखा गया है। धारा ३ में जहां पशु वध की व्यवस्था है उसमें भैंस को अलग कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों में विरोधाभास है, क्योंकि धारा २ में आपने भैंस को सम्मिलित किया है, धारा ३ में नहीं किया है। इस तरह और भी जगह विरोधाभास है। मैं समझता हूं कि सन् ५५ का जो अधिनियम है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है।

इसके अलावा इसमें निर्यात पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। अगर हर प्रदेश में इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो उसका क्या फल होगा? हमारी तरफ, विशेष कर पूर्वी क्षेत्र में काफी संख्या में बछड़े वगैरह पंजाब से आते हैं। अगर वहां पंजाब में भी उनके निर्यात पर उत्तर प्रदेश की नकल कर पशु प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो इससे बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जायेगा।

मैं समझता हूं कि यदि पंजाब की सरकार ने भी इस प्रकार का अधिनियम बनाया तो पशुधन का जो विकास हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो निश्चय ही उसमें अवरोध पैदा होगा मैं समझता हूं कि निर्यात में प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था उचित नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की सोचने लगते हैं। बिहारी लोग बिहार की सोचते हैं। पंजाब वाले पंजाब की सोचते हैं। आखिर भारतवर्ष कहां जायेगा। भारतवर्ष में हम हैं या नहीं? एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश के खिलाफ हम बात करते हैं। एक प्रदेश में हम दूसरे प्रदेश के हित का ध्यान नहीं रखते। प्रदेशीय भावना बढ़ती है और इससे देश की एकता को ठेस पहुंच रही है।

हम बलिया जिले के रहने वाले हैं और जिस क्षेत्र से चुनकर मैं इस आदरणीय विधान सभा में आया हूं वह क्षेत्र तीन तरफ से बिहार से घिरा हुआ है। हमारे क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में बिहार के शाहाबाद और छपरा जिले हैं। मैं देखता हूं कि आपके प्रदेश में खाद्य नियंत्रण कानून फूड ग्रेन्स ऐक्ट लागू है। कितनी असुविधायें उस सरहदी इलाकों में होती हैं वे कठिनाइयां बलिया के लोग भी उठाते हैं, छपरा और शाहाबाद के लोग भी उठाते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इस कठिनाई का अहसास सरकार चलाने वाले लोगों को क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं देखता हूं कि निर्यात पर प्रतिबन्ध संबंधी धारा इस अधिनियम में स्वीकार हुई तो एक बहुत बड़ी कठिनाई सरहदी जिलों के किसानों एवं पशुपालकों के सामने उपस्थित होगी। निर्यात अवश्य ही होगा और निर्यात बन्द होगा भी नहीं। आप केवल इतनी ही व्यवस्था कर के अपने अधीनस्थ अधिकारियों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आमदनी का स्रोत खोल देंगे। उन आस पास के सरहदी थानों के थानेदारों की आमदनी का स्रोत आप खोल देंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों की आमदनी का स्रोत भी खुल जावेगा। मुझे स्मरण है कि हमारे प्रदेश में पहले भी प्रतिबन्ध लगाया गया था और उस जमाने में जो घाट के घटवार थे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। घटवार पैसे लेकर बलिया से दूसरे पार दुधारू जानवर भेज दिया करते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। इस प्रकार से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने मात्र से निर्यात बन्द नहीं होगा। एक अनुचित आय का साधन पशुपालन विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों का बढ़ जावेगा। इसलिये मैं इस खतरनाक धारा की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके संबंध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देहात में बहुत से ऐसे गरीब साधनहीन लोग हैं, ग्रामीण हैं जिनके पास एक बिस्वा भूमि नहीं है। वे किसी पैसे वाले से किसी गांव के बड़े किसान से बछिया लेते हैं अधिया पर, उसकी पुसवाई करते हैं, या उधार लेकर ही बछिया खरीदते हैं और अपने हाथ से या बीबी या बाल बच्चों के परिश्रम से उसकी खिलाई पिलाई, घास या पत्ते से करते हैं। गरीब पशुपालक जानवर तैयार होने पर उसे बिक्री कर ऋणदाता को सूद के साथ पैसा देते हैं वे बेचारे किसान और कुछ पैसा जो बचता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

(इस समय २ बजकर ३६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।

यदि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगायेंगे तो ऐसे लोगों के सामने एक संकट की स्थिति पैदा होगी। वे बिक्री नहीं कर पायेंगे और उनको अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी। उतना ही पैसा शायद उनको मिल पावेगा जिससे वे अपने साहूकार का मूलधन और सूद भी मुश्किल से दे सकेंगे। इसलिए इस प्रतिबन्ध के लगाने से हमारे देहात के वे गरीब लोग हैं जो बछिया पड़िया पालकर उसे गाय और भैंस बनाते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन चलाते हैं और जिनका जीवन इसी पर निर्भर है उनका जीवन संकटग्रस्त हो जायगा। आप यह तर्क दे सकते हैं कि वे दूध बेचकर अपना जीवन चलायें, लेकिन वह तो साहूकार और महाजन से पैसा लाकर बछिया और पड़िया पालते हैं, उन्हें उनका पैसा वापस करना होता है। वे उसे बेचकर ही पैसा वापस कर सकते हैं। दूध बेचकर पैसा वापस नहीं कर सकते। इसलिये निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि हम पंजाब से लेते हैं, हथुवा इत्यादि जगहों से बैल आते हैं देवरिया में। चम्पारन की तरफ से, पूर्णिया की तरफ से कुछ बैल आते हैं और कुछ हमारे बलिया की तरफ से वहां जाते हैं। यह जो आदान-प्रदान है यह स्वाभाविक है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना जनता के कष्ट को बढ़ाना है। इसलिये इस निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का मैं घोर विरोध करता हूं। साथ ही यहां कहा गया है कि यहां की दुधारू गायें कलकत्ता जाती हैं और वहां कट जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें सच्चाई है और इसके निराकरण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं कोई ऐसी व्यवस्था आप करते हैं कि जो गायें और भैंसे इधर से कलकत्ता आदि नगरों में जाती हैं, उन्हें सूखी होने के बाद अपने उत्तर प्रदेश का कृषक वहां से सूखी गाय और सूखी भैंस कम कीमत देकर ले आये, ऐसे पशुपालकों को इसके लिये अनुदान के रूप में मदद क्यों नहीं देते? अगर आप उनको थोड़ा सा अनुदान दे दें तो यहां के किसान पशुपालक वहां की सारी कीसारी सूखी गायों और भैंसों को यहां ले आयेंगे। हमारे यहां बहुत से ऐसे परिवार हैं खासकर गंगा और घाघरा के किनारे के इलाके में जो कलकत्ते से सूखी गायें भैंसें लाते हैं और उनको फिर दुधारू बनाकर अच्छी कीमत पर बेचते हैं। इस निर्यात के प्रतिबन्ध से हमारे यहां के ऐसे लोगों के व्यवसाय पर भी रोक लगेगी। (श्री कमला सिंह यादव के कुछ कहने पर) कमला सिंह जी कहते हैं कि पाले हम और दे दें कलकत्ता वालों को? बहुत कुछ आप पालते हैं और दूसरों के हाथ पकड़वा देते हैं। यह गाजीपुर का ही नियम होगा कि जो पाले वह घर ही में रख ले। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का कोई प्राविधान होना चाहिये जिसमें कि सूखी गायें और भैंसें कलकत्ता आदि बड़े नगरों से हमारे यहां आवें।

[श्री मैनेजरसिंह]

दूसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि गरीब किसान जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, जो केवल पशुपालक हैं और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं ऐसे लोगों के लिये कोई ऋण की और अनुदान की व्यवस्था विभाग द्वारा होनी चाहिये ।

इस विधेयक में पशु संरक्षण के नाम पर पशुवध की व्यवस्था की गई है । वध से आपका प्रेम क्यों है । ऐसा लगता कि सरकार की दृष्टि साफ नहीं है । एक तरफ तो जंगल कटवाती है और दूसरी ओर वन-रोपण करती है । एक तरफ गोसदन स्थापित करती है ताकि उनमें बूढ़े और अपाहिज पशु रखे जावें और दूसरी तरफ उनके वध का प्रबन्ध कर रही है । इसलिये पहले सरकार का विचार साफ होना चाहिये । आज हमारे प्रदेश में इने गिने गोसदन स्थापित हैं । मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक सरकारी गोसदन हो । जो धार्मिक भावना के लोग हैं और सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार साधन दे जिससे वे लोग ऐसी संस्थायें खड़ी करें जैसे गोसदन होते हैं । पहले इस देश में गोलच्छनी का बहुत बड़ा जाल चलता था । एक-एक टोकरी भूसे से यह गोलच्छनी चलती थी । लेकिन आज सरकार समझती है कि सारा काम कानून से ही हो सकता है । पशुवध पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये । ऐसा कोई विधेयक माननीय मंत्री जी लावें ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके ।

इस विधेयक में केवल सरकारी अफसरों के अधिकार बढ़ाने की बात कही गई है । उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि अगर वे चाहे तो सुलह कर लें । सरकारी मुकदमा हो और अधिकारियों की पाकेट गरम हो जाय तो वे सुलह कर लें । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी या सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिकांश अधिकारी ईमानदार हैं । आज यह बात निर्विवाद है कि अधिकांश कर्मचारी ईमानदार नहीं हैं । जो ईमानदार हैं उनकी पूछ भी सरकारी मशीनरी में नहीं हो रही है । चाहे वे किसी भी विभाग में हों । हर अधिनियम में सरकारी अफसरों की फौज के खाने और चरने की व्यवस्था करने से प्रदेश का भला नहीं होगा । जिन किसान और मजदूरों के वोटों से आप यहां बैठे हुए हैं, माननीय उप मंत्री भी यहां विराजमान हैं, उनका कोई भला नहीं होगा । जैसा माननीय चन्द्रबली सिंह जी ने कहा, विधेयक का डंडा गांव में पशु पालने वालों पर पड़ने वाला है । उनकी आह से आप नहीं बचेंगे । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर फिर से विचार करें । मैं किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, न माननीय मंत्री जी को, न उपमंत्री जी को और न भूतपूर्व कृषि मंत्री को जिनके समय का यह विधेयक है।

माननीय जे०पी० मिश्र यहां नहीं हैं । उन्होंने कहा कि ये पेशेवर विरोधी हैं। हमारा तो पेशा ही यह है कि गलत बात का विरोध करें और सही सुझाव सरकार को दें । हम उनके जैसे नहीं हैं कि आपसी गुटबन्दी का नग्न नृत्य ऐसे विधेयकों के समय भी वे लोग करते हैं उन्होंने १० बार कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी उधर चले गये । वे भी इधर से उधर गये हैं । अगर उनकी मौजूदगी में मुझे मौका मिला होता तो मैं दूसरा ही भाषण करता, लेकिन अब मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं ।

इतना माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर जितने माननीय सदस्य बोले हैं, एक या दो को छोड़ कर, सभी ने इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, माननीय फूल सिंह जी प्रस्तावक का उनका सम्मान सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के सभी लोग समान रूप से करते हैं । हमारे मंत्रि-परिषद के बुजुर्ग लोग भी उनका सम्मान करते हैं । वे पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी से ऊपर होकर बात करते हैं । उन्होंने जो तर्क इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये दिये हैं वे अकाट्य हैं और मानने योग्य हैं । मैं समझता हूं कि उनका असर सरकार पर हुआ होगा और वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार होंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय फूल सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया क्योंकि मैं इस विधेयक पर कल से बोलने का इच्छुक था ।

श्रीमन्, यह विधेयक बहुत ही अच्छा है । जिस पशु-वध के लिये यह विधेयक बनाया गया है, मैं उस विभाग के अधिकारियों और मंत्री और उप मंत्री की प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि काफी मेहनत से उन्होंने यह विधेयक बनाया है परन्तु यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें ठीक करने के लिये प्रवर समिति में भेज देना चाहिये । इसमें कोई हठ की बात नहीं है । मनुष्य स्वयं भी पूर्ण नहीं है, उसमें भी कमियां हैं ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं । यहां के दुधारू जानवर दूसरे प्रान्तों और विदेशों को भेजने को जो छूट दी हुई थी उसका मुख्य कारण यह था कि पैसे वाले लोगों ने खेतिहर मजदूर के रोजगार को बहुत ठेस पहुंचाई । उन्होंने कम पैसे में यहां से जानवर खरीद कर कलकत्ता बम्बे भेजे और अपनी गाड़ियों में और रेलों के द्वारा, और खूब मुनाफा बनाया । इस तरह से यहां दुधारू पशुओं का विनाश हुआ और वहां उन्होंने बड़ी बड़ी कीमतें वसूल कीं और यहां के लोगों को बहुत कम से दिये । अपनी जेबें खूब भर लीं । मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर और अलीगढ़ इत्यादि के आसपास का सारा दूध दिल्ली जा रहा है और वहां का किसान मजदूर बगैर दूध के तड़पता है । उसकी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है । यदि की होती तो इस प्रान्त का दूध दूसरे प्रान्तों को न चला जाता और हमारे बच्चे मुंह फैलाये न रह जाते । आज हमारे बच्चों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये दूध उपलब्ध नहीं है । लेकिन सरकार ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । क्यों नहीं दिया है, यह समझ में नहीं आता । क्या उसको केन्द्रीय सरकार का डर है ?

यही बात नहीं है । जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी इस सरकार को कोई परवाह नहीं है । इस सरकार ने पशुओं को पालने के लिये गरीब लोगों को कोई अनुदान नहीं दिया है । यह सरकार गरीब की सरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है । यह सरकार मजदूरों की सरकार नहीं है, गरीब किसान की सरकार नहीं है । यह बड़े किसान की सरकार नहीं है । ऐसे किसान की सरकार है, जैसे श्रीमन्, आप हैं । ऐसे किसानों की सरकार है जिनके पास २–२, ३–३ हजार एकड़ के फार्म्स हैं । यदि यह गरीब किसान और मजदूरों की सरकार होती तो उनको इस प्रकार का अनुदान अवश्य देती जिससे जिनके पास भूमि नहीं है, वे अपना पेट दुधारू पशु पालकर पाल सकें । जो सेठ साहूकार हैं लोग उनसे तीन रुपया दो आना फी सैकड़ा सूद पर इस काम के लिये पया लेते हैं और अच्छे अच्छे पशुओं को खरीद कर कलकत्ता और बंबई को ले जाते हैं । जब मैंने इस विधेयक में पढ़ा कि सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है तो मेरा हृदय गदगद् हो गया और कहा कि सरकार ने यह काम बहुत अच्छा किया । अब किसान को भी खेत जोतने के लिये अच्छे बछड़े मिलेंगे । क्योंकि अभी तक गरीब किसान अच्छे बैल नहीं खरीद पाता है । बड़े बड़े फार्म वाले तो अपना फार्म ट्रैक्टरों से जोतते हैं । उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अच्छे बैल खरीद सकें ।

इस विधेयक के उद्देश्य में यह दिया हुआ है कि जो अच्छे पशु पालेंगे, उनको अनुदान और इनाम दिया जायगा । जहां तक गो-सदनों का ताल्लुक है, मेरा विचार है कि प्रत्येक जिले में गो-सदन होने चाहियें ।

एक सदस्य—

गोसदन की बात गलत है । मैं उनके बारे में सब जानता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह--]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गला ठीक नहीं है नहीं तो माननीय सदस्य को कुछ कहने की हिम्मत ही न होती। मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि वे गाय भैंस पालना ही नहीं जानते। हैं हमारे यहां देखिये--२०--२५ सेर तक दूध देने वाली गायें हैं, आप पाव भर दूध की बात करते हैं।

जहां तक गायों का संबंध है हम लोग गायों की पूजा करते हैं। गायों का दूध हम ही नहीं पीते, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब गायों का दूध पीते हैं, लेकिन वे लोग उनको अपनी मां नहीं कहते। उनको भी उसी मां का स्थान देना चाहिये। पाकिस्तान में गौओं को काटा नहीं जा सकता, लेकिन हिन्दुस्तान में आप उनको चोरी से कटवाते हैं। कोई पशु लंगड़ा है, अंगहीन है, बच्चा नहीं देता है, नर्क भोग रहा है, जिन्दा रहने से दुखी है, ऐसे जानवर का वध कोई खराब नहीं है। लेकिन हमें इससे डर यह है कि कोई ऐसा विधेयक आगे न आ जाय कि हर बुड्ढा जो ९०--१०० बरस का हो रहा है वह बेकार में अन्न का दुरुपयोग कर रहा है इसलिये उनका भी सफाया किया जाय। माननीय उपमंत्री जी बतायें कि वह ऐसा कोई विधेयक तो नहीं ला रहे हैं? मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे पशुओं की आयु १५ वर्ष की जगह २५--३० वर्ष रख दें और जो पशु बियाते नहीं हैं, अंगहीन हैं या बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते उनका वध जनता के हित में हो सकता है, यह बात विचारणीय है। राक्षसों के जमाने में मवेशियों के वध की प्रथा चलती थी, लेकिन यह तो देवताओं का देश है और यहां आज भी देवताओं का राज्य है और यह प्रदेश तो देवताओं का प्रदेश है तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक विरोधी पक्ष का सम्बन्ध है उनका काम तो विरोध करना है।

यह भी कहा गया कि निर्यात पर प्रतिबन्ध न हो। मैं कहता हूं कि क्यों न प्रतिबन्ध हो? मैं समझता हूं कि प्रतिबन्ध लगाना अतिआवश्यक है, हमारे प्रदेश से दुधारू पशुओं को दूसरे सूबों में न जाने दें ताकि हमें अच्छी गायें, और भैंसे मिलें। अगर इसी तरह निर्यात जारी रहा तो इन साहीवाल और मुर्रा जातियों का लोप हो जायगा। हमारी तरफ तो अच्छे बैल, गाय और भैंसें होती हैं हम जानते हैं कि उनका क्या उपयोग है, पूरब में तो पाव भर दूध की गाये है वह क्या जाने कि अच्छी जोड़ बैलों की क्या होती है। यह उचित कदम होगा कि इस प्रकार की रोक लगाई जाय। बम्बई और कलकत्ता जाने के बाद पशु वापस नहीं आते। हम इस निर्यात को बन्द करने की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। आज जो पूंजीपति है वह कसाईयों को पैसे देते हैं ३ रुपया २ आने के सूद पर और वह जानवर लेकर बाहर बेचते हैं, इन्हीं पूंजीपतियों की टैनरीज हैं, वह खालें बेचते हैं वर्ना उन्हें कैसे मालूम हो गया कि मरे हुये जानवर का चमड़ा अच्छा होता है। मैं अन्त में नम्र निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को विचार के लिये प्रवर समिति में भेजा जाय और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। वध की बात विचारणीय है और उस पर ब्यौरे से प्रवर समिति में विचार किया जाय तो उचित होगा।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पशु एवं संरक्षण विधेयक कल से सदन में प्रस्तुत है और उसके सम्बन्ध मे जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज दो दिन से इस पर बराबर चर्चा हो रही है। यह बात सही है कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कुछ लीपा पोती करने वालों के अतिरिक्त सभी ने यह प्रस्ताव किया है और इस बात का समर्थन किया है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिये और वहां पर इस पर पूर्णतया विचार हो जिससे जो भी इस बिल के अन्दर खामियां हों, उनकी पूर्ति करके इस बिल को पुनः लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी हाल में कृषि विभाग का भार संभाला है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी यह

आशा थी कि ये हमारे हित की कुछ बात करेंगे और हमारे हित के लिये कानून भी बनायेंगे लेकिन लगता ऐसा है कि पहला ही कदम जो उन्होंने आगे बढ़ाया है वह ऐसा है जिससे जनता को परेशान करना है। वे इस बिल से जन विरोधी नियमों का पालन करायेंगे। यही नहीं बल्कि हमारा देश और प्रदेश जो धार्मिक है, उनसे धर्म के विरुद्ध, एक कानून के द्वारा डंडे के द्वारा उसका पालन करवायेंगे। मैं अपने नये मंत्री जी से आशा करता था कि चूंकि ये एक समाजवादी नेता रहे हैं अतः कांग्रेस में जाकर समाजवाद का नारा बुलन्द करेंगे पर इस कानून से ऐसा लगता है कि ये बिल कुल ही पक्षपातपूर्ण बिल लाये हैं। इस बिल से ऐसा लगता है, कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के लिये लाया गया है। हमने इस देश और प्रदेश में गोवध नहीं चलाया है क्योंकि गऊ को हम अपनी माता समझते हैं। गऊओं के ऊपर ही यहां की कृषि आधारित है। हम मशीनों पर विश्वास नहीं करते। यह रूस और अमरीका में हो सकता है और इस समाजवादी सरकार में हो सकता है, लेकिन भारतीय जनसंघ इस बात का विश्वास नहीं करता। अमेरिका में जमीन अधिक है, वहां पर कम लोग हैं इसलिये वहां पर मशीनों द्वारा खेती की जा सकती है लेकिन हमारे देश और प्रदेश में जहां की जन संख्या अत्यधिक है, और जमीन कम है वहां पर मशीनों द्वारा खेती करना कितना अलाभप्रद होगा, यह आप सोच सकते हैं। कितनों को हम मशीनें चलवाकर रोटी-रोजी दे पायेंगे, यह एक बड़ी भारी समस्या है। इसलिये हम देखते हैं कि यहां पर मशीनों द्वारा खेती नहीं करायी जा सकती है। हम अपने पशुओं द्वारा ही खेती कराकर पैदावार को बढ़ा कर देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं।

दूसरे इस बिल में यह भी दिया हुआ है कि पशुओं का १५ साल बाद वध हो जाया करे। मुझे आशा है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, जो ये बिल लाये हैं, अपने वक्तव्य में इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके लिये क्या आधार होगा। कैसे यह पता किया जा सकता है कि १५ साल का यह पशु हो गया है। आपने जो एक अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है तो क्या उसके पास मापदंड बनेगा जिससे वह सही प्रमाण-पत्र देगा और यह कैसे अनुमान लगेगा कि उसमें घूस खोरी नहीं होगी ? अगर आप कोई भी ऐसा स्थान, पद या विभाग बता दें कि जहां पर घूसखोरी नहीं होती है तो मैं मानलूं कि इसमें भी ईमानदारी से काम होगा या अगर आपने घूस खोरी कम कर दी होती तो भी मैं यह समझता कि जो कानून बनेगा वह १५ साल के पशुओं के वध का आदेश देगा तो मैं मान सकता था, लेकिन इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गोवध बढ़ेगा। इसलिये बिल से आपने गोवध कराने का एक नया षडयंत्र रचा है। हमारे प्रदेश या देश की जनता को धोखा देने के लिये यह बिल पेश किया गया है और जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ प्रोत्साहन देने के लिये, या उनको कुछ सान्त्वना देने के लिये या उनसे कुछ वोट पाने के लिये यह बिल सदन में पेश किया है। बिल के पढ़ने से यही निष्कर्ष निकला है। मैं कानूनी प्लाइंट पर तो बात नहीं करूंगा, उस पर तो वकीलों ने बात की है, लेकिन मैं देहात का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं और किसान के लिये पशु कितनी कीमती है, उसके रक्षण के लिये क्या क्या सुविधायें देनी चाहिये इसके बारे में मैं जानता हूं।

अभी मैं गोंडा जिले और बहराइच और नैपाल की सरहद पर दौरा करने गया था। वहां पता चला कि जानवरों को ऐसी सुई लगायी गयी जिसके कारण वे इतने क्षीण हो गये कि ६०० या ८०० रुपये का बैल हल में चलने लायक नहीं रहा। लोगों ने बड़ी शिकायत की। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि अगर वह चाहते हैं कि पशु सेवा हो, संरक्षण हो तो इस बात की जांच करायें कि इंजेक्शन में कौन सी दवा दी गयी थी। ब्लाकों में पशुओं का ए० डी० ओ० होता है, वह क्या करता है ? वह कहीं जानवरों को देखने नहीं जाता है और जैसा माननीय चन्द्रबली सिंह ने कहा हर मर्तबा आप उसको २, ४ आना दीजिये तब जा करके आपके पशु की देखभाल करेगा। और जो दवा देगा, मैं क्या बताऊं उसको तो देखने से पता लगाया जा सकता है।

आज माननीय गेंदा सिंह की बड़ी तारीफ की जा रही है कि वे किसान हैं, मैं पूछना चाहता कि क्या माननीय चरण सिंह किसान नहीं थे ? मैं मांग करता हूं कि यदि सरकार पशु वध

[श्री सुखदेवप्रसाद]

बन्द करना चाहती है तो क्यों नहीं जनता से कहती है खुले आम। घुमा फिरा कर कानून लाकर क्यों बात करती है ? मैं कहता हूं कि यदि मंत्री जी विरोधी दलों की बातों को मानना चाहते हैं और इस देश के जानवरों को संरक्षण देना चाहते हैं तो आपको इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहिये ताकि जो इसके अन्दर त्रुटियां हैं व दूर हो सकें। भारतीय जनसंघ ने तो इस के लिये पता नहीं कितनी बार आन्दोलन चलाया, जेल में हम लोग गये, डंडे खाये, लेकिन उस समय तो साम्प्रदायिकता की बात कह कर यह सरकार कहती थी कि हम साम्प्रदायिक भावना को उभारते हैं। लेकिन आज इस साम्प्रदायिकता की भावना को बाबू गेंदा सिंह और वर्तमान सरकार उभाड़ रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता में चारों ओर आग फैल रही है और हो सकता है कि जो कमियां इसमें हैं उनको पूरा न किया गया तो प्रदेश की जनता इस चीज को आगे सहन नहीं कर सकेगी। अगर आप पशुओं के सुधार की, विकास की तथा नस्ल को संरक्षण देने की बात कहें तो मैं उसे मान सकता हूं। इसके लिये आप पशुओं के अस्पताल बनाइये। लेकिन १७, १८ साल में आपने क्या किया ? किस गांव में आपने १००, ५० अच्छी नस्ल के जानवर रखे जिससे वहां अच्छी नस्ल पैदा हुई और अच्छा दूध लोगों को मिल सका ? अच्छा और कीमती जानवर होगा तो वह काटा नहीं जायगा। जहां आप आर्थिक बात करते हैं वहां देश की एक धार्मिक भावना भी है। उस पर ठेस लगा कर आप आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं तो यह गलत बात होगी। आर्थिक भावना एक बात है और धार्मिक भावना और जन भावना को संरक्षण देना दूसरी बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पशुओं के लिये आप पशुशालायें बनायें, गो सदन कायम करें ताकि बूढ़े तथा अपाहिज जानवरों का उसमें संरक्षण हो।

जो हिसाब किताब लगाया गया है, बड़े बड़े आर्थिक जानकारों ने कहा है कि मरने के बाद पशु अधिक कीमती होता है बनिस्बत उसके काटे जाने के। कुछ भाइयों ने जोरदार शब्दों में कहा है कि पशुओं का वध पूर्णतया बन्द होना चाहिये। जिन भाइयों ने ऐसा कहा है उनको यह भी विदित होगा कि प्रदेश में अब भी गोवध होता है। गोंडा जिले में तीन, तीन जगहों पर गोवध हुए। एक केस में एक बड़े आदमी प्रधान थे। उनसे वहां के दरोगा ने श्री समद जो मौलाना साहब थे उनसे ५०० रुपये ले लिये और उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार वहां पर दूबे पुरवा है जहां पर गोवध हुआ है। तीसरी जगह उतरौला में भी पशुओं का वध होता है जिसके कारण इतने गिद्ध व चील वहां उड़ते रहते हैं कि लोगों का बैठना दुश्वार हो जाता है। सरकार को इसे बन्द करना चाहिये और उस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये।

पहले कानून में गो वध करने वाले को २ साल की सजा थी, अब घटा कर उसे १ साल कर दी गयी है। २ साल की सजा रहने पर लोग गलत तरीके से छूट आते थे, अथवा सजा ही नहीं हो पाती थी और बहुत कम लोगों को हो पाती थी लेकिन जब अब एक साल सजा रह गयी है तो पशुओं का वध रुक नहीं सकेगा। मेरा सुझाव है कि ५ साल कम से कम इसकी सजा होनी चाहिये जब कि नैपाल जो पड़ोसी देश है वहां पर गोवध के लिये मृत्यु दंड है। वहां पर अधिक संख्या में हिन्दू हैं और मुसलमान भी गोवध नहीं चाहते हैं तो फिर इसके लिये सख्त से सख्त सजा ही होनी चाहिये तभी इसकी रोकथाम हो सकती है। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि इसे प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय ताकि इसकी कमियों पर विचार किया जा सके।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस बात का अनुभव होगा कि इस सदन में आज तक ऐसा कोई बिल पेश नहीं हुआ है जिसका समर्थन प्रत्येक सदस्य ने किया हो और शायद ऐसा भी कोई बिल पेश नहीं हुआ है जिसके लिये सिवा एक सदस्य के हर सदस्य ने यह मांग की हो कि प्रवर समिति के सामने यह बिल जाना चाहिये। जब मैंने कल प्रोग्राम देखा तो इस बिल को प्रवर समिति को भेजने वाले सदस्यों में सबसे पहला नाम श्री कमला सिंह जी का था।

इसलिय मैं उनको आज एक नया नाम श्री प्रवर सिंह दे रहा हूं क्योंकि कोई भी बिल इस सदन में नहीं आया जिसके लिये उन्होंने संशोधन न पेश किया हो कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय। लेकिन आज मैं यह देख रहा हूं कि प्रायः प्रत्येक सदस्य प्रवर सिंह बन गया है और सबने यह मांग की है कि इस बिल को प्रवर समिति में जाना चाहिये।

मैं सबसे पहले अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंन इतने सुचारू रूप से एक ऐसा उपयोगी बिल पेश किया है जिसका सारे सदन ने समर्थन किया है और जिसमें संशोधन की मांग सब ने पेश की है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित होते तो उनको भी मैं बधाई देता कि आज यह पहली मर्तबा है कि उन्होंने इस सदन में बहैसियत एक मंत्री के एक बिल पेश किया है। और हम लोग उनका भाषण सुनने को उत्सुक हैं जबकि वे इस बिल के समर्थन में अपना भाषण देंगे और अपने कृषि के अनुभव तथा गो माता के अनुभव की बाबत हम लोगों को बतलायेंगे। मैं चाहता था कि यह बिल केवल गाय, बैल और भैंस के लिये ही न होकर तमाम पशुमात्र के लिये होता। आप जानते हैं कि इनके अलावा कई और पशु हैं, जैसे घोड़े-हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी आदि। आज हमारे यहां अन्न की बड़ी कमी है जिसे आस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है। फिर क्यों न भेड़, बकरी को भी इस बिल के अन्तर्गत लाया जाय? मैं समझता हूं कि पशु की एक नयी परिभाषा इस बिल में दी गयी है। पशु के अन्तर्गत इसमें सिर्फ गाय, बैल और भैंस को ही रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि गाय, भैंस मवेशी के मारने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है अगर वह हर पशु के लिये लगता तो बहुत अच्छा होता। ताहम-देर आयद दुरुस्त आयद। इसमें गाय और बैल तथा दूध देने वाली भैंस की तरफ ही ध्यान दिया गया है। हर सदस्य ने कहा कि इस बिल में बहुत सी कमियां हैं, इसलिये उनकी मांग है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं।

एक तो यह कि बकरी, भेंड़ को इसमें क्यों न सम्मिलित कर लिया जाय क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे और वे बकरी के दूध को बहुत उपयोगी मानते थे। जब दूध के आधार पर ही आप गाय, भैंस की रक्षा करना चाहते हैं तो उसी आधार पर बकरी की रक्षा क्यों न की जाय जिसका दूध महात्मा जी पीते थे? दूसरी बात यह कि जब आप गाय और भैंस की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ ही इस बिल में एक क्लाज और रख दिया जाय कि गाय और भैंस के दूध में जो एडल्टरेशन करेगा, जो पानी मिलायेगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि यह बिल दूध के आधार पर बना है इसलिये इस बिल के अन्दर यह भी आना चाहिये।

हमारे यहां जो गोशाला खुली है उनके संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि हमें देखना चाहिये कि उनमें गायें रहती हैं उनको खाना ठीक से मिलता है या नहीं। गाय की केवल रक्षा करना ही काफी नहीं है बल्कि यह भी देखना होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव होता है। हम देखते हैं कि जब गाय दूध देना बन्द कर देती है तो उसका दाना बन्द कर दिया जाता है, घास देना बन्द कर दिया जाता है। इसके अलावा आज कल सांड़ गलियों में मारे मारे घूमते हैं। काशी के संबंध में यह बात मशहूर है कि "रांड़, सांड़ सीढ़ और सन्यासी से जो बचे वह काशी में बसे" विश्वनाथ की पुरी है काशी वहां पर सांड़ भेज दिये गये हैं और व बड़ा अपकार कर रहे हैं। इसका कुछ न कुछ प्रबन्ध करना चाहिये। सांड़ों को पकड़ कर गो शालाओं में भेज देना चाहिये या कुछ और प्रबन्ध किया जाय। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक सांड़ ने एक आदमी को घेर लिया और बहुत से आदमियों के वहां होने पर भी उस सांड़ ने आदमी की हत्या कर दी और लोग तमाशा देखते रहे। किसी को उसको मारने या पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई।

बहुत से लोग कहते है कि यह बिल धर्म के आधार पर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बिल लोगों के सेंटीमेंटस के आधार पर है और धर्म के आधार पर है। हम गाय को माता

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

कहते हैं। लेकिन जब उनके पालन पोषण का सवाल आता है, उसकी रक्षा का सवाल आता है तो हमारी दृष्टि केवल दूध तक ही जाती है। जब तक दूध मिल सके या बैल से काम निकल सके तब तक उससे काम है। लेकिन जब गाय या बैल बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है।

इसी सिलसिले में गवर्नमेंट की मंशा बहुत अच्छी है कि हमारे प्रान्त से बैल या गायें पाकिस्तान या पंजाब न भेजी जायं जहां उनकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी नहीं भूलना चाहिये कि अगर हम इनका बाहर भेजना बन्द कर देंगे तो वे लोग भी अपने यहां से गाय, बैल वगैरह हमारे यहां नहीं आने देंगे। इससे अच्छे नस्ल की गाय, बैल वगैर नहीं मिल सकेंगे। मेरा अपना अनुभव है कि गढ़वाल से बूढ़े बैल बाहर आते हैं और जवान बैल वहां जाते हैं। तब काम चलता है। यह सवाल बड़ा भारी सवाल है। इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। इसके बाद ही हमें प्रतिबन्ध लगाना होगा।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि गायों के साथ ज्यादा दूध निकालने के लिये जो अत्याचार होता है उसका जिक्र किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया है। उसको फूका कहते हैं। इसको रोका जाय। नये बिल में फूका का प्रयोग करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिये। मैं १९०४ से हिन्दी में लिखता आया हूं। लेकिन इस बिल में बहुत से शब्द ऐसी क्लिष्ट भाषा में हैं जिनको मैं नहीं समझ सका। प्रवर समिति में इस बिल के जाने पर इसमें साधारण हिन्दी शब्द रखे जायं। यह इसलिये जरूरी है कि यह बिल आम लोगों के लिये बना ह।

जो गाय बैल पालते हैं, जब आप इस बिल में ऐसे मुश्किल शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कौन ऐसा किसान होगा जो परिरक्षण, वन रक्षण, सम्भरण इत्यादि क्लिष्ट शब्दों को समझ सके। एक शब्द ऐसा है जो गलत है "विवरणीय"। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको मैं जो हिन्दी जानता हूं, हिन्दी में लिखता हूं नहीं समझ सकता तो साधारण खेती करने वाला या हल चलाने वाला कैसे समझ सकता है? कई सदस्यों ने सेंटिमेन्ट की चर्चा की। सारे संसार में सेंटिमेंट काम करता है। हमारे देश में भावना का बड़ा प्रभाव है। इस बिल के पीछे भी सेंटिमेंट है। एक उदाहरण मैं दूंगा। आठ-दस वर्ष की बात है। स्वीडन के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ आइजक नगर में गाय के विषय में लेक्चर देने आये थे कि गाय का क्या-क्या उपयोग है, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। मैंने उन महाशय से कहा कि एक समय हमारे मुल्क में ऐसा भी था कि हमारे पूर्वज गोमांस भक्षण करते थे। मैं उन्हीं की संतान हूं, लेकिन अगर मुझे शुबहा हो जाय कि मेरी खाने की मेज पर बड़े मांस का टुकड़ा है तो मैं खा नहीं सकता। देखिये हमारी संस्कृति और भावना की बात है। यह धर्म की बात है। उन्होंने कहा कि यह तो बड़ी इंटरेस्टिग बात है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर एक नोट लिख दो। तब म इस विषय में अनुसंधान करने लगा। छः महीने उसमें लगे। तब मैंने खोज की कि किस प्रकार गाय का मांस खाना बन्द हुआ। इतने में प्रोफेसर साहब स्वीडन चले गये। वह जाते समय अपनी एम्बेसी में कह गये "मुकन्दी लाल गाय के विषय में एक लेख लिख रहे हैं" हर महीने में उनको याद देहानी कराते रहना। जब वह लेख पूरा हो तो उसको मेरे पास स्वीडन एसेम्बली की डाक के साथ मेरे पास भेज देना। मेरा निबन्ध पुस्तकाकार "काऊ कल्ट" शीर्षक में छपा। उसमें मैंने दिखाया है कि सातवीं शताब्दि में ऐसा समय आया कि गोमांस के बिलकुल विरोधी हम लोग हो गये। मैं जानना चाहता था कि इसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि इस देश में बहुत लोग कृष्ण भक्त बन गये। चौथी पांचवीं, शताब्दि में भागवत पुराण ने बताया कि कृष्ण महाराज गाय माता के भक्त थे। तो हम सब भी गाय के भक्त हो गये। तब से गाय को यह स्थान मिला है। माननीय श्रीपाल सिंह उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो उनको बतलाता कि उनके पूर्वज जैसा कि उत्तर रामचरित्र में लिखा है' कि वशिष्ट ऋषि बछड़े के मांस को ऐसे खा रहे हैं जैसे शेर मड़मड़ाता हुआ खाता है। गाय के पीछे जो सेंटिमेंट है उस स फायदा उठाना चाहिये।

गवर्नमेंट इस वक्त जितनी भी सख्ती गायों के वध करने में बाधा डालने में या बध करने वालों को सजा देने में कर सकती है, मैं तो कहूंगा उन्होंने जो सजा रखी है उसको कम न किया जाये बल्कि उसे और अधिक बढ़ाया जाये। दो साल की सजा घटा कर एक साल की सजा के लिये कहा है। किन्तु इसे जरूर और बढ़ाया जाना चाहिये। हमारा जो पड़ोसी देश नैपाल है, वहां पर गाय का वध करने के लिये, पता नहीं अब वह कानून है या नहीं, लेकिन पहले गौ घातक के लिये मृत्यु की सजा थी। यह तो एक पूर्ण हिन्दू राज्य है, उसमें गायों के नध के लिये जितनी भी सजा आप बढ़ायेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। और मैं समझता हूं सभी इसको बढ़ाना पसन्द करेंगे।

एक जो सवाल उम्र का आता है वह भी बड़ा और भारी सवाल है, गाय या बैल की उम्र आप निर्धारित कैसे करेंगे? विलायत में तो पशुओं की भी जन्मपत्री रखी जाती है, उसके बाप-दादा कौन थे और कहां थे यह सब सूचना रखी जाती है। लेकिन हमारे यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उम्र का निर्धारण कैसे संभव हो सकेगा? इसलिये इसके निर्धारण करने के लिये भी कोई संशोधन तजवीज इस बिल में आना चाहिये प्रवर समिति में कि उम्र निर्धारित करने के लिये क्या करना चाहिये। यह व्यवस्था होनी चाहिये सरकार की तरफ से कि जैसे आदमियों के जन्म मृत्यु का इन्दराज होता है वैसे ही जिसके यहां बछड़ा या बछिया पैदा हो वह उसकी सूचना इंद्राज कराये और यह भी लिखाये कि कब से उसने दूध देना शुरू किया है। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल हमारे सामने पेश किया है। पशुओं का जो वध होता है उसको रोकने के लिये जितने भी उपाय किये जायं उसके लिये सारा सदन उसका समर्थन करेगा और कर रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, कल से इस पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक पर बहस हो रही है। माननीय मंत्री जी को कई लोगों की तरफ से अच्छे सुझाव मिल गये हैं और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि उनको सुझाव दिया गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जावे, तो मैं भी अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिससे संयुक्त प्रवर समिति में जाकर इसमें मेरे सुझाव पर भी कुछ विचार हो सके। मैंने कई लोगों के भाषणों को सुना, मैंने यह भी सुना कि सरकार की तरफ से कोई अनुदान इस कार्य के लिये, पशुओं की उन्नति के लिये नहीं दिया जाता। किन्तु मेरा ऐसा खयाल है और मुझे पता है कि सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी दिये जाते हैं और प्रत्येक जिले में जो पशुधन अधिकारी रहते हैं और उसके नीचे जो और मवेशी डाक्टर रहते हैं, उनके जरिये से अच्छी नस्ल के सांड प्रत्येक इलाके में पहुंचाने की कोशिश की जाती है और बहुत से दुधारू और अच्छी नस्ल की गायें और सूबों से मंगाकर उत्तर प्रदेश में कम कीमत पर देने की कोशिश की जाती है। मैं अपने जिले के बारे में बतलाना चाहता हूं। मेरे जिले में पशुधन अधिकारी ने अच्छी नस्ल की गायें मंगाकर १०-१० रुपये में बड़े-बड़े फार्मर को दे दी और फार्मर ने एक भैंस उक्त पशुधन अधिकारी के यहां उससे दूध पीने के लिये भेज दी। और यदि पशुओं की उन्नति के लिये पशुधन अधिकारी प्रत्येक जिले में दिलाना चाहते हैं तो ऐसे नस्ल की गाय छोटे-छोटे किसानों को ही उन्हें देनी चाहिये थी न कि बड़े-बड़े फार्म वालों को। दस-दस रुपये में १०० गायें दी गयीं और वे उनको पाल नहीं सके और कुछ महीनों के बाद वे मर गयीं। और १० रुपये की गाय की खाल १८ रुपये में उस जमींदार ने बेची, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरे जिले के पशुधन अधिकारी ने पशु मारने के लिये सर्टिफिकेट दे दिये, जब कि मवेशी डाक्टर को यह अधिकार था कि वह सर्टिफिकेट देता कि पशु मारा जाना चाहिये या नहीं। उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन हमारे जिले के पशुधन अधिकारी ने सर्टिफिकेट दे दिया और झालू में महंडौर और चांदपुर में वह मारी जा चुकी हैं। मैंने आर्य जी से उसकी शिकायत की और वे आज इसी बात पर सस्पेन्ड हैं। यह जरूर है कि सरकार ने इस बात का इंतजाम किया कि हर जिले में अच्छी नस्ल के सांड़ और बैल दिये जायं, लेकिन वह चीजें छोटे किसानों को दी जायं जो उसको अपने यहां रख कर खेती कर सकें। मैं कहूंगा कि जब यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में चला जाय तो गरीबों की समस्या का ध्यान रखा जाय।

[श्री श्रीराम---]

गांवों में जो हरिजन मजदूर किसानों के पास काम करते हैं उनका एक पेशा है और पशुपालन हिन्दुस्तान का बहुत पुराना पेशा है। वे बछिया, बछड़े और कठिया पालते रहते हैं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसको बेंच कर अपने लड़के और लड़की की शादी कर लेते हैं। इसी तरह से अपना कार्य करते हैं। उनका ध्यान होना चाहिये। मुझे पता नहीं है कि इस तरह से बार-बार कानून लाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उत्तर प्रदेश में पशु वध के लिये कानून हो सकता है? हमारे यहां तो यह एक विश्वास है कि ईश्वर की तरफ से सभी प्राणी आते हैं और उनका हक है कि उसके न्याय के आधार पर सब जियें और मरें, लेकिन इसमें १५ वर्ष के बाद पशुवध की बात है। महात्मा गांधी जी ने जहां-जहां उद्योगशालायें खोलीं उनमें यही तय किया था कि चप्पलें या चमड़े की चीजें जो भी बनायी जायं वह मुर्दा पशु के चमड़े की बनायी जायं। लेकिन यहां यह हालत है कि पंजाब से और अन्य स्थानों से कलकत्ता को गायें निर्यात होती हैं और वहां वे मारी जाती हैं चमड़ा बनाने के लिये, इसीलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश से जो निर्यात पशुओं का होता है वह फौरन बन्द हो जाय।

मैंने देखा है कि दो तरह के किसान उत्तर प्रदेश में हैं, बड़े किसान और छोटे किसान हैं। बड़े किसान के जब बैल बूढे हो जाते हैं उसको छोटा किसान ले लेते हैं और १०-१० वर्ष तक उनको और चला लेते हैं, मैंने २०, २० और २५, २५ साल तक के बैलों को देखा है जो वह काम करते हैं यह तो खिलाने पिलाने की बात है। मैंने यह भी देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जम्मू के इलाके के लोग अपनी भैंसे पालते हैं। हमारे आर्य जी को मालूम होगा कि उनके यहां पर बड़ी दुधारू भैंसे बन के इलाके में पाली जाती हैं और चार-चार घड़ी तक दूध देती हैं। अब १५ वर्ष की बात हमारी समझ में नहीं आती और अब तो शायद इस विधेयक में गायों के मारने की भी परिभाषा आ जाती है कि १५ वर्ष के बाद की गायों का वध किया जा सकता है। इस देश के अन्दर ऐसे ऐसे महात्मा आये जिन्होंने किसी न किसी धर्म पर कटाक्ष किया और जिन्होंने किसी फिरके पर कटाक्ष किया, लेकिन महात्मा गांधी ने यहां पर सबको मना किया कि किसी धर्म पर कटाक्ष न किया जाय। ऋषि दयानन्द के बनाये हुये सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अध्याय को समाप्त करने या जब्त करने की बात जिस समय गांधी जी के सामने आयी तो उन्होंने कहा कि किसी धर्म पर या किसी मजहब के बारे में अपनी तरफ से ऐसी बात न कही जाय जिस से किसी के हृदय पर चोट लगती हो। आज महात्मा गांधी के अनुयायी इस देश में इस बात को सोचते हैं कि १५ वर्ष के बाद गाय का वध कर दिया जाय और उसको खत्म कर दिया जाय। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि १५ वर्ष की बात को खत्म किया जाय। इस बात को रखिये कि वह स्वयं मरें वध न की जाय। जो जिन्दा रह सकती हैं उसको मारा न जाय। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री को इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान देने के लिये धन्यवाद देता हूं। यों तो समस्त समस्या को सुलझाने का प्रयास करने के लिये मैं धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि समस्या अपनी जगह पर बड़ी जटिल और गम्भीर है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अन्दर पशुओं की संख्या सबसे अधिक होते हुये भी दूध की मात्रा बहुत कम है। हमें स्वतंत्र हुये १७ वर्ष बीत गये लेकिन हम अभी तक इस महत्वपूर्ण और आवश्यक समस्या का कोई हल नहीं निकाल सके हैं। कारण क्या है? क्या हमारे अन्दर भावना की कमी है? क्या हमारे देश के अन्दर साधनों की कमी है? क्या हमारे राज्य की ओर से इसके लिये प्रयास नहीं हो रहा है? आखिर क्या कारण है? हालांकि मैंने इस बिल को आद्योपान्त पढ़ा है, लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि इसके अन्दर कोई ऐसी चीज है कि जिससे इस समस्या का समाधान होता हो। एक बात जरूर है कि पशुओं के वध के लिये कुछ

थोड़ा सा संरक्षण दिया गया है कि इतनी अतक के पशुओं का वध नहीं किया जायगा, लेकिन पशुओं की नस्ल हमारे यहां सुधर सके, कैसे उसकी उन्नति की जायगी, इसके लिये इसके अन्दर कोई सुझाव नहीं दिया गया है। यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो कुछ हमारे प्रदेश के अन्दर सुन्दर नस्ल के पशु दूध देने वाले हैं जैसे हरियाना की गाय कुछ और भैंस,मथुरा की सान्टगुमरी गाय। इनका निर्यात जिलों से बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। कलकत्ता, बम्बई, पटना और कानपुर आदि शहरों के लिये बहुत निर्यात हो रहा है। मुझे डर है कि अगर इस पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया तो वह समय दूर नहीं है कि वह सब हमारी गायों और भैंसों की सुन्दर नस्ल समाप्त हो जायगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समस्या के ऊपर गम्भीरता से साथ विचार करें और इस प्रकार से सोचें जिससे हमारे यहां यह सुन्दर नस्ल बच सके।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं का सवाल कोई धार्मिक सवाल नहीं है। यह एक विशुद्ध आर्थिक सवाल है। हमारे सामने कोई इसका हल नहीं है कि जो बूढ़े पशु हो जाते हैं उनका हम क्या करें। उनके लिये हमने गोसदन खोले, लेकिन उनका क्या उपयोग किया गया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से पशु मारे-मारे फिरते हैं। उससे कृषि को भी नुकसान पहुंचता है। हमारे पास सुन्दर किस्म की गायें और भैंसों की कमी होती जाती है। क्या हमारे पास इस तरह की भावना नहीं है कि हम अपने यहां पशुओं की नस्ल को सुधार कर १५, २० सेर दूध देने वाली गाय और भैंस पैदा कर सकें ? यह चीज ऐसी है जिस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि राज्य की ओर से इस बात की व्यवस्था हो कि कलकत्ता, बम्बई, पटना और कानपुर इन बड़े-बड़े शहरों को जो पंजाब से भैंसें जाती हैं वे एक मर्तबा दूध देने के बाद दोबारा गाभिन नहीं होती हैं, उनको सरकार अपने संरक्षण में ले और उन गाय-भैंसों को खिला पिलाकर दुरुस्त करें जिससे वे दोबारा गाभिन हो सकें। फिर वे समाज की सेवा करने के लिये दूध दे सकती हैं और हमारी कीमती गायों की नस्ल में वृद्धि हो सकती है और उनका संरक्षण भी हो सकता है।

हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी डेरीज का इंतजाम भी संतोषजनक नहीं है। इस वर्ष तो खासतौर से दूध की कमी रही है। मैंने सरकार की डेरीज को देखा है। वहां भी पशु उतने अच्छे ढंग से नहीं रखे जाते हैं जिस तरह से उनको रखा जाना चाहिये। श्रीमन्, आप ने लाल बत्ती जला दी है, कुल ५ मिनट का समय दिया है और मुझे बहुत कुछ कहना है इसलिय मैं सूक्ष्म रूप से ही निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में जाना चाहिये और वहां इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये ताकि इसकी छोटी-और बड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुझे यही निवेदन करना है।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे समय दिया। कल से उठक-बैठक लगा रहा हूं, लेकिन आज उसके बाद मुझे ५ मिनट का समय मिल पाया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आशा करता हूं कि गऊ के सम्बन्ध में अवश्य ही गम्भीरता से विचार करेंगे।

पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल हिन्दी में है और मेरे लिये बड़ा कठिन हो रहा है, जैसे मैं गाय को कठिनाई होती है, वैसे ही मुझे भी हो रही है। बड़ी मुश्किल से इसका अंग्रेजी तर्जुमा में हासिल कर पाया और उसे पढ़ने के बाद मैंने अन्दाज लगाया कि अंग्रेज जो यहां से चले गये, जो अभी तक गाय की हत्या करते थे और वह इस हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया को छोड़ कर चले गये, लिहाजा मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार भी ऐसे काम न करे, गाय की हत्या न कराये कि जिसके कारण उसे भी कुर्सी छोड़कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेमसिंह]

चला जाना पड़े । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार भी १५ साल बुढ्ढी हो चुकी है, तीन साल उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो क्या उसको भी मारना जरूरी है ? मैं तो यह नहीं कह सकता, कदापि नहीं कह सकता, और यही चाहूंगा कि यह हमारी सरकार है, आशा करता हूं कि यह बनी रहेगी और खूब फूलेगी और फलेगी । यह विधेयक है पशुरक्षण और संरक्षण विधेयक, अर्थात् अगर माननीय सदस्य मुझे इजाजत दें तो प्रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग करूं, वरना अगर वह चाहते हैं तो सौ साल पीछे भी जा सकता हूं। इसमें दूसरी चीज है प्रोटेक्शन और तीसरी चीज है मेन्टेनेन्स । यह तीनों चीजें गऊ के लिये ही नहीं, बल्कि हमारी गवर्नमेंट के लिये, हम लोगों के लिये और हर एक सज्जन के लिये आवश्यक हैं। देखिये आपने लाल बत्ती जला दी और इसे देख कर मेरा दिल धड़कने लगा है। ऐसा लगता है कि मैं बोल नहीं सकूंगा । अगर आप इसे बुझा दें तो मेरा कांपना बन्द हो जायगा ।

अब मैं कैटिल के बारे में कहना चाहता हूं । कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन आपने डरवा दिया । एक कसाई भी डर जाता है छुरी देख कर । यह लाल बत्ती मेरे लिये छुरी के समान है । आप कृपा कर इसे बुझा दें । आप इसे फिर जला दीजियेगा ।

तो पहली बात दूध की है । हालैंड में, स्वीडन में और विलायत में इतना-इतना गायें दूध देती हैं और साथ ही वे लोग कसाईपन भी करते हैं, लेकिन न जाने कैसे उनका दूध वे बढ़ा लेते हैं ? आपने १५ सालों में कितना दूध बढ़ाया है ? इसे आप देखिये । क्या आपने साहीवाल की नस्ल बढ़ाई है ? हरियाना की नस्ल बढ़ पायी है ? आपने तो केवल करप्शन को बढ़ाया है । भूखा मारना तो वध करने से बदतर है । भूसा महंगा मिलता है, प्राप्त ही नहीं होता तो दूध कहां से प्राप्त होगा ? अनाज भी इतना महंगा हो गया है कि अगर यह कहें कि पेट भर भी किसी को मिल जाय, मेरा मतलब है कि सब लोगों को मिल जाय तो "एवरीबडी विल फील हैप्पी" अगर आप मुझे अंग्रेजी में कहने की इजाजत दें । हमें तो तभी खुशी होगी कि जब अनाज सस्ता होगा । सस्ता तो छोड़िये मिट्टी का तेल तक महंगा हो रहा है ।

"इल्म है कुछ और चीज, अक्ल है कुछ और शै" । बूढ़े तोते को कितना ही पढ़ाया सिखाया, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ ? अब मैं आप से क्या कहूं ?

दूसरा लीजिये—"जा घर कह काहू ता घर उल्लू का बासा ।" यहां पर लोग कूह-काह करते हैं कि कितना खर्च होता है, असेम्बली का । अगर यही पैसा दूध की बढ़ोतरी के लिये खर्च किया जाय तो सूबे का कितना काम हो ? लेकिन हमारा प्रदेश जिसको मैं "उल्टा प्रदेश" भी कह सकता हूं यहां ऐसे ही बिल लाये जाते हैं । गो को माता यहां कहते हैं जिससे बच्चे पलते हैं और खेती के लिये हमें बैल मिलते हैं, वह बैल जो कि आपका चिन्ह है और हमारा भी चिन्ह है और पिता कहा जाय तो बेजा न होगा, उनके मारने के लिये कानून बनाना कहां तक मुनासिब होगा ? मैं आपको एक सिम्पिल वार्निंग तो क्या, एक कबीर का दोहा आपके सामने रखता हूं—

"कबिरा खड़ा बजार में गल-कट्टों के पास,
जो जैसा करे तैसा भरे, तू क्यों भया उदास ।"

हमारा साथ तो खैर गल-कट्टों से ही रहा । जमींदार तो खत्म ही कर दिये । अब रह गये वह सज्जन जिनको मनुष्य समझते हैं, उनको तो बचा रखिये । अगर वह खिलाफ हो गये इस कानून के बनते ही तो आपका क्या हश्र होगा ? हम तो शेड्यूल्ड कास्ट हो ही गये हैं । डिलिमिटेशन आफ कांस्टीट्युएन्सी के बाद मैंने तो जनेऊ धारण कर लिया है कि कम से कम मैं शुद्ध बना रहूं ।

रही इसको प्रवर समिति में भेजने की बात, वह सुनते-सुनते मेरे कान पक गये । जो कुछ करना हो यहीं क्यों नहीं कर लिया जाय, आप हम सभी तो यहां बैठे हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री प्रेमसिंह---

मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो बन्दर अमेरिका जाता है, जिनका ग्लैंड निकाला जाता है उसका भी वध करना बन्द हो जाना चाहिये। मुर्गा, मुर्गियों का वध करना, उनके अंडे जिसको मैं कच्चा हमल समझता हूं उनके खाने का रिवाज भी बन्द कर दिया जाय। मछली जो बेचैन है, तड़प तड़प के खत्म हो जाती है, उसका क्या कहना । जैसा आप खाना खायेंगे, वैसे ही विचार बनेंगे, इसलिये गोश्त, मछली, अंडे खाना बन्द कर दीजिये ।

देखिए, सरकार ने नील गाय, जिसको "नील घोड़ा" कहा जाता है, अगर उसके मारने की आजादी दे दी तो यह भी अच्छी चीज नहीं है। जो १० रुपया नील घोड़ के लिए दिया जाता है उसके बजाय उसके मारने का जुर्माना ५० रुपया होना चाहिए और जो थोड़ा सा जुर्माना है वह ३०० कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, कल से इस विधेयक पर बहस हो रही है और सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्वाइन्ट पर सभी सहमत हैं कि यह बिल प्रवर समिति में जाने लायक है। दो बातें केवल ऐसी हैं कि जिनकी चर्चा कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। एक तो कुछ लोगों का मत यह है कि गाय का वध बिलकुल ही नहीं होना चाहिए और उससे सम्बन्धित क्लाज को ही निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों का गाय के ही सम्बन्ध में ऐसा मत नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि भेड़, बकरी, भैंस आदि का भी वध नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अगर भेड़ बकरी वगैरह को न मारा जाय तो देखना यह होगा कि पोजीशन क्या होगी? हर साल पौने दो लाख के करीब भैंस मारी जाती हैं। भेड़, बकरी वगैरह और कत्ल होते हैं। अगर यह सब न मारे जायं तो नतीजा यह होगा कि करीब १५ लाख जानवर हर साल बढ़ते जायेंगे। आज हमारे प्रदेश में फी पशु करीब ०.१ एकड़ भूमि है जबकि एक पशु के लिए कम से कम २ एकड़ भूमि होनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में केवल ६० प्रतिशत चारा उपलब्ध है। नतीजा यह होगा कि जो गाय आज पाव भर दूध देती है, वह कल को छटांक भर ही देने लगेगी, क्योंकि उसके लिए चारा कहां से आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन दलील उन्होंने भी आर्थिक ही दी। कुछ ने कहा कि जो गाय बांझ हो जायं उनको मार दो।

मान्यवर, अहिंसा के ३ महान् प्रवर्त्तक हुए हैं, सबसे पहले महात्मा बुद्ध, उनके बाद हजरत ईसा तथा उसके बाद पूज्य बापू महात्मा गांधी। आखिर में पूज्य बापू हुए हैं। महात्मा बुद्ध का तो कहना यह है कि बुराई मत करो, हजरत ईसा का कहना यह है कि रसिस्ट नाट ईविल, यानी अगर कोई आपका ओवर कोट छीन ले तो उसको दूसरा कोट पेश कर दो, अगर कोई आदमी दायें गाल पर रैपट मारे तो उसके सामने बायां गाल पेश कर दो। पूज्य बापू का क्या कहना था? उनका कहना था कि अपने दुश्मन से मुहब्बत करो। पूज्य बापू ही अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्त्तक रहे हैं। उनकी क्या विचारधारा है, यह देखना चाहिए। जब उनके आश्रम में बछड़ा बीमार हो गया तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा इन्जेक्शन दो ताकि वह मर जाय। इस पर बड़ा आन्दोलन भारतवर्ष में हुआ। गांधी जी के आश्रम में बछड़ा मारा गया। गांधी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

जो कहते थे कि किसी का अगर इलाज नहीं हो सकता और वह बहुत कष्ट में है तो उसकी जान छुड़ा देने में हिंसा नहीं है, वह अहिंसा ही है। जो भाई यह कहते हैं कि बिलकुल कोई जानवर न मारा जाय, इसमें गांधी जी का मत यह था कि जो गोश्त खाने वाले हैं उनसे जबरन गोश्त छुड़ा देना भी हिंसा है। रही जंगली जानवरों की बात। खेती के कारण किसी भी जानवर को यदि मारा जाय तो वह हिंसा नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अनहाईजनिक मांस यदि खिलायेंगे तो यह भी तो हिंसा....

श्री फूलसिंह—

मैं वह कल ही कह चुका हूं। पहले ऐक्ट में जो रूल्स बने हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि जो पशु बीमार हैं उनका वध करने में कोई अहिंसा नहीं है। बापू जी का कहना यह था कि कोई भी जानवर न मारा जाय तो मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर, अगर आप हल चलायेंगे तो कितने ही जानवर मरेंगे। इसी तरह, बन्दर और नीलगाय ये जितने जानवर फसलों को खाते हैं, बापू जी कहते थे कि इन जानवरों को मारने से जो फसलों को नष्ट करते हैं, कोई हिंसा नहीं होती। हिंसा और अहिंसा के सिद्धांत को प्रैक्टिकल दृष्टि से देखना चाहिए। अगर यह करें कि हड्डिवाद को लेकर चले तो सांस भी मत लें, नहाइए भी मत और खाना भी मत बनाइए। इन सब क्रियाओं से भी जानवरों, जीव जन्तुओं की हिंसा होती है।

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी का मत कैसे हो गया। धार्मिक आदमी को आदमी क्यों मार देता है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री फूलसिंह—

मैं इस मुहावरे को इस्तेमाल नहीं करता। बहुत से सवालों का जवाब देना अच्छा नहीं होता। इस चीज को तो प्रेक्टिकल आस्पेक्ट से देखना चाहिए। गांधी जी का मत था कि जो धार्मिक दृष्टि से कुर्बानी करना चाहता है उनको कानूनी तौर पर रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका कहना यह था कि यदि गाय के मारने से आदमी जिंदा रह सके तो गाय को मारना हिंसा नहीं। गाय और आदमी में फर्क करना चाहिए। आप में से जो भाई उस वक्त थे जब आजादी नहीं हुई थी तब तीन चार बातों पर लड़ाई हुआ करती थी। एक तो गोवध पर, एक मस्जिद में अजान देने पर, एक मस्जिद के आगे बाजा बजाने पर और पीपल काटने पर होती थी। ये चार लड़ाई के कारण थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

लाखों आदमी बंटवारे में मार दिए गए। ये किस आधार पर मार दिए गए?

श्री फूलसिंह—

मैं इसका क्या जवाब दूं। जो आदमी मारे गए उसमें न मैंने कहा यह अहिंसा थी और न मैंने उसका प्रतिपादन किया। गांधी जी जो बात कहते थे वह अपनी जगह कायम हैं। गांधी जी को जो बात नहीं मानते थे वे अपनी जगहों पर हैं। जहां-जहां हम लोग गांधी जी की बात को मानने से गाफिल रहे उन्होंने यह कहा कि हम जो उनके अनुयायी थे, वह सच्चे अनुयायी नहीं थे। आज तो प्रश्न इतना है कि यह जो बिल है इस बिल में यह चर्चा करना कि कोई

गोवध न हो, यह इरादा करना ठीक नहीं होगा। इस बिल में यह लाने की चेष्टा करना कि न बकरी मरे न भेड़ मरे यह भी ठीक न होगा, लेकिन यह बात सही है कि इस बिल का जो हेडिग है प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन और मेंटिनेन्स उस हेडिग से इस बिल का कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस बिल का इस बिल के शीर्षक से कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू में तो बात प्रोटेक्शन की है, संरक्षण की है, संभरण की है और अन्दर सारी बात काटने की और मारने की है। तो या तो इस बिल का जो शीर्षक है उसको बदलना चाहिए या इस बिल को उसके अनुरूप बनाना चाहिए। मैं बहुत समय इस सदन का नहीं लेना चाहता।

श्री कमलासिंह यादव—

उस तरह यह संविधान के आर्टिकिल ४८ के खिलाफ चला जायगा और फिर यह बन नहीं सकेगा, इसीलिए नाम वह रहा .....

श्री फूलसिंह—

जो बात माननीय सदस्य कहते हैं वह बात तो सन् ६१ में हो गई। सन् ५६ का जो बिल था उसमें वह बात नहीं थी। ६१ में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तब यह बिल अमेंड हुआ और यह दो तीन चीजें रखी गयीं कि ऐसी ऐसी गायें मारी जायं। बल्कि उस फैसले में एक बात की और चर्चा है कि बहुत सारी शर्तें लगाना कोई रीजनेबिल कंडीशन नहीं है। आप लिख देते हैं कि बीस साल की न हो, तब भी मत मारो, बीमार न हो तब भी मत मारो और उम्र की कैद वैसे भी मुश्किल है। पशुओं की उम्र जांचने के दो ही तरीके हैं। एक सींग से और दूसरा दांतों से। दांतों का कल मैंने निवेदन किया था कि दांत घिस जाने के बाद पशु की उम्र मालूम नहीं हो सकती और सींग की बात यह है कि मुख्तलिफ नस्लों की सींगे मुख्तलिफ तरह की होती हैं। माननीय सदस्य खूब जानते हैं कि इस प्रदेश में बहुत ज्यादा नस्लें पशुओं की नहीं हैं। एक हरियाना नस्ल है जिसको हम लोग जानते हैं और एक गिलब्रिड नस्ल है गुजरात में, उसकी सींग जमीन को छूने लगती हैं। तो वहां वालों ने सींग के बारे में भी तरीका निकाल लिया कि कैसे उनको डीहार्न किया जाय, किस प्रकार उनके सींग गायब की जायं। इस तरह सींग से भी जांच नहीं हो सकती। सींग को काट दिया या उसको गरम करके आगे की ओर है तो पीछे की ओर कर दिया। इस तरह सींग भी कोई निशान नहीं रहा और दांत का भी कोई टेस्ट नहीं रहा। इसलिए यह बात कभी मुमकिन नहीं है, इसमें कोई तत्व नहीं है। आज तक कोई डाक्टर सिद्ध नहीं कर सका कि पवर्टी के बाद उम्र को मालूम करने का कोई श्योर तरीका है। हमने तो न मालूम कितने मुकदमे इसके लड़वाए। मैं कहता हूं इतनी उम्र, दूसरा कहता है इतनी नहीं उम्र तो यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता और अगर कानून चलाना है तो १५ साल की बात चलने वाली नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने बहुत दिलचस्पी से भाग लिया, तरह-तरह के नए पहलू उसके रखे और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बिल को प्रवर समिति में भेजेगी और इसको सुधार करके एक नया बिल लाने की चेष्टा करेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—

एक चीज जरा मैं जानना चाहता था कि आपने यह बतलाया कि पशुओं की संख्या अधिक बढ़ जाने से आदमी के रहने की जगह नहीं रह जायगी। तो यह आदमियों की जो पापुलेशन बढ़ रही है इसके ऊपर भी कोई इनका वध करने का कानून आप बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस विधेयक पर चर्चा चल रही है और इस विधेयक पर इस सदन के ३८ माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उनमें से श्रीमन्, अगर ऐसा कहा जाय कि शायद एक या दो ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सम्भवतः इस बिल को देखा नहीं था या उनको कुछ और भी बात रही होगी, उन्होंने सोचा होगा कि समर्थन ही कर देना चाहिए। परन्तु उनको

[श्री रघुवीर सिंह]

छोड़ कर सारे के सारे वक्ताओं ने यही बतलाया कि यह अपूर्ण है, इसके अन्दर कमियां हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर यह बिल लाया गया है, वह पूरा नहीं होता। माननीय सदस्यों ने उसमें जो कमियां हैं उनका भी एक एक करके उल्लेख किया है। सब सदस्यों की भावनायें ये हैं कि किसी भी परिस्थिति में गोवध होने देना मुनासिब नहीं है, उसको हर तरह से समाप्त हो हो जाना चाहिए। अनेक सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की कि सक्षम अधिकारी को जो अधिकार दिया गया है, उसका दुरुपयोग होगा। उसको पैसा देकर या अन्य साधनों से उस पर दबाव डाल कर अथवा धार्मिक भावनाओं को लेकर उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ट सदस्य कह रहे थे, आयु का प्रमाण मिलना भी कठिन होगा और अगर पशु वध हो गया, तब तो पता लगाना असम्भव ही हो जायगा। इस विधेयक के प्रीएम्बिल में और उद्देश्य में यह भाव व्यक्त किए गये हैं कि दूध देने वाले पशुओं के संरक्षण के लिए यह बिल लाया जा रहा है। इस पर अनेक सदस्यों ने कहा कि दूध देने वाली भैंस के संरक्षण के लिए इसको लागू किया जाय नहीं तो जिस कार्य के लिए यह बिल लाया गया है, वह उद्देश्य उसका निरर्थक हो जायगा और अपने उद्देश्य और कारणों के अनुसार यह बिल न होगा।

एक शंका यह भी प्रकट की गयी कि प्रदेश के व्यापार पर प्रभाव डालने वाला यह बिल है। लोगों की रोजी चली जायगी। किन्तु यह बात केवल भावना के आधार पर ही कही गयी थी, अगर मैं ऐसा कहूं तो इसमें अत्युक्ति न होगी। इस प्रकार के व्यापार में रोक लगाना सरकार के लिए बिल्कुल भी अवैधानिक न होगा और उससे प्रदेश के लिए जो दूध की व्यवस्था होनी चाहिए, वह होगी।

एक बात यह भी कही गयी कि पूर्वी क्षेत्र में बिहार को जो पशु जाते हैं उनके रुकने से वहां के किसानों को हानि होगी और अगर किसान बेचेंगे तो उनको सजा होगी। जो पशु दुर्बल हो जायेंगे उनको बेचना तो ठीक है नहीं और वहां से आने पर कोई रोक नहीं है, फिर हमारे प्रदेश को उससे क्या नुकसान होगा। जहां तक पश्चिमी भाग का सम्बन्ध है वहां से राजस्थान को केवल एक ही कार्य के लिए पशु जाते हैं। उधर भी रोक लगाने से कोई हानि नहीं होगी। इससे साफ जाहिर है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध से व्यापार पर कोई अड़चन नहीं पड़ने वाली। जी० टी० रोड पर देखिए कि १–१, २–२ हजार के पशुओं के झुंड चले जाते हैं। रेलगाड़ी से भी कलकत्ता को अच्छी नस्ल की गायें जाती हैं और एक बार दूध देने के बाद काट दी जाती हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक बार गाड़ी रोक कर इस बात को बताया था कि गाड़ी से कितनी गायें जाती हैं। पालीवाल जी ने कहा कि सरकार को ऐसी गायों को, जो इस प्रकार स्लाटरिंग के लिए बेच दी जाती हैं, उनको खरीद लेना चाहिए और उनको प्रोजर्व करना चाहिए, और अपने यहां ले आना चाहिए। यह रोक लगाना बहुत आवश्यक है और उसकी व्यवस्था होनी उचित ही है। यह जो नया विधेयक आया है इसमें जो गोवध बन्द करने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था अभी विवाद का प्रश्न है, यह तो और उस को व्यापक बनाने वाला है। मांस को रखने वाले को भी सजा का प्राविजन होना चाहिए वह ठीक है, लेकिन यह कहना कि सजा को ढीला करने से यह चीज कम हो जायगी, यह गलत है। २ साल की सजा और २ हजार रुपया जुर्माना तो साधारण जुर्म पर कोई बड़ी बात नहीं है और यह ६ मास की सजा और १,००० रुपया जुर्माना बहुत ही कम होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि भले ही कुछ लोगों के सम्बन्ध में कोई बात न हो, लेकिन इस को भुलाया नहीं जा सकता, भावनाओं की बात है, इससे तमाम सूबे में तमाम तरह के बवाल और संघर्ष वैसे ही होते रहते हैं और हो चुके हैं। गोवध जैसी चीज के मामले में लाइटली छोड़ना उचित न होगा, अक्सर मैजिस्ट्रेट लोग ५०–१०० और २०० रुपये जुर्माना करके छोड़ देते हैं और जो लोग इस तरह के काम करते हैं वह थोड़ा बहुत जुर्माना या सजा को कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए यह सजा बहुत अधिक होनी चाहिए, ५ साल की सजा और २ हजार रुपया जुर्माना कम से कम रखा जाय। बहुत से सदस्यों ने कहा कि फांसी या ट्रान्सपोर्टेशन

की सजा दी जाय वहां तक मैं नहीं जाता लेकिन सजा किसी तरह भी कम न होनी चाहिए। तभी आप इस सम्बन्ध में जनता की भावनाओं के साथ न्याय कर सकेंगे।

एक और बात जो सरकार ने इस में रखी है वह गोसदन खोलने की व्यवस्था है, लेकिन जहां पर इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया हुआ है उस को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकार ने कहा है कि उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा और जो गोसदन चल रहे हैं उनको ही सहायता दी जायगी। इससे कुछ होने वाला नहीं है, सभी जानते हैं कि इन गोसदनों की क्या हालत है। भरवारी में गोसदन है, क्या हालत है, जो गायें हैं भी उन की स्थिति क्या है, वह छिपी नहीं है। अगर वहां सरकार कुछ पैसा खर्च करके उनकी व्यवस्था को अपने हाथ में लेती तो उसको कोई हानि भी न होती क्योंकि वहां पर जो गाय बैल रहेंगे उन से दूध, बैल, गोबर, हड्डी खाल सभी कुछ मिलेगा और सरकार को शायद कोई नुकसान न होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को स्वयं गोसदन खोलकर पैसा खर्च करना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। नाममात्र की सहायता देने से काम नहीं चलेगा। भले ही इस साल के बजट में प्राविजन न हो, लेकिन अगले साल से मन्त्री जी ऐसे गोसदनों के लिए अलग से व्यवस्था करा सकते हैं। वह वहां पर इस प्रकार के बेकार जानवरों को रोकने की व्यवस्था करा सकते हैं जहां पर ठीक ढंग से रह सके। इस तरह से सरकार को नुकसान भी न होगा और साथ में पशुओं का संरक्षण भी हो जायगा।

इस में एक बात समझौता करने के बारे में और रह गई। माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि अधिकारी को अधिकार देना कि पशुओं के निर्यात के सम्बन्ध में, रोक के सम्बन्ध में ५०० रुपया लेकर सुलह कर सकते हैं इस में घपला हो सकता है। यह चीज सक्षम कोर्ट में जानी चाहिए और जिस तरह से कम्पाउन्ड करने की व्यवस्था होती है उस तरह की चीज वहीं से होनी चाहिए। उसमें ५०० रुपया लेकर ही हो, लेकिन सक्षम अधिकारी के बजाय वह कोर्ट में ही होनी चाहिए।

जहां तक कम्प्लेन्ट की बात है यह ठीक है कि पब्लिक सर्वेन्ट के द्वारा तो कम्प्लेन्ट की व्यवस्था होनी ही चाहिए कि गोवध हुआ है, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं है, अगर अलग से भी कोई कम्प्लेन्ट करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को गोवंश की रक्षा के लिए इतना और करना चाहिए कि जो लोग अच्छी नस्लों के जानवर रखते हैं, अधिक दूध की गायें या बढ़िया नस्ल के बैल रखते हैं, उन के लिए कुछ अनुदान और सहायता का भी प्रबन्ध करना चाहिए।

अब मैं ज्यादा न कह कर केवल एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। कि यहां पर कई सदस्यों ने यह बात कही कि इसको सेन्टीमेन्ट्स से बिलकुल अलग करना चाहिए। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया होगा, जो थोड़े ही होंगे, परन्तु मनुष्य का सारा जीवन भावना के ऊपर आधारित है। भावना शून्य आदमी मृत समान हो कर रह जाता है। यह भावना हमारे राष्ट्र, जीवन तथा ध्वज के लिए आवश्यक है और इस तरह की बात कह देना कि भावना से कोई मतलब नहीं है, बिलकुल गलत है। ऐसी बात कहना जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा था कि वहां घास भी नहीं होती है, या कच्छ के विषय में कहा गया, इससे काम नहीं चलेगा। अगर भावना निकल गयी तो हमारा सम्मान खत्म हो जायगा। यह भावना हमारी मर्यादा, संस्कृति की जड़ है और उसको निकाल कर कोई व्यक्ति अपने को भारतीय नहीं कह सकता। एक सदस्य ने कहा कि ६,००० रु० जब ही गोसदन को देते हैं तो डेवलपमेंट के काम में देते। उन्होंने यह नहीं कहा कि मिशन वाले अस्पताल में दे देते। अगर ऐसा कहते तो भी अच्छा रहता। यह बात सत्य है कि गोवंश का वध रोकने से हमको दूध पीने को मिलेगा जिससे हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और खेतिहर प्रदेश होने के नाते भी पशु की आवश्यकता रहती है, वह भी पूरी होगी। इसलिए पूर्ण रूपेण गोवध बन्द होना चाहिए। मैंने संयुक्त प्रवर समिति की बात कही थी जिससे विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के विचार भी हमको मिल जाते, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि ये बिल प्रवर समिति को जा रहा है तो उसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

कृषि मन्त्री (श्री गेंदासिंह)--

श्रीमन्, इस छोटे से विधेयक पर माननीय सदन ने जितनी दिलचस्पी ली और जितनी गहराई के साथ हमारे प्रदेश के पशुओं के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं पहले ही यह बात कह दूं कि इस विधेयक को ऐसा जरूर सरकार के पक्ष से भी सोचा जा रहा था कि यदि उस तरफ से इस बात का इशारा हो या कहा जाय कि इस पर काफी विस्तार से विचार करने के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं यह चाहता था कि यह मौका उस तरफ के हमारे मित्रों को मिलता और उनके प्रस्ताव को सरकारी पक्ष स्वीकार कर लेता। माननीय कमला सिंह की गैरहाजिरी की वजह से माननीय फूलसिंह को इस काम का बोझ उठाना पड़ा और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फूलसिंह जी जैसे आदमी के प्रस्ताव का स्वागत करने का मौका मिला। जिस गहराई और बुद्धिमत्तापूर्वक इस पर विचार हुआ है मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में जा कर जो कुछ भी इसकी खामियां होंगी अवश्य ही उनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान जायगा। और कुछ ऐसा प्रवर समिति से सुधर कर यह विधेयक आयेगा जिसमें फिर सदन को विचार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस समय जितनी बातें माननीय सदस्यों के जरिये कही गयी हैं उनका जिक्र व जवाब हर माननीय सदस्य के नाम से करूं तो समय लगेगा। लेकिन मैं कुछ मोटी बातों का जिक्र कि इस विधेयक का क्या मंशा है करने की चेष्टा करूंगा और संभव है कि कहीं-कहीं जो गलतफहमियां हो गयीं वे दूर हो जायं। मैं समझता हूं कि बहस जो हुई उसमें एक दूसरे का प्रत्युत्तर होता रहा है। ठाकुर फूलसिंह को उधर के बैठने वाले भाई बीच-बीच में टोक रहे थे इससे मुझे ऐसा लगा कि कि ठाकुर फूल सिंह भी इस विधेयक की मंशा पर ठीक-ठीक से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां बात खटकती थी वहां दूसरे लोग टोकते थे। उसका वह स्पष्टीकरण देते थे। मैं भी यह मानता हूं कि वह विधेयक हमारे सारे सूबे के ५ करोड़ पशुओं के विकास के लिये नहीं है। २ पन्ने का विधेयक ५ करोड़ पशुओं के नियोजन के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता। मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि जो अपना संगठन नहीं बना सकते, कोई झंडा नहीं उठा सकते अथवा नारा नहीं लगा सकते उनकी तरफ आज सदन का ध्यान गया कि उनके जीने, खाने तथा उनके जरिये समाज की सेवा होने की व्यवस्था होनी चाहिये, नियोजन होना चाहिये और जो आज तक हुआ है वह नाकाफी है। मैं समझता हूं कि इसके लिये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि पशुओं के विकास में, जिसमें खास तौर से गाय और भैंस हैं, उसके लिये अगर प्रजनन का ठीक तरह से बन्दोबस्त नहीं हो सकता तो फिर विकास किस चिड़िया का नाम है ? कौन नहीं जानता इस सदन में कि पुराने जमाने में परिपाटी थी महामारी आई तो भैंसे का कान काट कर छोड़ दिया। यह थी प्रथा कि श्राद्ध हुआ तो एक दिन पहले किसी बछड़े को लोहे से दाग कर छोड़ दिया और वह प्रजनन के काम में आता था लेकिन वह प्रथा तो अब बन्द हो गयी। आज अगर छोड़ते भी हैं तो सस्ता ढूंढ़ कर छोड़ते हैं जो विकास के काम में मददगार नहीं हो सकता। फिर विकास का कार्य भूखी गाय तथा भूखी भैंस से नहीं लिया जा सकता और प्रजनन के काम को समाज जो महत्व पहले देता था, जो व्यवस्था पहले करता था उसे आज उस सीमा तक नहीं देता है जिस सीमा तक उसे देना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह बिल सारी चीजों का इलाज नहीं है।

इस बिल की मंशा क्या है उसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि इस बिल की मंशा क्या है। मैं दो चार मोटी-मोटी बातें ही कहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पश्चिमी जिले से जहां की गाय, भैंसें अच्छी हैं, कलकत्ता और बम्बई को हजारों की संख्या में दुधारू पशु जाते हैं। जब तक वे दूध देते हैं तब तक तो वहां उनसे दूध लेने का काम लेते हैं अन्यथा जिस वक्त दूध देना बन्द हो गया, वे वहां के स्लाटर हाउस में चले जाते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, कि हमारे देश में अच्छे नस्ल के पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, यह बात सही है। मेरे पास आंकड़े हैं और इससे यह मालूम होता है कि

जिन बुनियादों पर इस बिल को लाने की बात सोची गयी वह यह है कि पिछले तीन, चार वर्षों के अन्दर हमारे सूबे से इतने पशु बाहर गये । सन् १९६०-६१ में १५,७७७ पशु बाहर गये, सन् १९६१-६२ में १९,५६५ पशु बाहर गये, सन् १९६२-६३ में २६,०८७ पशु बाहर गये और सन् सन् १९६३-६४ में २०,३६८ पशु बाहर गये । इस प्रकार ८१,७९७ पशु चार वर्षों के भीतर यहां से बाहर गये और-धीरे धीरे वह तादाद बढ़ती चली जाती है । १९६३-६४ तक के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, सन् १९६४-६५ और १९६५-६६ में क्या हो रहा है, इसमें भी इसकी संख्या क्रमशः बढ़ती चली जा रही है । इस दिशा में अगर नहीं सोचा गया तो पंजाब गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हम बंगाल और कलकत्ता अपने दुधारू पशुओं के जाने पर किस प्रकार से रोक लगावें, वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिये यह समस्या ऐसी नहीं है कि इन बातों की तरफ से आंखें मूंद लें । इसीलिये इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये जब आप इस बिल को देखेंगे तो उसमें इस बात की गुंजायश की गयी है कि सरकार जिस वक्त आवश्यक समझे पशुओं के बाहर जाने पर रोक लगा दे । यह बात नहीं है कि आंख मूंद कर जहां यह बिल पास हुआ और ऐक्ट बना उसके बाद ही साधारण तौर पर सारे सूबे में ही यह लागू हो जायगा और कहीं से कोई पशु बाहर नहीं जा सकेगा । जहां भी सरकार पशुओं के बाहर भेजे जाने पर रुकावट लगाने की बात सोचेगी उसके लिये पहले सरकार नोटिफाई करेगी और उस इलाके से पशुओं के जाने पर रोक लगाने का धीरे-धीरे प्रयास करेगी और वह भी विनियमन करके करेगी । तो असली मंशा इस विधेयक का यही है ।

अब इस विधेयक के लिये चाहे यह कहा जाय कि यह पशुओं के मारने का है, चाहे यह कहा जाय कि यह पशुओं के बचाने का है लेकिन श्रीमन् मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कुछ और भी बातें हैं जिनकी चर्चा की गयी है । एक तो यह कहा गया कि हमने सजा कम कर दी है, यह बात सही है लेकिन सेलेक्ट कमेटी को पूरा अधिकार है कि वह इस पर विचार करके अपना निर्णय दे ।

अब मैं आपसे निवेदन करूं कि सदन में गाय की चर्चा बहुत हुई लेकिन मैं सदन से नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि गाय के मारने की तो इस में कहीं व्यवस्था ही नहीं है, सिवा इसके कि जिस वक्त वह इस स्थिति में पहुंच जाय कि गाय का मालिक यह चाहता हो कि हमको इससे छुट्टी मिल जाय तो श्रीमन्, उसके लिये भी दो रास्ते खुले हुये हैं । यह जरूरी नहीं है कि उसका कत्ल ही करें या उसका बध ही करें । दूसरा रास्ता यह खुला हुआ है कि वह गाय को गो-सदन में ले जाय । मैं समझता हूं कि हर मालिक को अपनी गाय को गो-सदन में ही ले जाना चाहिये लेकिन यदि वह गो-सदन भेजे जाने लायक न हो और वह ऐसी स्थिति में पहुंच गई हो कि उसका एक-एक मिनट और एक-एक क्षण जीना कष्टप्रद हो रहा हो और कोई सोचे कि उसे इतना अधिक कष्ट हो रहा है कि उसे स जीवन से छुट्टी दिलाना जरूरी है तो फिर सर्टीफिकेट लेने की कोशिश करें । वह सर्टीफिकेट ले सकता है । यह कहां है कि जबरदस्ती सरकार सर्टीफिकेट देगी पकड़ कर । यह कहीं नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि आपने पिता जी बीमार हो जायं तो उनको छुट्टी देने के लिये यह जरूरी हो जायगा कि यह उपाय अपनाना पड़े ।

श्री गेंदासिंह—

यह तो आपकी स्वतंत्रता पर है । आप अपके पिता जी के साथ वह सलूक करना चाहते हैं तो कौन रोकेगा । मैं समझता हूं कि आप नहीं करेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव—

अपने पिता के साथ नहीं कर सकते हैं जो बूढ़े बैल और गाय के साथ क्यों करेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं भी दो दिन तक चुपचाप सुनता रहा हूं । किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है । विधेयक में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जो सार्टिफिकेट नहीं लेगा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जायगा । हम कहते हैं कि दो रास्ते खुले हुये हैं ।

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी फरमा रहे हैं उसमें वह भेद निकाल रहे हैं । गोकशी में जब कायदा था तब क्या जबरदस्ती की जाती थी ? अब जो कायदा हो गया हैं सर्टीफिकेट लेकर गाय कटवा दें तो पहले भी था कि कसाई को बेंच दे और फिर वह कसाई मालिक होगा । इसलिये यह चीज जंचती नहीं है कि किसी पर पाबंदी नहीं है कि बीमार गाय को काटना नहीं चाहिये ।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जिस गाय के रहने में तकलीफ होती है और उसका मालिक चाहता है कि वह दुनिया में न रहे तो वह उसके कटवाने के लिये इजाजत मांग सकता है । पहले तो वैसे ही मार सकता था लेकिन आज उसे मारने के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी । बिना सर्टीफिकेट लिये वह इस काम को नहीं कर सकता है । उसके लिये उसे निश्चित स्थान पर ले जाना होगा ।

श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये । आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन बहस नहीं कर सकते । आप खड़े नहीं हो सकते । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गाय का मालिक उसके दुख को देखकर जब बहुत दुखी हो तो उसको गोसदन में पहुंचा देगा या मरवा देगा । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह क्यों न कानून में रख दिया जाय कि गाय का मालिक उसका पालन करेगा, कटवा न देगा ।

श्री गेंदासिंह—

मैं फिर एक बात निवेदन करूंगा । यह विधेयक नया नहीं है । इसके पहले १९६१ में १९५८ में, १९५५ में आप इस तरह का विधयक बना चुके हैं । यह गेंदासिंह की देन नहीं है कि गेंदासिंह कुर्सी पर आ गये और गाय मारने वाला विधेयक ले आये । फिर सरकार किसी आदमी को गाय मारने के लिये मजबूर नहीं करती ।

श्री जगवीरसिंह—

वह राय आपने अपनी क्यों बदल दी कि गोवध पूर्णतया रोक दिया जाय ?

श्री गेंदासिंह—

आपकी भी तो पहले कुछ और राय थी । दोनों एक साथ हैं, तो मिल कर काम करें । आज गाय को गोसदन में ले जाने की सुविधा है, अपने दरवाजे पर पूजा करने की सुविधा है । यह एक नयी रोक विधेयक में लगा दी गयी है कि बिना सर्टीफिकेट लिये कोई नहीं बेच सकता या मार सकता है ।

एक बात यह कही गयी कि उम्र का फैसला कैसे होगा कि १५ वर्ष की उम्र है या पांच वर्ष की उम्र है । आखिर किसी के ऊपर फैसले की जिम्मेदारी रखनी पड़ती है । समझा यह जाता है कि जिस पर जिम्मेदारी रखी जाती है वह उसको ठीक से निभायेगा । अगर ठीक से निभाने की कोशिश नहीं करेगा तो हम और आप उसके लिये बैठे हैं । यह मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप अपने ऊपर अविश्वास न कीजिये । आपके हाथ में बड़ी भारी ताकत है । १५ वर्ष की जो उम्र रखी गई है यह उम्र पुराने अधिनियम में भी थी । यह नई धारा नहीं है । संशोधन आप चाहते हैं तो ठीक है । जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जायगा तो वहां बताया जायगा कि क्यों १५ वर्ष की उम्र पर जोर दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश भारतवर्ष

का टुकड़ा है। पड़ौसी राज्य हैं। सुप्रीम कोर्ट है। उनके विचारों को भी ध्यान में रख कर काम करना पड़ता है। वह बातें आपके सामने आयेंगी। यह १५ वर्ष की उम्र आर्बिट्रेरी नहीं है। बल्कि कुछ मजबूरियों की वजह से १५ वर्ष की उम्र रखी गई है। अब खंड ३ में यदि आप देखें तो इसमें एक बन्धन लगाया गया है कि मैजिस्ट्रेट वगैरह की इजाजत के कोई कहीं पर किसी जानवर को मार नहीं सकता। पहले यह नहीं था, अब उसके लिये मजबूरी कर दी गई है कि बगैर इजाजत के वह यह काम नहीं कर सकता। वैसे इसके पक्ष विपक्ष में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। किन्तु यह कितना ठीक है और जो कमियाँ हैं, जो छिद्र इस व्यवस्था में भी रह जाते हैं उनको आप भी देखने की चेष्टा करें और मैं भी चेष्टा करूं। फिर उसी के अनुसार कानून बन जायगा। इसके अलावा पहले अगर कोई सर्टिफिकेट के लिये दरख्वास्त देता था उस पर कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब उस पर आर्थिक दण्ड भी रखा गया है। यदि कोई सर्टिफिकेट लेना चाहे तो उस पर आर्थिक बोझ भी पड़े, इसकी व्यवस्था की गयी है। श्रीमन्, एक संदेह उत्पन्न किया गया है पशुओं के आयात निर्यात के बारे में। मैं स्पष्ट किये देता हूं कि केवल निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का इरादा है, आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की इजाजत नहीं है। मैं मानता हूं कि अन्य प्रदेशों से हजारों पशु आकर हमारे प्रदेश में बिकते हैं—मैं उनमें रुकावट नहीं पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारे हित में है। निर्यात से ही कुल बन्धन लगाने की चेष्टा की गयी है, जिससे हमारे अच्छे पशु दूसरी जगह जाकर मारे न जा सकें, उनका विनियमन न हो सके।

श्रीमन्, इस बिल में रक्षपालसिंह जी का खासकर ध्यान धारा ९ की ओर दिलाऊंगा कि कोई आदमी तो उस जुर्म से सजा पा जाये और यदि कोई समूह या संस्था या कम्पनी करे तो बच जाये तो यह ठीक नहीं है, इसलिये इस कमी को दूर कर दिया गया है। अब की बार इस विधेयक में इस बात की गुंजायश नहीं है कि कोई व्यक्ति ही जुर्म करे तो दण्ड पाये और समूह या संस्था नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

धारा १०–११ में 'परसन' शब्द लिखा हुआ है, जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा।

श्री गेंदासिंह—

वह सब बाद में ठीक हो जायगा। बिल में जो हम प्राविजन कर रहे हैं उसका रूल मेकिंग पावर आपको है और उसमें रद्दोबदल हो सकता है यदि आपके विधेयक में ठीक दिया हुआ है।

श्रीमन्, इसमें सन्देह नहीं है कि जो गोसदन आज हैं, वह बहुत थोड़े हैं और अभी रक्षपालसिंह ने कहा गोसदनों को एक सरकुलर भेज देंगे और उसके अनुसार सब काम होने लगेगा। लेकिन यह समाज का बहुत बड़ा काम है, इसके लिये कानून तो आयेगा ही लेकिन आपको भी बहुत कुछ करना चाहिये। हमारी जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनके पास कुछ धन आ सके, ताकि वह अपने गोसदनों को चला सकें, कुछ अपने कस्बों और गावों की अधिक मदद कर सकें, उसमें मैं आपसे मदद चाहूंगा।

यह सरकार भी आपसे मदद चाहेगी कि जहां किसी पशु या गाय को बचाने की बात हो वहां सबको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। सरकार सरकुलर निकाल देगी लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास धन की कमी है और सरकुलर उनके लिये धन इकट्ठा नहीं कर सकता। इसलिये हमें सोचकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इस विधेयक की मंशा को पूरा कर सकें।

अन्त में, एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं। पशुओं के सम्बन्ध में आपने पिछले वर्षों में कुछ कानून बनाये हैं। वह आपने ही बनाये हैं, ठीक है, उस वक्त मैं उधर बैठा हूंगा.....

एक सदस्य—

पशुबल से बनाये गये थे ।

श्री गेंदासिह—

लेकिन उसमें साड़ों को बेकार करने की व्यवस्था है जिसे आपने पास कर रखा है । तो श्रीमन् यह काम जरा बोझ वाला है कि जो खराब सांड़ हैं उनको तो बेकार कर दिया जाय और अच्छे साड़ मुहइया न कर सकें यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें सोचना है। सारे ऐक्ट के ऊपर तो इस समय मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह के लेजिस्लेशन्स आपने किये हैं । वे सब सरकार के विचाराधीन हैं और उनको चलाने की कोशिश की जा रही है। वह दिन हम भी चाहते हैं कि जब इस प्रदेश के ८ करोड़ आदमी चैन से बैठकर रोटी दाल खाकर अपना जीवन बिता सकें लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह हमारे ५ करोड़ पशु भूखे रहें और अगर वे जिनसे हम सारी सम्पत्ति पैदा करते हैं वे भूखे रहे तो यह काम पूरा होने वाला नहीं है ।

हां, एक बात भाई जगवीरसिह जी ने कही कि क्या जो आपने, उधर जब बैठते थे कही थी याद हैं । एक बात नहीं, मुझे वह सब बातें याद हैं और बारबार याद करता रहूंगा लेकिन मैं भाई जगवीरसिह जी से मदद चाहता हूं । कभी ऐसा न हो जाय कि उस बात को याद करने में हमारे भाई जगवीरसिह जी हमारा साथ छोड़कर जाने लगें ।

श्री जगवीरसिह (जिला बुलन्दशहर)—

आप हमारा नेतृत्व कीजिये ।

श्री गेंदासिह—

मैं नेतृत्व का तो दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब ऐसे घर में आ गया हूं जहां नेतृत्व करने का दावा करने वाले के लिये खतरा है । लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मैं आपका साथी रहा हूं, और आपका साथी रहकर ही काम पूरा करने की चेष्टा करूंगा । अगर यह न होता तो आप तो कुछ दिन पहले चले आये थे लेकिन आपके सारे मोह के रहते हुये वहां ही बैठा था लेकिन आपके कहने से भी हमें ऐसा लगा कि समय आ गया है जब समाज की रूप-रेखा बदलेगी और उसमें हमें काम करने का मौका मिलेगा और अगर मैं उसमें १६ आने न कर पाऊंगा तो ४ आने तो कर ही लूंगा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

गेंदा सिह जी, १६ आने नहीं आप २० आने काम करेंगे ।

श्री गेंदासिह—

मैं भाई जे० पी० मिश्र को धन्यवाद देता हूं । श्रीमन्, इन शब्दों के साथ इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के माननीय फूलसिह जी के प्रस्ताव को स्वीकृत करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा ।

श्री मैनेजरसिह—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने कहा कि निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था इसके द्वारा हो रही है । तो बलिया, जो सरहदी जिला है जहां ददरी का मेला लगता है और जहां १ लाख मवेशी शाहाबाद, छपरा, देवरिया और गोरखपुर से आते हैं तो इस विधेयक का असर मेलों पर क्या पड़ेगा, अगर निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा तो मेले कैसे चलेंगे जो वहां पर ७ या ८ मेले होते हैं उनका क्या होगा ?

श्री गेंदासिंह--

मैं फिर स्पष्ट कर दूं । अभी जब विधेयक पास हो जाय और अधिनियम का रूप धारण कर ले फिर उसे सरकार को किसी क्षेत्र में लागू करने के लिये उसको नोटीफाइड करने की जरूरत पड़ेगी । और जिस वक्त सरकार किसी क्षेत्र में इसको लागू करेगी तो काफी विचार के बाद आदेश जारी करेगी । उसमें हमको यह अधिकार होगा कि हम उस पर विचार कर सकें और उसको बदल सकें । हम जैसा चाहें वैसा कर सकेंग और मैं समझता हूं बलिया के मेले के लिये आरा या शाहाबाद से कुछ अधिक लोगों को बुलाने की चेष्टा कीजिये उसके लिये सरकार आपकी मदद करेगी ।

श्री कमलासिंह यादव---

इसमें परिधि बढ़ाने की बात आई नहीं है तो वह भी आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय वह नहीं हो सकता है ।

श्री प्रेमसिंह---

मैं यह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने जानवर बाहर भेजे गये यह तो मालूम नहीं लेकिन कितने आप मंगायेंगे ?

श्री गेंदासिंह--

यह अभी नहीं बतलाया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु परिक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पशु परिक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ की प्रवर समिति के लिये मैं आपके सम्मुख निम्नलिखित नाम पेश करता हूं---

१--कृषि मंत्री (श्री गेंदा सिंह)
२--श्री बलदेवसिंह आर्य
३--श्री गुलाब सिंह
४--श्री फूलसिंह
५--श्री चुन्नी लाल
६--श्री बैजनाथ पांडेय
७--श्री उमाशंकर मिश्र
८--श्री रामस्वरूप
९--श्री नित्यानन्द पांडेय
१०--श्री जगदीश शरण अग्रवाल
११--अब्दुल समी
१२--श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह
१३--श्री रामअधीन सिंह यादव
१४--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट
१५--श्री ओंकारनाथ द्विवेदी
१६--श्री केशरी प्रसाद पांडेय
१७--श्री लखपतराम शर्मा
१८--श्री काशीनाथ बहादुर पाल
१९--श्री रामसुन्दर शास्त्री

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ की प्रवर समिति में विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य होंगे —

१—कृषि मंत्री (माननीय गेंदा सिंह)
२—श्री बलदेवसिंह आर्य
३—श्री गुलाब सिंह
४—श्री फूल सिंह
५—श्री चुन्नी लाल
६—श्री बैजनाथ पांडेय
७—श्री उमाशंकर मिश्र
८—श्री रामस्वरूप
९—श्री नित्यानन्द पांडेय
१०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल
११—अब्दुल समी
१२—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह
१३—श्री रामअधीन सिंह यादव
१३—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट
१५—श्री ओंकारनाथ द्विवेदी
१६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय
१७—श्री लखपतराम शर्मा
१८—श्री काशीनाथ बहादुर पाल
१९—श्री रामसुन्दर शास्त्री

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ अगस्त, १९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२२ पर)

परिशिष्ट

हमीरपुर जिले में सन् १९६३–६४ तथा १९६४–६५ वर्ष में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सम्पादित निर्माण कार्यों की सूची

कार्य का विवरण	वर्ष	
	१९६३–६४	१९६४–६५
१—सिंचाई के कुयें	२२९	४३४
२—टूटे फूटे कुओं की मरम्मत	२४३	२६५
३—कुओं में मल लगाना..	३४	२३
४—रहट लगाना	२५७	२०३
५—पम्पिंग सेट लगाना	७९	१०२
६—नई बंधियो का निर्माण	३,६४३	४,०४३
७—पुरानी बंधियों का जीर्णोद्धार	१,७७२	१,५९७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२४ पर)

सन् १९६४ में माइलेज का मासिक व्यौरा

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	जीप गाड़ी का नम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
१	२	३	४	५	६	७	८
१--सिकन्दराबाद	यू० एस० वी०	९३५५	६०६ १/४	५६९ ३/८	४८६ ७/८	६१०	१२४३ ३/४
२--भवन बहादुर नगर	,,	५९०९	४४९	५६८	४८८	४८३	४५९
३--जेवर	,,	३८०६	५५८	६५७	५१४	९७६	७०२
४--पहासू	,,	६६३९	१५९	६१८	३४८	६१७	२२७
५--डन्कौर अनूपशहर (मई ६४ तक) (जून ६४ से)		२७४६	५३२	,,	१२६	१४४	८०
६--दानपुर	,,	५०६२	४५१	६४६	---	९४०	४५८
७--लखावटी	,,	४६१८	११०	३७	५४५	७१७	६०७
८--बुलन्दशहर	,,	२७३८	४४९	३०२	३८३	२९५	७६
९--शिकारपुर	,,	६०७३	१२८	२५८	४४९	४१०	२२१
१०--ऊंचागांव स्याना (मई ६४, तक) (जून, ६४ से)		२६४०	---	६०	५०८	३६७	९४
११--विसरख	,,	३८३४	४८३	७४१	३१५	---	८९
१२--गुलावटी	,,	६५८२	४२२	३७५	५००	६२७	७७७
१३--डिबाई	यू०पी०डी०	१०८८	४६५	२३८ ३/४	३२२ १/२	९७३ १/८	७६५
१४ दादरी	,,	२३५४	४३५ ५/८	४४८ ३/४	१३०५ ५/८	१४९ ३/८	१०११ ७८

मीलों में

जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
९	१०	११	१२	१३	१४	१५
७०६,७/८	२२३,३/४	३०५,५/८	७५४,३/८	११२६,१/४	६५०	१६७,१/२
४९०	३०४	२९८	२७१	७२१	५०२	४८६
६६०	४५०	४२२	६६५	९०५	६९३	६०१
१७७७	१५५	४०५	६४९	७६९	४७७	९८५
१११	२१५	५३२	८४७	६१४	९०१	८८२
९९०	४२४	४५०	१८१	५५९	१२६	७०५
५७९	३५०	४२३	६०५	२६४	१५४	६३
३३३	२९६	३२	---	५६९	१०७३	४७६
---	---	---	---	१५९	२३५	८२६
५५७	१३३	२१६	४४१	२१६	२०९	४७९
---	---	---	---	---	५२	---
६७४	४०५	४४१	२९२	६८८	१०७२	६८२
३३८ १/८	७४८ ३/४	४४६ ७/८	४४५	४४० ५/८	५६५	१३५६ ७/८
३६० ५/८	३४८ १/८	३३४ ३/८	४४९ ३/८	८९८ ३/४	८३३ ३/४	५६० ५/८

नत्थी 'ग'

(देखिये तरांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२९ पर)

जिला गोंडा के निम्नलिखित गांव ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत ऊंचे किये जा रहे हैं

ब्लाक का नाम	गांव का नाम
करनैलगंज	१—घरकुइया
,,	२—फतेहपुर कोटहना
,,	३—बसरिया
,,	४—मलौली
,,	५—प्रतापपुर
,,	६—देवली गढ़वाल
,,	७—करुआ
,,	८—अतर सैइया
,,	९—हीरापुर
,,	१०—सकतपुर
,,	११—रुदौली
,,	१२—मोहर
,,	१३—गौरा
,,	१४—मुहम्मदपुर
,,	१५—दिनकरिया
,,	१६—परसौली
,,	१७—रकसरिया
,,	१८—पूरे अजब
,,	१९—मेनिहारी
,,	२०—मुंडेरवा
,,	२१—कंजेमऊ
,,	२२—नरायनपुर ललक
,,	२३—भटपुरवा
,,	२४—कुंचनापुर
,,	२५—विवियापुर
,,	२६—नरायनपुर शाल
,,	२७—कैथोली
,,	२८—पूरे अगद
,,	२९—खिलावन पुरवा
,,	३०—नकार
,,	३१—नकहरा
,,	३२—सरैया
,,	३३—बरतरा
,,	३४—चन्द्रभानपुर
परसपुर	३५—शिवगढ़
,,	३६—परेठा
,,	३७—मोरीगंज
,,	३८—सिसई माझा
,,	३९—हलनिया माझा
,,	४०—बड़वन
बलरामपुर	४१—गलेवहा
,,	४२—नायब पुरवा
,,	४३—पूरे बरदही
,,	४४—डैलटहवा माझा
,,	४५—चरसरी
,,	४६—चगेरी
,,	४७—खैरा
,,	४८—परका
,,	४९—नदौर
,,	५०—कटरा शंकरनगर
,,	५१—मोहम्मदपुर
,,	५२—बगाही
,,	५३—कलन्दपुर
,,	५४—बिजलीपुर
,,	५५—गंगापुर बरोली
,,	५६—डकढ़ा
,,	५७—हरबंशपुर
,,	५८—महादेव मिश्र
,,	५९—लिलवा
,,	६०—जबदेही
,,	६१—फतेह जोत
,,	६२—गौजहवा
,,	६३—विनोहनी
,,	६४—भगवतपुर
,,	६५—बलवा बलुई
,,	६६—मझौवा
,,	६७—प्रयागपुर
,,	६८—गौरी
,,	६९—घुनघरी
,,	७०—दुल्हापुर
,,	७१—कलकाजोत
,,	७२—सिसई
,,	७३—बल्लीपुर
,,	७४—कोल्हवा
,,	७५—सेमरहना
,,	७६—रछौरा
,,	७७—खजरिया
,,	७८—झोझना
,,	७९—जानूदीप

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४३ पर)

तालिका बाबत नीलामी ठेके दूकान शराब जिला सहारनपुर बाबत साल १९६४–६५ तथा १९६५–६६

क्रम-संख्या	नाम दूकान		लाइसेंस फीस १९६३–६४	लाइसेंस फीस १९६४–६५	लाइसेंस फीस १९६५–६६
			रु०	रु०	रु०
१	बेहट	..	२५,०००	२६,००	२८,५००
२	मटियारी सराये	..	२,०८,०००	२,२४,०००	२,२२,०००
३	लोहारी सराये	..	२,१३,०००	२,३०,०००	२,२०,०००
४	पठानपुरा	..	२,४३,०००	२,६२,०००	२,५७,०००
५	पुल दुषाराम	..	६,६३,०००	१,७५,०००	२,१०,०००
६	बम्बैहठा	..	१०,५००	१३,०००.	१५,२००
७	चिलकाना	..	१२,०००	६३,०००	३२,०००
८	छूटमवलपुर	..	४०,०००	४०,०००	५०,०००
९	गंगोह	..	४८,०००	५०,४००	५०,९००
१०	नकुड़	..	२५,३००	२९,३००	५०,३००
११	फन्दपुरी	..	१०,२००	१०,२००	१४,०००
१२	सरसादा	..	३६,७००	३७,७००	७५,२००
१३	बड़गांव	..	११,०००	१२,२००	१३,२००
१४	चन्दना कोसी	..	८,३००	१०,०००	१३,४००
१५	देवबन्द कायस्थ बाड़ा	..	३८,०००	३९,५००	४३,५००
१६	देवबन्द सराये	..	६४,८००	६६,०००	७५,०००
१७	नागल	..	३२,५००	३६,१००	५९,६००
१८	नानौता	..	१९,५००	२०,०००	२६,०००
१९	रामपुर	..	३९,३००	५१,५००	५३,०००
२०	टिकरौल	..	८,२००	८,५००	९,५००
२१	भगवानपुर	..	३०,०००	२५,०००	१९,५००
२२	बहादराबाद	..	४२,०००	५५,०००	५८,०००
२३	झबरेठा	..	१५,०००	३३,०००	३३,५००
२४	उढ़ौरा	..	२३,०००	२४,०००	२५,०००
२५	मुंडावली	..	१८,५००	१९,०००	२८,५००
२६	मंगलौर	..	४५,५००	४८,५००	५१,५००
२७	लक्सर	..	६४,०००	६७,०००	७२,०००
२८	रायसी	..	२३,०००	१५,५००	२३,०००
२९	रुड़की	..	१,५०,५००	१,६०,०००	१,७८,०००

तालिका बाबत नीलामी ठेके दूकानात शराब जिला मुरादाबाद बाबत साल १९६३–६४, १९६४–६५ तथा १९६५–६६

क्रम-संख्या	नाम दुकान	लाइसेंस शुल्क		
		१९६३–६४	१९६४–६४	१९६५–६६
		रु०	रु०	रु०
१	अमरोहा गेट ..	१,१२,०००	१,१४,०००	१,६०,०००
२	बंगला गांव ..	५०,०००	५४,०००	७५,०००
३	गुरहटी ..	१,५५,५००	१,५८,०००	२,२५,०००
४	लाल बाग ..	५८,०००	५०,०००	७०,०००
५	मछरट्टा ..	५६,०००	५०,०००	७०,०००
६	मकबरा ..	५२,०००	७१,०००	१,०१,०००
७	सरकारा ..	२,२००	४,०००	४,०००
८	मंढा पांडे ..	५,२००	८,५००	१०,१००
९	पकबारा ..	१०,२००	१४,५००	२७,१००
१०	बरहानपुर ..	४,२००	५,५००	६,७००
११	अघवानपुर ..	२,९००	३,१००	५,२००
१२	भोजपुर ..	५,५००	६,४००	७,०००
१३	गटौरा ..	२,२००	३,१००	३,२००
१४	कोट सम्भल	२१,३००	२३,५००	२८,५००
१५	सराय तारीन सम्भल	११,३००	१२,५००	१७,५००
१६	खग्गू सराय सम्भल ..	११,३००	१२,५००	१७,५००
१७	सिरसी ..	५,०००	६,५००	६,५००
१८	बहजोई ..	१६,५००	२१,५००	२१,०००
१९	असमोली ..	२,७००	४,०००	५,२००
२०	खुरजा गेट चन्दौसी	३०,०००	५०,०००	५०,०००
२१	सम्भली गेट चन्दौसी	३९,०००	६१,०००	६२,०००
२२	बिलारी ..	४४,४००	४८,६००	४८,६००
२३	कुन्डरकी ..	९,५००	१२,५००	१५,१००
२४	नरौली ..	७,०००	७,५००	७,५००
२५	स्योंदरा ..	३,२००	४,३००	६,२००
२६	रीठ ..	१,४००	१,४००	१,८००
२७	वनबला अमरोहा	३२,०००	३४,०००	५०,०००
२८	मंड छोव अमरोहा	२०,०००	२१,०००	३५,०००

क्रम-संख्या	नाम दूकान	लाइसेंस शुल्क		
		१९६३–६४	१९६४–६४	१९६५–६६
२९	नौबत खाना अमरोहा	१४,०००	१५,०००	२०,०००
३०	जोया ..	११,०००	११,०००	२०,०००
३१	कंड ..	१०,७००	११,०००	११,४००
३२	रजबपुर ..	९,०००	१०,५००	१५,७००
३३	पतेई ..	७,०००	६,३००	६,५००
३४	बारिसपुर ..	४,०००	६,२००	६,२००
३५	नजरौला ..	२०,५००	२५,४००	६०,९००
३६	हसनपुर ..	१८,५००	१४,९००	२६,४००
३७	धनौरा ..	११,७००	१४,५००	१६,२००
३८	ठाकुरद्वारा ..	१०,७००	१४,०००	१४,७००
३९	बिजारी ..	४,८००	६,०००	५,०००
४०	सुरजनगर ..	४,५००	६,०००	६,०००

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४–२४५ पर)

प्रश्न संख्या १ का उत्तर

इस समय कार्य करने वाले कर्मचारियों का पद तथा संख्या

कानपुर की स्वास्थ्य यूनिटों का नाम	लिपिक		चपरासी	
	संख्या	हरिजनों की संख्या	संख्या	हरिजनों की संख्या
१–जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय ..	५	०	२६	५
२–नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय ..	३	१	२	०
३– स्कूल हैल्थ अफसर का कार्यालय ..	१	०	१	०
४– मलेरिया निर्मूलन अधिकारियों के दो कार्यालय ..	८	०	८	०
५–उप-सहायक निदेशक मलेरिया विज्ञान का कार्यालय ..	१	०	१	०
६–औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन कार्यालय ..	२	०	१	०

प्रश्न संख्या २ का उत्तर

कानपुर की स्वास्थ्य यूनिटों का नाम	वर्ष	नियुक्तियों के पद तथा संख्या			
		लिपिक		चपरासी	
		संख्या	हरिजनों की संख्या	संख्या	हरिजनों की संख्या
१—जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय ..	१९६२	०	०	०	०
	१९६३	०	०	०	०
	१९६४	०	०	७	३
२—नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय ..	१९६२ से १९६४	०	०	०	०
३—स्कूल हेल्थ अफसर का कार्यालय	१९६२ से १९६४	०	०	०	०
४—मलेरिया निर्मूलन अधिकारियों के दो कार्यालय ..	१९६२	०	०	१	०
	१९६३	०	०	१	१
	१९६४	०	०	१	१
५—उप-सहायक निदेशक मलेरिया विज्ञान का कार्यालय ..	१९६२ से १९६४	०	०	०	०
६—औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन कार्यालय ..	१९६२ से १९६४	०	०	०	०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर ।)

नाम गांव जहां निम्नलिखित की व्यवस्था की जा चुकी है :

पंचायत भवन	वाचनालय	पुस्तकालय
१—नारायणपुर	१—आयर	१—गोपपुर
२—चिरई गांव	२—शिवरामपुर	२—नरायनपुर
३—फूलपुर	३—भटपुरवा	३—सरसौल
४—करेंटवा	४—भोमापुर	४—गौरा
५—गोपुयर		५—सरायमुहाना
६—छितौनी		६—राजवाड़ो
७—मित्रपुरा		७—लश्करपुर
८—कर्मोकलां		८—अजगरा
९—राजवाड़ो		९—चकरमा
१०—घोरहरा		१०—आयर
११—चौबेपुर		११—शिवरामपुर
१२—छोतमपुर		१२—गोसाईंपुर मोहांव
१३—ललनपुर		१३—कोहांसी
१४—पहाड़पुर		१४—भटपुरवा
१५—मवैयां		१५—सुलेमापुर
१६—भवानीपुर		
१७—तिलमापुर		
१८—चकरमा		
१९—मटपुरवा खुर्द		

गलियो में खडंजा	खाद के पक्के गड्ढें	गलियों में प्रकाश
१—नरायनपुर	१—गोशाईपुर	१—शिवरामपुर
२—बनकट	२—भटपुरवा कलां	२—डिहवा
३—पियरी	३—शिवरामपुर	३—अटैसुजा
४—दोनापुर	४—तैवंर	४—राजबाठी
५—चिरईगांव	५—आयर	५—कैंघो
६—खानपुर	६—गोहुरा	६—मन्दहा
७—उमरहा	७—भटपुरवा खुर्द	७—चन्दावती
८—सलारपुर	८—नियारडिह	८—चौबेपुर
९—छितौनी	९—वावतपुर	९—छोतमपुर
१०—अमौली	१०—नरायनपुर	१०—चोलापुर
११—कुकुड़ा	११—रमना	११—चिरइगांव
१२—सरसौल	१२—पहड़िया	१२—छितौनी
१३—उकथी	१३—कादीपुर	१३—जाल्हूपुर बाजार

गलियों में खड़ंजा	खाद के पक्के गड्ढे	गलियों में प्रकाश
१४—सिरिस्ती	१४—पर्वतपुर	१४—डमरहा बाजार
१५—बरियासनपुर	१५—पनिहरी	
१६—राजवाड़ी	१६—बनकट	
१७—चौबेपुर	१७—गौरा कलां	नाम गांव जहां बालकों के
१८—छितमपुर	१८—मढ़नी	लिये खेल-कूद और क्रीड़ा के
१९—चौलापुर	१९—नेवादा	लिये भूमि की व्यवस्था है।
२०—कटारी	२०—शंकरपुर	
२१—बनतरी	२१—चिरईगांव	१—गोपपुर
२२—पहाड़पुर	२२—उमरहां	२—सलारपुर
२३—भटपुरवाखुर्द	२३—बरियासनपुर	३—उमरहां
२४—गरथमा	२४—चरथरा कलां	४—चकरमा
२५—सिवरामपुर	२५—व्यासपुर	५—बसांव
२६—सुल्मापुर	२६—सौनबरसा	६—चिरईगांव
२७—अहिराली	२७—गोपपुर	
२८—अटैसुआ	२८—लूठा	
२९—आयर	२९—बालूपुर	
३०—गोहुरा	३०—सीपा	
	३१—उकथी	
	३२—सिरिसी	
	३३—विशुनपुर	
	३४—अमरपट्टी	
	३५—अहली	

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर ।)

सूची

१—श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी,	संयुक्त सचिव ।
२—श्री प्रेम चन्द श्रीवास्तव,	उप सचिव
३—श्री के० एस० श्रोती	सहायक विकास आयुक्त (प्रशिक्षण)
४—श्री रामलाल शाह,	,, (लेखा)
५—श्री विशेश्वर दयाल,	सहायक लेखा अधिकारी
६—श्री आर० पी० दुबे,	टेक्नीकल असिस्टेन्ट ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६५ एल० ए०—१६६५—८६२ ।